इग्नू
जन–जन का
विश्वविद्यालय

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
अनुवाद अध्ययन एवं प्रशिक्षण विद्यापीठ

एम.टी.टी.–021

अनुवाद प्रशिक्षण

खण्ड

3

अनुवादक और भाषाई दक्षता

इकाई 5

स्रोत-भाषा और लक्ष्य-भाषा : शाब्दिक और सन्दर्भगत अर्थ 67

इकाई 6

शब्दावली, मुहावरे, कहावतें और प्रयुक्तियाँ 78

इकाई 7

विषय, भाषा और संस्कृति सम्बन्धी अनुवादक की दक्षता 93

THE PEOPLE'S UNIVERSITY

खण्ड-3 का परिचय

अनुवाद करते समय शब्दों और पर्यायों के चयन, लोकोक्तियों और मुहावरों के महत्त्व और इनके समरूप लोकोक्तियों और मुहावरों के चयन में सावधानी रखना अत्यावश्यक होता है। वस्तुतः वाक्यों की बनावट, शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों आदि के प्रयोग के मामले में अक्सर स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा का स्वरूप भिन्न होता है। इसलिए दोनो भाषाओं की भाषिक संस्कृतियों से भली-भाँति परिचित अनुवादक को इस उद्यम में थोड़ी सुविधा होती है। शब्दों और उनके पर्याय के चयन के समय भाषिक संस्कृति का ध्यान रखना जरूरी होता है। शब्दकोश के सहारे जटिल शब्दों का चयन करने से अनुवाद को अविश्वसनीय और अव्यावहारिक हो जाता है। सहज, सरल और भाषा में प्रवाह पैदा करने वाले शब्दों के चुनाव की गुंजाइश भाषिक संस्कृति की परख से ही सम्भव होती है। एक ही शब्द भिन्न अनुशासनों में पहुँच कर अपने अर्थ बदल लेता है। ऐसे में भाषा की प्रकृति के अनुरूप और भाषा में प्रवाह को ध्यान में रखते हुए पर्याय का चुनाव करना पड़ता है। अच्छे अनुवादक कई बार शाब्दिक अर्थ पर न जाकर व्यंजना के अनुसार अलग शब्दों का चुनाव करते हैं। इनमें देशज शब्दों का चुनाव भी करते हैं। इसलिए पर्याय चयन महज शब्दकोश की सीमा तक सीमित नहीं रह जाता। अनुवादकों को ऐसे अनेक शब्दों से सामना करना होता है, जिसे भाषा की प्रकृति, कथन की भंगिमा, स्थितियों की माँग आदि के आधार पर सामान्य सूझ-बूझ से पर्याय चयन करना पड़ता है। शाब्दिक अर्थ ग्रहण करने से अनुवाद के भ्रष्ट होने की आशंका बनी रहती है। सृजनात्मक साहित्य में भावात्मक अनुवाद की बड़ी जरूरत होती है। मगर प्रशासनिक, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक आदि साहित्य यानी तकनीकी शब्दावली से परिपूर्ण साहित्य का अनुवाद करते समय भावात्मक अनुवाद के बजाय प्रचलित और मानक शब्दों का चयन ही अपेक्षित रहता है। *'अनुवादक और भाषाई दक्षता'* शीर्षक इस तीसरे खण्ड की तीन इकाइयों *'स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा : शाब्दिक और सन्दर्भगत अर्थ'*, *'शब्दावली, मुहावरे, कहावतें और प्रयुक्तियाँ'* तथा *'विषय, भाषा और संस्कृति सम्बन्धी अनुवादक की दक्षता'* में अनुवादक की भाषाई दक्षता के साथ-साथ अनुवाद-कौशल की सूक्ष्मताओं की जानकारी दी गई है।

इकाई 5 स्रोत-भाषा और लक्ष्य-भाषा : शाब्दिक और सन्दर्भगत अर्थ

इकाई की रूपरेखा

5.0 उद्देश्य

5.1 प्रस्तावना

5.2 स्रोत-भाषा और लक्ष्य-भाषा

5.3 अनुवादक की अनुवाद दृष्टि

5.4 अनुवादक का भाषिक दायित्व

5.5 स्रोत पाठ : अर्थबोध की पृष्ठभूमि

5.6 शब्दार्थ, ध्वन्यार्थ और पाठ सन्दर्भित अर्थ

5.7 अनूदित पाठ का सम्पादन एवं प्रकाशन सौष्ठव

5.8 सारांश

5.9 अभ्यास के लिए प्रश्न

5.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें

5.0 उद्देश्य

यह इकाई स्रोत-भाषा और लक्ष्य-भाषा के शाब्दिक और सन्दर्भगत अर्थ से सम्बन्धित है। इस इकाई को पढ़ने से अनुवाद अध्ययन में एम. ए. करनेवाले शिक्षार्थियों को स्रोत-भाषा और लक्ष्य-भाषा के शाब्दिक और सन्दर्भगत अर्थ सम्बन्धी संक्षिप्त जानकारी मिलेगी। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप समझ सकेंगे कि :

- अनुवाद के सन्दर्भ में अनुवादक की *अनुवाद-दृष्टि* और स्रोत पाठ के अर्थबोध की पृष्ठभूमि का क्या महत्त्व होता है;
- अनुवाद के सन्दर्भ में शब्दार्थ, ध्वन्यार्थ, और पाठ सन्दर्भित अर्थ के लिए कितनी सावधानी जरूरी है;
- एक अनुवादक का भाषिक दायित्व क्या है;
- अनूदित पाठ का सम्पादन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

5.1 प्रस्तावना

अनुवाद के सन्दर्भ में *स्रोत-भाषा* और *लक्ष्य-भाषा* पर पूर्व की इकाइयों में पर्याप्त चर्चा हुई है। हर कोई जानता है कि अनुवाद में एक भाषिक व्यवस्था में उपलब्ध पाठ को दूसरी भाषिक व्यवस्था में इस तरह प्रस्तुत किया जाता है कि मूलपाठ का पूरा-पूरा भाव लक्षित पाठ में उपस्थित हो जाए। इसमें मूलपाठ का भाव जानते हुए कोई अनुवादक विश्लेषणपरक पद्धति अपनाता है। पाठ के शब्दों, पदों, वाक्यों, मुहावरों, लोकोक्तियों का अर्थ विश्लेषण, उस पाठ की मूल भाषा के सामाजिक परिवेश, जनपदीय संस्कृति, सामाजिक प्रयुक्ति, सन्दर्भ सम्मत प्रयोग के स्तर पर करता है, और लक्षित भाषा के लक्षित भावकों के बौद्धिक परिवेश, सामाजिक पद्धति, भाषिक संस्कार और जनपदीय संस्कृति के अनुरूप उसके समानार्थी शब्द, पद, वाक्य, मुहावरा, लोकोक्ति का उपयोग करता है। इस क्रम में शाब्दिक और सन्दर्भगत अर्थ उपस्थित करने की बड़ी जिम्मेदारी अनुवादक पर होती है। भाषा-फलक से जुड़े हर व्यक्ति इस धारणा से सहमत होंगे कि किसी भी शब्द का अर्थ शब्द-शक्ति के आधार पर तय होता है, और शब्द-शक्ति की सम्पूर्ण सत्ता उसके सन्दर्भगत उपयोग और परिवेशगत वैशिष्ट्य पर निर्भर रहती है। इस पाठ में अनुवाद के दौरान एक अनुवादक द्वारा शाब्दिक और सन्दर्भगत अर्थों के सम्बन्ध में बरती गई इन्हीं सावधानियों पर चर्चा की जा रही है।

5.2 स्रोत-भाषा और लक्ष्य-भाषा

हम जानते हैं कि जिस भाषा के पाठ का अनुवाद करना होता है, उसे *स्रोत-भाषा* और जिस भाषा में अनुवाद करना होता है, उसे *लक्ष्य-भाषा* कहते हैं। विचारणीय है कि किसी भाषा के पाठ का अनुवाद किसी दूसरी भाषा में कोई अनुवादक क्यों करना चाहता है? कोई प्रकाशक उसे क्यों प्रकाशित करना चाहता है? या कि कोई रचनाकार स्वतः स्फुरण से अथवा प्रेरित होकर अपनी रचना का अनुवाद दूसरी भाषा में होने देने को क्यों उत्सुक होता है?

इस पूरी प्रक्रिया में ज्ञान-ज्योति के तीन प्रणेता शामिल हैं—मूल रचनाकार, अनुवादक, प्रकाशक। विदित है कि इनमें प्रथम दो घटक सृजेता हैं और तीसरे उसके प्रकाशक। ज्ञान के प्रचार-प्रसार की दिशा में इस तीसरे घटक की उल्लेखनीय भूमिका होती है। कहें कि कृतिकार एवं अनुवादक तथा वृहत् पाठक समुदाय के बीच प्रकाशक एक योजक की भूमिका निभाता है। वह व्यवसायी है, यह दीगर बात है। पूँजी, श्रम और व्यवसाय कौशल लगाकर रचना प्रकाशित करता है, तो जाहिर है कि वह उससे धनार्जन भी करेगा, पर दुनिया जानती है, यहाँ तक कि तुलसीदास भी लिख गए हैं *सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वारथ लागि करहिं सब प्रीति*। पूँजी, श्रम और कौशल लगाकर प्रकाशक समाजहित के लिए जिस पाठ का प्रकाशन करता है, वह उसके उद्यम के सामाजिक सरोकार को रेखांकित करता है। उन कृतियों को बेचकर वह जो धन कमाता है, उसके बदले वह कई सद्कर्मों का कर्त्ता बनता है। पहला सद्कर्म तो यह है कि वह किसी भाषा में उपजे ज्ञान को समाज हित में लोगों तक पहुँचाता है। दूसरे कि उस ज्ञान के प्रणेता का वृहत पाठक समूह से परिचय कराकर पाठकों को जागरूक और लेखक की यशःकीर्ति का प्रचार करता है। तीसरा कि प्राप्त धनराशि से अपनी पूँजी वसूलकर जो कुछ लाभ कमाता है, उसका समुचित अंशदान कृतिकार और अनुवादक को देकर उनके बौद्धिक उद्यम का सम्मान करता है और बची हुई राशि को अपने श्रम और कौशल का फल मान लेता है, या फिर अपने व्यवसाय के विकास में लगाता है। इस अर्थ में प्रकाशक की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। बीच में इनके आए बिना लेखक, अनुवादक का अपने भावकों से अथवा अन्य कला-विधा के प्रयोक्ताओं से सदा-सदा के लिए अपरिचय की स्थिति ही बनी रह जाएगी।

हम जानते हैं कि हर भाषा के कृतिकार और अनुवादक बौद्धिक उद्यम के एकनिष्ठ सिपाही होते हैं। कोई अनुवादक जब किसी *स्रोत-भाषा* के पाठ का अवगाहन करता है, और वह पाठ उसकी बौद्धिकता को आह्लादित करता है, तो वह अपने भाषिक और सामाजिक सरोकार से अभिभूत हो उठता है। उसे यह उत्कण्ठा होने लगती है कि इस पाठ का अनुवाद यदि मेरी भाषा में हो, तो हमारी भाषा का जो पाठक भाषायी अक्षमता के कारण इस ज्ञान से और इन अनुभवों से वंचित है, उसका भला होगा। इसके साथ-साथ इस कृति के आगमन से हमारी भाषा सम्पन्न होगी, एक नई कृति द्वारा एक नए परिवेश, नए समाज की अनूभूतियों से हमारा परिचय होगा, एक नई संस्कृति से हमारे समाज का परिचय होगा। जाहिर है कि जिस व्यक्ति को दो भाषाओं पर अधिकार होगा, वही अनुवाद कर सकेगा। पर, यह भी तय है कि सामान्यता हर अनुवादक की प्रथम भाषा अपनी मातृभाषा या राष्ट्रभाषा होती है, दूसरी या तीसरी भाषा का ज्ञान वह अपने उद्यम से हासिल करता है। तो कई बार अनुवादक अपनी भाषा के पाठ का अनुवाद पड़ोसी समाज, राज्य, देश या अन्य विदेशी भाषा में करता है। इस उद्यम में भी उसकी धारणा उसी भाषिक और सामाजिक सरोकार से प्रेरित रहती है, जिसमें अनुवादक की एकनिष्ठ धारणा रहती है कि हमारी भाषा का यह महत्त्वपूर्ण पाठ दूसरी भाषा में अनूदित होकर न केवल उसके पाठकों और साहित्य को संपन्न करेगा, बल्कि हमारी भाषा के साहित्य की गुणवत्ता, कृति विशेष और रचनाकार विशेष की यशःकीर्ति वृहत् फलक तक पहुँचेगी।

यशःप्रार्थी होना हर रचनाकार की प्रथम अभिलाषा होती है और बड़े पाठक/भावक समुदाय तक पहुँच बनाना हर रचना का प्राथमिक उद्देश्य होता है। ऐसे में हर मूल कृति के रचनाकार अन्य भाषाओं में अपनी कृतियों का अनुवाद चाहते हैं। वे इस तथ्य से भलीभाँति परिचित होते हैं कि हर रचना अपने प्रकाशन के कुछ समय बाद उस भाषा में प्रचार-प्रसार को लेकर स्थगन की स्थिति में आ जाती है, उसके बाद उसका महत्त्व केवल ऐतिहासिक अथवा सन्दर्भ-सम्मत उपयोग का रह जाता है। अनुवाद से उस पाठ के स्थगन की दीवार टूटती है, और एक नए पाठक-समुदाय के बीच जाकर नया जीवन पाती है। इसलिए अनुवाद की इच्छा हर रचनाकार की होती है, ऐसे में जब कभी उनके पास अनुवाद का कोई नया प्रस्ताव आता है, उन्हें स्वभावतः प्रसन्नता होती है। हाँ, यह इच्छा

हर रचनाकार की होती है कि उनकी रचना का अनुवाद कोई बेहतर और यशस्वी अनुवादक के हाथों हो, उसका प्रकाशन कोई प्रतिष्ठित प्रकाशन संस्थान से हो, ताकि वह अधिक से अधिक पाठकवर्ग तक अपनी पहुँच बना सके। पर, इन सैद्धान्तिक और मनोकामना से सम्बद्ध प्रसंगों पर इन तीनो घटकों के बीच क्या समझ बनती है, और क्या समझौता होता है, यह उन तीनों के उद्यम सम्मत शिष्टाचार और व्यावसायिक नीति से निर्देशित होता है।

स्रोत-भाषा और *लक्ष्य-भाषा* के इन पारस्परिक हितसाधनों में मानवीय, सामाजिक और राष्ट्रीय-अन्तरराष्ट्रीय मामलों की नीति शामिल होती है। हर रचना अपने समाज के समकालीन जनचेतना और नागरिक जीवन-व्यवस्था के इतिहास सूत्र अपने में समाए रखती है। ये सूत्र उनमें अमूर्त रूप से रहते हैं भाषा फलक में सामाजिक जीवन के रहन-सहन के चित्रण में, रचना-समाज के सांस्कृतिक व्यवहार में, पात्रों के भाषा-विधान और चारित्रिक उपक्रम में, समाज-व्यवस्था की आचार-संहिता में... शोधकर्मियों को ये सूत्र उस समाज की स्थान-काल-परिवेश की छवियाँ दिखाई देती हैं। जाहिर है कि अपरिचित पाठक-समुदाय से परिचय बनाते हुए ये सन्दर्भ बड़े संवेदनशील हो उठेंगे। ऐसे में यदि अनुवाद के समय सावधानी बरतने में जरा-सी भी चूक हुई, तो राष्ट्रीय अथवा स्थानिक मान-सम्मान का प्रश्न अवान्तर स्थिति उत्पन्न कर सकता है। इसलिए अनुवाद के समय इन मसलों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना आवश्यक होता है।

सृजन के शुरुआती समय से हमें ये प्रमाण मिलते आए हैं कि अनुवाद केवल ज्ञान-ज्योति का प्रसार ही नहीं करता, यह धर्म, मत, व्यवसाय को भी विराट फलक देता है और राष्ट्रीय-अन्तरराष्ट्रीय नीतियों को दिशा भी देता है। जिस अनुवाद से अराजकता फैले, विश्व फलक पर बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की धारणा फलीभूत न हो, उसमें किसी अनुवादक, प्रकाशक का रुचिशील नहीं होना ही श्रेयस्कर होता है। वैसे सच तो यह भी है कि अनुवाद के जरिए ऐसा काम करने वालों की सूची भी छोटी नहीं है।

5.3 अनुवादक की अनुवाद दृष्टि

'अनुवाद-दृष्टि' जैसा मूल्य-बोधित (Value Loaded) पद अनुवाद-कर्म में बड़ा महत्त्वपूर्ण होता है। इस एक पद में कर्त्ता का सम्पूर्ण वैचारिक अस्तित्व समाया रहता है, साथ ही देश-काल के प्रति उसकी पूरी समझ भी रेखांकित होती है। अनुवाद अध्ययन से जुड़े सारे फलक इससे गलबहियाँ लेते दिखते हैं। अनुवाद का सत्ता-विमर्श, अनुवाद का उद्देश्य, अनुवाद की विधियाँ, अनुवाद के भाषिक रूप, अनुवाद प्रकाशन का कौशल, लक्षित पाठक समुदाय का आकलन... ये सारे सूत्र अनुवाद-दृष्टि से जुड़ जाते हैं।

अनुवाद-दृष्टि से ही निर्देशित होकर कोई अनुवादक अनुवाद हेतु किसी पाठ का चयन करता है, अपनी पुनर्रचना का भाषा-फलक और रूप-विधान तय करता है। उनके इस निर्णय में उनकी बौद्धिक क्षमता, भाषा ज्ञान, *लक्ष्य-भाषा* और *स्रोत-भाषा* की सामाजिक-सांस्कृतिक-आर्थिक-राजनीतिक समझ, अनुवाद कौशल के साथ-साथ वैचारिक प्रतिबद्धता और राष्ट्रीय भावनाओं की भी गहन भूमिका होती है। उत्तर वैदिक काल की वेद आधारित पुनर्रचित भारतीय कृतियाँ, बौद्ध साहित्य के देशान्तर की भाषाओं में अनुवाद, *पंचतन्त्र* का पहलवी, अरबी होते हुए फ्रेंच में प्रवेश, शहंशाह अकबर के समय में *रामायण/महाभारत* आदि महत्त्वपूर्ण भारतीय ग्रन्थों का फारसी में अनुवाद, दाराशिकोह के प्रयास से *मज्मा-उल-बहरैन* का अनुवाद, उपनिषदों का फारसी अनुवाद, फिरंगियों के शासन काल में भारत के धार्मिक ग्रन्थों का अंग्रेजी अनुवाद, विलियम जॉन द्वारा *अभिज्ञानशाकुन्तलम्* का अनुवाद, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र द्वारा *मर्चेण्ट ऑफ वैनिश* (विलियम शेक्सपीयर) का अनुवाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा *'ऑन लिबर्टी'* (जॉन स्टुअर्ट मिल) और *'एजुकेशन'* (हर्बर्ट स्पेन्सर) का अनुवाद, रामचन्द्र शुक्ल द्वारा *'द रिड्ल्स ऑफ युनिवर्स'* (अर्न्स्ट हैकल) का अनुवाद...सब के सब अनुवादक की इन्हीं धारणाओं से प्रेरित है। ठीक इसी तरह जब कोई प्रकाशक किसी कृति के अनुवाद का प्रकाशन करना चाहता है, तो व्यावसायिक लाभ से पहले वह इन सारे प्रसंगों से भली-भाँति निर्देशित होता है।

अनुवाद की पूरी प्रक्रिया में ये बातें अनुवादक का दिशा निर्देश करती हैं। अनूदित पाठ अपने कथ्य, शिल्प, भाषिक संरचना, कथोपकथन, शब्दावली, चरित्र-चित्रण जैसे गम्भीर उपादानों के सहारे पाठक-समाज के सम्मुख केवल घटना-प्रसंग ही प्रस्तुत नहीं करता, वह पाठक समुदाय की ज्ञानाकुलता शान्त करते हुए मूल पाठ की भाषा और

समाज की संरचना, साहित्यिक उत्कर्ष, सांस्कृतिक मूल्य आर्थिक-सामाजिक-राजनीतिक परिवेश का स्वरूप भी अंकित करता है। पाठ के भावक इन सारे प्रसंगों में अपने-अपने कौशल से मतलब की बातें निकाल लेते हैं। कोई अपनी आन्तरिक भव्यता बढ़ाते हैं, कोई अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए *स्रोत-भाषा* समाज की कमजोरी तलाशते हैं, कोई अपनी शासकीय पद्धति और सामाजिक आचार-विचार की उन्नति के सूत्र ढूँढते हैं, तो कोई अन्तरराज्यीय, अन्तरराष्ट्रीय नीतियों की संहिता भी तय करते हैं। उत्तर वैदिककालीन आचार्यों को अपने भव्य वैदिक विरासत से लोक-जीवन को जोड़ने की चिन्ता थी। बौद्ध साहित्य के अनुवादकों को बुद्ध-वचनों में छिपे श्रेष्ठ मानवीय विचारों को विश्वव्यापी बनाने की चिन्ता थी। मुगल बादशाह बाबर, अकबर, जहाँगीर, शाहजहाँ को भारत की भव्य विरासत को जानने, हृदयंगम करने और उनके अनुवाद से फारसी भाषा के साहित्य-भण्डार को सम्पन्न कराने की चिन्ता थी, दाराशिकोह को धार्मिक सद्भाव और मानवीय-मूल्य की चिन्ता थी, तो फिरंगियों को भारतीय संस्कृति को विरूपित कर भारत के नागरिकों का मनोबल तोड़ने की दुर्वृत्ति थी। वहीं भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचन्द्र शुक्ल जैसे चिन्तकों को अपने देश के नागरिक-मनोबल को उन्नत करने की व्यग्रता और अपनी राष्ट्रीय परम्परा के उत्कर्ष से देश के नागरिकों का परिचय कराकर उनका आत्मबल सामने लाने की अभिलाषा थी। जाहिर है कि हर समय के अनुवादकों ने अपने-अपने कृतिकर्म से अपनी-अपनी *अनुवाद-दृष्टि* की पहचान अंकित की है। स्वातन्त्र्योत्तरकालीन अनुवाद का फलक तो और अधिक विस्तार पा गया। वैसे सचाई तो यह है कि अनुवाद की इस शिखर महिमा की पहचान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (स्थापना सन् 1885), द्वितीय विश्व युद्ध (सन् 1939-1945) और संयुक्त राष्ट्र संघ (स्थापना सन् 1945) के समय से ही कर ली गई थी। पर, इधर आकर अनुवाद का दायित्व अत्यधिक बढ़ गया। अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्धों के निर्वाह और राष्ट्रीय विरासत की रक्षा हेतु तो इसकी अनिवार्य आवश्यकता रही ही है; जब से विश्व-साहित्य पदबन्ध का अस्तित्व उजागर हुआ, अनुवाद-कर्म की महत्ता शीर्ष पर पहुँच गई, अनुवादक का जोखिम बहुत बढ़ गया, और *'अनुवाद-दृष्टि'* की परिभाषा में बेहिसाब मूल्य-बोध दाखिल हो गया है। यह दीगर बात है कि इस वक्त अनुवाद का व्यावसायिक फलक भी प्रखर हुआ, पर तथ्य है कि लाख व्यावसायिकता के बावजूद *अनुवाद-दृष्टि* की गरिमा-महिमा अपनी जगह बनी हुई है।

5.4 अनुवादक का भाषिक दायित्व

भाषिक दायित्व मनुष्य मात्र के लिए अत्यधिक अर्थगर्भित है। केवल उन्हीं के लिए नहीं, जो किसी भाषा विशेष में लिखते, पढ़ते, पढ़ाते हैं; बल्कि समाज के हरेक नागरिक के लिए इसके महत्त्व को समझना आवश्यक है, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था के संचालन और नागरिक-जीवन के दैनन्दिन व्यवहार के लिए इसकी सत्ता अहम् है। भाषा का उपयोग हर मनुष्य के एक-एक आचरण में होता है, इसलिए हर व्यक्ति के भाषिक-दायित्व का अपना-अपना हिस्सा है। पर, अनुवादक के जीवन में इसकी सत्ता औरों से अलग हो जाती है, कह सकते हैं कि उनका भाषिक दायित्व एक सीमा तक मूल रचनाकार से भी बड़ा हो जाता है।

इस विषय पर विस्तार से चर्चा पहले भी हो चुकी है कि एक भाषा का पाठ जब अनूदित होकर दूसरी भाषा में जाता है, तो वह वहाँ के शील, संस्कार, नागरिक जीवन के विविध रूप, मानवीय सम्बन्धों और शिष्टाचारों के वैविध्य एवं वैशिष्ट्य, सामाजिक संस्कृति, मूल रचनाकार की धारणा और वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ जाता है। अब ऐसे गम्भीर एवं संवेदनशील क्षेत्रान्तरण में यदि अनुवादक दोनों भाषाओं के पाठ के शब्द-संस्कार, प्रयोग-प्रविधि, लोकोक्ति-मुहावरे, आचार-विचार, सांस्कृतिक सन्दर्भ, स्थान-काल-पात्र एवं विषय-समाज-परिवेश के प्रति सावधान नहीं रहेंगे तो उनका भाषिक-दायित्व कर्तव्य-च्युत और दिशाहीन हो जाएगा। दो-दो भाषा-परिवेश के संरक्षण-दायित्व से घिरा हुआ अनुवादक सदैव प्रयुक्त शब्दों की अर्थशक्ति की तलाश में कोशीय अर्थ, और सन्दर्भित अर्थ के अनुशीलन के बाद *लक्ष्य-भाषा* के पाठ में उसके युक्तियुक्त निरूपण की चिन्ता से भरा रहता है। उन्हें अपनी अनुवाद-दृष्टि, रचनाकार की धारणा, पाठ की आत्मा और *लक्ष्य-भाषा* में उनकी अभिव्यक्ति में सन्तुलन बनाते हुए कई जोखिमों से जूझना पड़ता है। वर्ण-बोध, शब्द-बोध, भाषा-बोध के प्रारम्भिक दिनों से हम समझते आए हैं कि मानवीय-व्यवहार में शब्द अपने में कुछ नहीं होता, उसकी प्रयुक्तियों के कारण उनकी अर्थ-ध्वनियाँ उन शब्दों को सामर्थ्य देती है। किसी घटना-प्रसंग अथवा विषय-बिम्ब के लिए किसी भाषा में जिन शब्दों, पदों, पदबन्धों, वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, उसकी अर्थ ध्वनियाँ उस सामाजिक परिवेश और नागरिक

संस्कृति की सम्पूर्ण संवेदनाओं से अभिभूत रहती हैं। इसलिए उस पाठ का मर्म-भेद खोलने के लिए अनुवादक को अपना भाषिक दायित्व निभाते हुए उस भाषिक परिवेश और भाषिक संस्कृति की सूक्ष्मताओं को जानना बहुत जरूरी होता है।

अंग्रेजी के एक वाक्य The baby sitter went away का अनुवाद कोई बेफिक्र व्यक्ति *'आया भाग गई'* कर दे सकता है। निरादरपूर्ण क्रियापद के इस्तेमाल के कारण इस वाक्य में सेविका के प्रति अनुवादक की धरणा स्पष्ट होती है। उक्त वाक्य का अनुवाद कोई भद्र व्यक्ति *'धाई चली गई'* कर सकता है। इस वाक्य में सम्मानसूचक कुछ खास नहीं है, पर 'भाग गई' की जगह 'चली गई' लिखना इसका सूचक है कि अनुवादक ने सेविका के लिए कोई अभद्रता नहीं की है। किन्तु मानवीय संवेदनाओं से भरा हुआ कोई व्यक्ति इस दृष्टि से भी देख सकता है कि वह एक स्त्री के बारे में बात कर रहा है, वैसी स्त्री के बारे में, जो अब तक उनके बच्चे का लालन-पालन कर रही थी, इसलिए वह *'धाई माँ चली गईं'* कह सकता है। यहाँ संज्ञा और क्रियापद दोनो में सम्मान दिया गया है। इस उदाहरण में अनुवाद का सत्ता-विमर्श जितना भी काम कर रहा हो, पर अनुवादक की *अनुवाद-दृष्टि* बहुत सूक्ष्मता से रेखांकित है।

किसी विदेशी भाषा में भारतीय भाषाओं के पाठ का अनुवाद करते समय तो समस्याएँ और भी घनीभूत हो जाती हैं। पाठ का सांस्कृतिक सन्दर्भ, परिवेश सम्मत अर्थध्वनियाँ, लोकजीवन का व्यवहार-फलक...सब मिलकर विचित्र उलझनों का कोहरा फैला देता है, अनुवादक कई बार किंकर्तव्यविमूढ़ हो जाते हैं। वैसे तो भारतीय भाषाओं के परस्पर अनुवादों में ही विकराल समस्याएँ आती हैं। हर भाषा और हर क्षेत्र की शब्दावलियों, संस्कृतियों, परम्पराओं में रोचक वैविध्य है। उत्सवों और प्रसंगों की अलग-अलग विधियाँ हैं। उत्तर बिहार के जंगलविहीन इलाकों में राष्ट्रीय पक्षी मोर का मिलना दुर्लभ होता है। कुछ दशक पूर्व तक सुखी-सम्पन्न, धनशाली लोग, जिनके पास बड़े क्षेत्रफल की दालान होती थी, वे शौक से मोर पालते थे। लिहाजा वहाँ के लोगों की मान्यता बन गई कि जिनकी छप्पर पर मोर बैठे, उनके यहाँ समृद्धि आती है। अब वैसी मान्यता के कोई पुराने खयाल के लोग यदि दिल्ली और आसपास के इलाके में आ जाएँ, तो वे देखेंगे कि इधर के लोग खेतों में मोर के घुस जाने से नाराज होते हैं, क्योंकि इधर जंगल के मोर खेतों में घुसकर फसलों का नुकसान करते हैं। इसी तरह दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में भान्जी के साथ विवाह-सम्बन्ध उचित माना जाता है, जबकि बिहार, उत्तर-प्रदेश में भान्जी को बेटी की नजर से देखा जाता है। अनुवाद के समय सृजेता का भाषिक दायित्व यदि इन सन्दर्भों के लिए सावधान नहीं रहेगा, तो मूल पाठ का अंग-भंग भी होगा और लक्षित पाठ की विश्वसनीयता एवं उपादेयता भी सन्दिग्ध होगी। अनुवाद में ऐसी ही परिस्थितियों से निपटने के लिए पादटिप्पणी की आवश्यकता होती है, और अनूदित पाठ तक जाते-जाते मूल पाठ में एक सीमा तक घट-बढ़ (Loss & Gain) की स्थिति भी आती है।

5.5 स्रोत पाठ : अर्थबोध की पृष्ठभूमि

अपने पुनर्सृजन के दौरान मूल पाठ के अर्थ-विश्लेषण में हर अनुवादक सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश और स्थानीय प्रयुक्तियों का सहारा लेता है। स्रोत पाठ के अर्थबोध की पृष्ठभूमि इसी प्रक्रिया में निर्धारित होती है। भारतीय भाषाओं के पाठ में प्रतीक अर्थ में जब कभी रावण, नारद, बालि, हनुमान आदि मिथकीय पात्र की चर्चा होती है, तो उसके सन्दर्भ विचित्रताओं से भरे होते हैं रावण एक तरफ अपनी विद्वता और भक्ति के लिए ख्यात हैं, तो दूसरी तरफ अपने अहंकार और पराक्रम के दुरुपयोग एवं अनैतिक आचरण के लिए उतने ही कुख्यात; नारद का उल्लेख समाचार प्रसारण के लिए जितनी प्रमुखता से होता है, चुगलखोरी के लिए भी उतने ही हास्य से; बालि एक तरफ राक्षस हैं, तो दूसरी तरफ दानवीर... ऐसे असंख्य उदाहरण हैं। हिन्दू सम्प्रदाय बहुदेवोपासना के उपासक हैं, उनकी धार्मिक कृतियों का अनुवाद यदि एकेश्वरवादी भाषा में हो तो समस्याएँ किस तरह सामने खड़ी होंगी सोचा जा सकता है। *'अभिज्ञानशाकुन्तलम्'* में दुष्यन्त को देखने के बाद शकुन्तला जिस लज्जा और संकोच से आरक्त होती हैं, और उनके मुखमण्डल पर स्वेदकण उभरते हैं; किसी पश्चिमी संस्कृति की नायिका वैसी परिस्थिति को कैसे आत्मसात करेगी! अंग्रेजी के एक वाक्य में कहा जाए कि My daughter has gone to the market with her in-laws तो अंग्रेजी में कोई समस्या नहीं होगी। पर यह पंक्ति बिहार या पूर्वी उत्तर-प्रदेश के समाज में कई सवाल खड़ी करेगी। *'मेरी बेटी अपने ससुराल वालों के साथ बाजार गई है'* अनुवाद करने से काम नहीं चलेगा।

क्योंकि यहाँ 'ससुरालवालों' का 'दुल्हन' के साथ सम्बन्धजन्य वर्तालाप और आहार-व्यवहार के कई स्तर हैं। यदि वह छोटी ननद अथवा देवर के गई है तो भाषा-व्यवहार अलग होगा; बड़ी ननद या सास वर्ग (सास, चचेरी सास, फुफेरी सास, ददिया सास आदि) के साथ गई है तो भाषा व्यवहार अलग होगा; श्वशुर वर्ग (श्वशुर, चचेरा श्वशुर, फुफेरा श्वशुर, ददिया श्वशुर आदि) के साथ गई है तो अलग होगा; मामा श्वशुर और भैंसुर (जेठ) के साथ तो जा ही नहीं सकती, उनके साथ तो छुआछूत जैसा व्यवहार मौना जाता है। पाठ के अनुवाद द्वारा पाठकों को इन चिन्ताओं से मुक्त करना अनुवादक का ही दायित्व होता है। 'कन्यादान' जैसे शब्द का अनुवाद अंग्रेजी अथवा विदेशी भाषाओं में कर भी दिया जाए तो उसके अर्थबोध की पृष्ठभूमि बताना एक जटिल उद्यम होगा। इस क्रम में यदि 'कन्यादान' करने वाले की उपस्थिति हो जाए, तो उसका सांस्कृतिक और आचारपरक विधान और भी विचित्र होता है। कन्यादान करने वाला व्यक्ति, उस कन्या की ससुराल में तब तक अन्न-जल ग्रहण नहीं करेगा, जब तक उस कन्या के कोई सन्तान न हो जाए। अब इस विमर्श को अपने पूरे सन्दर्भ के साथ अनुवाद करने में अनुवादक की समस्या तब तक बनी रहेगी, जब तक अर्थबोध की पूरी पृष्ठभूमि स्पष्ट न हो। पूरे भारतीय परिवेश में एक मुहावरा समान रूप से प्रचलित है कि 'डूबते सूरज को कौन प्रणाम करता है?', पर बिहार का अति प्रसिद्ध लोक-पर्व छठ होता है, उसमें पर्व की उपासिका पहला अर्घ अस्ताचलगामी सूर्य को ही देती है। बिहार, उत्तर प्रदेश में कोई स्त्री सोई हुई हो, ठण्ड से ठिठुर रही हो, तो घर का कोई मर्द बड़े आराम से कह देता है कि ठण्ड से ठिठुर रही है, उसे चादर ओढ़ा दो। पंजाबी संस्कृति में 'चादर ओढ़ाने' का अर्थ विधवा भौजाई से विवाह करना होता है। मराठी में 'शिक्षा देना' का अर्थ 'दण्ड देना' है, जबकि हिन्दी में 'ज्ञान देना' होता है। इसलिए स्रोतपाठ के अर्थबोध की पृष्ठभूमि किसी कोश से समझना असम्भव है। 'पानी' और 'जल' समानार्थी है, पर पूजा में उपयोग आने वाले द्रव को 'पानी' नहीं कह सकते, 'जल' ही कहना पड़ेगा। अर्थबोध की यही पृष्ठभूमि किसी अनुवादक के दायित्व को गुरुतर बनाती है और वह उसके पूरे सन्दर्भ को दोनों भाषाओं में बखूबी निभाने का भगीरथ प्रयास करता है। पाठ की घटनाओं का जो समाज होता है, जो पात्र होता है, उसका सारा आचार-विचार, आहार-व्यवहार उस मूल भाषा-भाषी समाज के अनुसार होगा। पर अनुवाद करने पर ऐसी कौन-सी तरकीब अपनाई जाए कि *लक्ष्य-भाषा* में जाकर वह पाठ अपने पूर्व भाषा-समाज के गुण-सूत्र को भी बचाए रखे और वर्तमान भाषा-समाज के भावकों के हृदय में अपनी बेहतर जगह भी बना ले यह तय करना और उस पर अमल करना अनुवादक की ही जिम्मेदारी होती है। हर भाषा समाज में पाठ के अर्थबोध की पृष्ठभूमि खँगालने में विषय, प्रसंग, व्यक्ति, भाव, आर्थिक-सामाजिक-पदेन हैसियत, प्रेम-लास्य-क्रोध-घृणा के अनुसार भाषा-विचार, लिंग-वचन-कारक की भाषावार भिन्नता... सारे उपादानों की जरूरत होती है; और, सावधान अनुवादक इन बातों के लिए सावधान रहते हैं।

5.6 शब्दार्थ, ध्वन्यार्थ और पाठ सन्दर्भित अर्थ

शब्दार्थ, ध्वन्यार्थ और पाठ सन्दर्भित अर्थान्वेष हर अनुवादक का प्राथमिक उद्देश्य होता है। अनुवाद करते समय केवल शब्दार्थ से काम नहीं चलता। चर्चा हो चुकी है कि शब्दों की अपनी भूमिका और स्वायत्तता उसकी प्रयुक्ति के बाद गौण हो जाती है, उसका पाठ सम्मत अर्थ महत्त्वपूर्ण हो जाता है। अंग्रेजी का एक शब्द Registrar हिन्दी में आकर सन्दर्भ धारण कर लेता है। इसका उपयोग जब विश्वविद्यालय में होता है, तो 'कुलसचिव' कहते हैं, पर कोर्ट अथवा राजपत्र कार्यालय में करते हैं, तब 'पंजीयक' कहते हैं। 'सबक सिखाना' और 'सबक याद करना' में 'सबक' की ध्वनि अलग-अलग है। 'शिक्षा मिली' या 'सीख मिली' में 'शिक्षा' और 'सीख' शब्द कई तरह के मूल्यों से भरा हुआ है, यह केवल शाब्दिक अर्थ नहीं है। 'चारो तरफ पानी-पानी भरा पड़ा है' और 'मैं पानी-पानी हो गया' में 'पानी-पानी' का अर्थ सन्दर्भ अलग-अलग है। भारतीय भाषाओं में शब्द प्रयुक्तियों और अर्थ-छवियों की विविधता बड़े विस्तृत फलक की है। सामाजिक-सभ्यता के विकास-क्रम के दौर में हर भाषा के शब्दों का अर्थ-विस्तार और अर्थ-संकोच हुआ है। 'साहसी' शब्द का अर्थ पहले लुटेरा होता था, जो नकारात्मक था; अब इसका अर्थ सकारात्मक हो गया है। 'कुशल' शब्द का उपयोग पहले ऋषि, मुनि या गुरुजन अपने उन शिष्यों के लिए करते थे, जो यज्ञादि के लिए एक विशेष किस्म का घास, 'कुश' उखाड़कर लाने में दक्ष होते थे, अब इस शब्द का उपयोग दक्ष; कुशल-क्षेम जैसे प्रसंगों में होता है। कुश के पत्ते की नोक की तीक्ष्णता और सूक्ष्मता के कारण 'कुशाग्र' कहा गया, अब 'कुशाग्रता' 'तीक्ष्ण बुद्धि' का समानार्थी हो गया।

भारतीय भाषाओं में प्रयुक्तियों के कारण सम्भवतः शब्द सर्वाधिक रूढ़ हुआ होगा। इसका मूल कारण यहाँ की लोक-वृत्ति की गतिशीलता और घटना-प्रसंग को सूत्र-बद्धता देने का कौशल है। लोक-व्यवहार के वैविध्य और जन-सरोकार के भाषा-फलक की यहाँ इतनी परतें हैं कि कई बार एक ही शब्द के प्रयोग अनेक सन्दर्भों के लिए कर लिए जाते हैं और कई बार एक ही 'भाव' की अनुमाप बताने में कई शब्दों का प्रयोग करते हैं। कथन में लालित्य, भाषा में ओज, और सम्प्रेषण में उत्कर्ष लाने हेतु अलंकारों और मुहावरों का प्रयोग, बिम्ब-प्रतीकों का प्रयोग यहाँ निरन्तर होता आया है। भारतीय भाषाओं में अलंकार निरूपण के कारण उपस्थित यह भाषा-फलक यहाँ के पाठकों के लिए बोधगम्य भी होता है, और प्रभावी भी, पर दूसरी भाषा में जाकर स्थिति बदल सकती है।

भारतीय साहित्य के उक्ति-वैचित्र्य और कथन भंगिमाओं की गूढ़ता अत्यन्त व्याख्येय है, जटिल भी। कुछ इस तरह, कि विदेशी भाषाओं में उसके अनुवाद के समय लोहे का चना चबाना पड़ता है। एक ही तत्सम शब्द 'सारंग' के कई अर्थ होते हैं कमल, कामदेव, मेघ, केश, चन्द्रमा, कोयल, धनुष, हिरण... आदि। भारतीय समाज-व्यवस्था के सामान्य व्यवहार में भी अतिशयोक्ति की गुंजाइश बनी रहती है, साहित्य में तो खासकर इस नाम से एक अलंकार ही है, *अतिशयोक्ति अलंकार*। किसी नायिका के सौन्दर्य का वर्णन करते हुए रचनाकार अक्सर नायिका के केश, आँख, ध्वनि, मुँह, भौंह, गति आदि की प्रशंसा में घटा, हिरण, कोयल, चन्द्रमा, धनुष, हथिनी आदि का उदाहरण दिया करते हैं। इन उदाहरणों में उन उपमाओं और प्रतीकों की रूपाकृति से कुछ खास सौन्दर्य स्पष्ट नहीं होता, वस्तुतः उनके वैशिष्ट्य की प्रधानता होती है। घटाओं जैसे बाल का अर्थ उसकी सघनता, कालिमा और मोहकता से स्पष्ट होता है, हिरण जैसी आँखों का तात्पर्य उन आँखों की चंचलता और निश्छलता से स्पष्ट होता है, कोयल जैसी वाणी का अर्थ उसके मिठास से स्पष्ट होता है, चन्द्रमा जैसे मुँह का अर्थ उसके ज्योतिर्मय मनभावन रूप से स्पष्ट होता है... इसलिए भारतीय भाषाओं के रचनाकार ऐसी उपमाओं से अपनी कथन-भंगिमा को मोहक बनाते हैं, और भारतीय विधान में रससिद्ध पाठक उसे समझ भी लेते हैं। किन्तु जब किसी विदेशी भाषा के अनुवादक इन रचनाओं का अनुवाद करने लगेंगे, तो उन्हें इन सारी स्थितियों को जानना होगा, वर्ना अर्थबोध की बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। 'कमलनयन', 'गजगामिनी', 'पिकवयनी' जैसे उपमान उनके लिए निरर्थक शब्द माने जाएँगे। ऐसे कथनों में उन्हें कोई सौन्दर्य नहीं दिखेगा। उससे भी बड़ी समस्या उनके लिए अर्थ स्पष्ट हो जाने के बाद खड़ी होगी।

- *सारंग नयन बयन पुनि सारंग सारंग तसु समधाने*

  नायिका की आँखें हरिण जैसी हैं, वाणी कोयल जैसी, भौंहें धनुष जैसी...

- *कवरी भय चामरि गिरि-कन्दर मुख भय चाँद अकाशे*
  हरिण नयन भय स्वर भय कोकिल गति भय गज वनावासे

  नायिका के बालों की सुन्दरता से लज्जित होकर चामरि गाय पर्वत-कन्दरा में छिप गई, मुँह के सौन्दर्य से पराभूत होकर चन्द्रमा आकाश में समा गया, आँखों के सौन्दर्य से लज्जित होकर हरिण, मोहक वाणी से लज्जित होकर कोयल और मदमस्त चाल से लज्जित होकर हथिनी जंगल भाग गई।

- *कि आरे नव जौवन अभिरामा*
  जत देखल तत कहहि न पारिअ छओ अनुपम एक ठामा
  हरिण इन्दु अरविन्द करिणि हिम पिक बूझल अनुमानी
  नयन बरन परिमल गति तनु रुचि अओ अति सुललित बानी

  अकथ अचरज से भरे इस यौवन की क्या बात हो! हिरण जैसी आँखें, चन्द्रमा जैसी आभा, कमल जैसा सौरभ, हथिनी जैसी चाल, हिमकण जैसी कान्ति, कोयल जैसी बानी... छह-छह अनुपम पदार्थ एक जगह एकत्र हैं।

अब इस तरह की कथन भंगिमाओं को परदेशी भाषाओं में क्षेत्रान्तरण कर भी दिया जाए, तो उसे वहाँ की भाषा का संस्कार देकर पाठकों के साथ तादात्म्य स्थापित कराना कितना जटिल होगा।

पाठ सन्दर्भित अर्थ के लिए कई बार लोकाचारों और मान्यताओं से भी सामना करना पड़ता है। समाज में अपनी जगह बनाने में ये मान्यताएँ लम्बा समय लगाती हैं, और फिर उसी तरह लोक-जीवन का लगभग स्थायी सहचर बन जाती हैं। सधवा स्त्रियों का चूड़ी, मंगल-सूत्र, सिन्दूर आदि पहनना और विधवाओं का इन परिधानों का त्याग करना एक प्रथा है; मुंडेर पर बैठे कौवे के काँव-काँव करने को किसी प्रिय जन के शुभागमन का संकेत माना जाता है, प्रसन्नतावश उस कौवे को खाने के लिए रोटियाँ दी जाती हैं। पर वहीं काला कौवा आवाज लगाए, तो अशुभ मानकर कोसते हुए दूर भगाया जाता है।... भारतीय साहित्य का पाठ इन समस्त सन्दर्भों से भरा रहता है। दरअसल भारतीय नागरिकों की जीवन-व्यवस्था अपने पारम्परिक आचारों से इस तरह आबद्ध है कि तमाम प्रगतिशीलता के बावजूद अपने उन सन्दर्भों से मुक्त नहीं हो पाता, मुक्त नहीं होना चाहता। अपनी इन परम्पराओं में रहकर ही उन्हें अपनी मौलिकता का भान होता है। शिष्टोक्ति और विनय यहाँ के नागरिक जीवन का स्थायी भाव है। किसी को अपने घर आमन्त्रित करने के लिए कहते हैं *कभी मेरे दरवाजे को पवित्र किया जाए*, या *कभी मेरे घर जूठन गिराया जाए*। गर्भवती स्त्री के लिए उसके पाँव भारी हैं, वह उम्मीद से है, उसे कल्याण की योग्यता है कहा जाता है। ... इन जटिल प्रसंगों से जूझता हुआ अनुवादक लगभग आग का दरिया पार करता हुआ यात्री होता है, पार कर गया तो अनुवाद सफल; झुलस गया तो निरर्थक।

शाब्दिक अर्थों के सहारे अनुवाद करने पर कई बार अनर्थ हो जाता है। अब इस 'अनर्थ' शब्द को ही लें, इसका शाब्दिक अर्थ होगा अन्+अर्थ, अर्थात् वैसा अर्थ, जो सही नहीं है। पर इन दिनों 'अनर्थ' का उपयोग किसी भयावह घटना के लिए किया जाता है। 'अनर्थ हो गया' मतलब कोई अघट स्थिति आन पड़ी। अंग्रेजी का एक पद है House-warming (गृह प्रवेश)। इसके शब्द खण्डों का अलग-अलग अर्थ निकालेंगे तो अर्थ गलत आएगा। इसी तरह with his significant pedagogy vice chancellor injected new blood in University Education. का सही अनुवाद होगा *नई शिक्षण-पद्धति अपनाकर कुलपति ने विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में नए प्राण फूँके।* यहाँ injected new blood के लिए *'नए खून चढ़ाए'* या *'नए खून की सूई लगाई'* कहने से वांछित सन्देश नहीं पहुँचेगा। शब्दों के उपयोग के आधार पर अर्थ बदलने के कुछ और उदाहरण दिए जा सकते हैं Draw शब्द जब तक अकेला है, उसका अर्थ है 'खींचना', वैसा खींचना नहीं, जैसा Pull के लिए होता है, Pull के लिए जो खींचना है, उसका सम्बन्ध उखाड़ने से है, किसी जुड़ाव से विलग करने से है। किन्तु Draw के लिए जो 'खींचना' होगा, उसका सम्बन्ध आरेख या डिजाइन से होगा। पर यह attention के साथ रहे तो ध्यानाकर्षण हो जाता है, Conclusion के साथ हो तो निष्कर्ष निकालना हो जाता है, direction या place के साथ हो तो समीप आना हो जाता है, blank के साथ परिणाम पर न पहुँचना हो जाता है, distinction के साथ अन्तर दिखाना, the line के साथ मना करना, lots के साथ परची निकालकर फैसला करना, in के साथ छोटा होना, out के साथ लम्बा होना, up के साथ सामने आकर रुकना, back के साथ त्रुटि या कमी हो जाता है। इसी draw में er लग जाए तो दराज, ing लग जाए तो चित्र, रेखांकन हो जाता है। drawing के साथ pin लगे तो दीवार या बोर्ड पर कागज लगाने वाला पिन होता है, Room लगे तो बैठका हो जाता है। इस तरह के उपयोगों के आधार पर थोड़े-से हेर-फेर से एक ही शब्द के अर्थ इतने बदल जाते हैं कि उसके मूल शब्द के अर्थ से कोई निकटता ही नहीं दिखती। कमोबेश दुनिया की हर भाषा में ऐसा होता होगा। आवश्यकता है कि श्रेष्ठ अनुवादक अपने कौशल, अनुवाद-दृष्टि और अनूद्य एवं अनूदित पाठों की भाषिक-संरचना और नागरिक-संस्कृति की समझ के सहयोग से इस पुनीत कार्य की गरिमा बनाए रखने और बढ़ाते जाने की।

5.7 अनूदित पाठ का सम्पादन एवं प्रकाशन सौष्ठव

अनूदित पाठ का वांछित स्वरूप सामने आए, इसके लिए उसके सम्पादन और प्रकाशन सौष्ठव का ध्यान रखना भी एक अपरिहार्य घटक है। अनुवाद पर विचार करते हुए विश्वसनीय अनुवाद और स्तरीय अनुवाद जैसे कई प्रसंगों पर बात हो चुकी है। बेहतरीन अनुवाद हो जाने के बावजूद उसका उपस्थापन यदि पाठकों के समक्ष बेहतरीन न हो, तो वह अभद्र तरीके से सुस्वादु भोजन परोसने जैसा होगा, जिसमें भोजन की सारी गुणवत्ता उपेक्षित हो जाएगी, सिर्फ पद्धति की अभद्रता रसपायी को रुष्ट कर देगी। इसलिए पाठ के प्रकाशन सौष्ठव की सावधानी अनिवार्य है।

पाठ के विषय-बोध के आधार पर अनुवादकों की धारणा में लक्षित पाठक-वर्ग पहले से तय रहता है। उसी आधार पर अनुवादक अनूदित पाठ का भाषा-फलक तय करते हैं। पर अनूदित पाठ हासिल हो जाने के बाद प्रकाशक भी पाठ के विषय-बोध और भाषा-फलक की समझ से अपनी व्यावसायिक बुद्धि और प्रकाशकीय-दृष्टि लगाकर अपने लक्षित बाजार का अनुमान करता है। उसी अनुमान के आधार पर वह पुस्तक का आकार, रूप सज्जा, विषय-चित्र (Illustration), आवरण चित्र, शीर्षक, उपशीर्षक, पाठ, पादटिप्पणी, कागज की गुणवत्ता, किताब की जिल्दसाजी, मुद्रण संख्या, मूल्य निर्धारण, विज्ञापन आदि की व्यवस्था करता है। ये सारी बातें पाठकों के आयुवर्ग, आर्थिक स्तर, पाठ की उपयोगिता की कोटि, पाठक के मानसिक स्तर, पाठक के अध्ययन-क्रम की व्यवस्था, पुस्तक के उपयोग की आवृत्ति...आदि का अनुमान करता है। यदि अल्प आयवित्त के पाठकों का अनुमान होता है, तो कागज की गुणवत्ता घटाकर उत्पादन मूल्य कम करने की कोशिश की जाती है। पाठक यदि अल्पायु के हों तो उसमें विषय-चित्र (Illustration) के साथ बड़े अक्षरों में पाठ छापना होता है। इसके लिए किताब का आकार बड़ा करना होता है, चित्र बहुरंगी बनवानी पड़ती है। मूलपाठ और आवरण का कागज बेहतर लगाना होता है। लागत-मूल्य अधिक हो जाने के कारण ऐसी किताबें मँहगी हो जाती है। किताब यदि सन्दर्भ-ग्रन्थ हो, तो उसके प्रकाशन हेतु प्रकाशक अलग नीति अपनाते हैं। इसी तरह यदि वह कहानी, उपन्यास, कविता, नाटक, तकनीकी, व्यावसायिक, प्रशासनिक, कोशीय... हो या कि पाठ्य-पुस्तक की हो, तो उसकी प्रकाशन-पद्धति अलग होगी।

वैसे तो विज्ञापन और बाजार व्यवस्था से जुड़े प्रकाशन गृह के सारे ही उद्यम लक्षित पाठक वर्ग को आकृष्ट करने की कला से परिपूर्ण होते हैं, पर सम्पादन और उत्पादन कार्य में इन बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। भाषा-संशोधन के दौरान सम्पादक और प्रूफ संशोधक विशेष सावधानी रखता है। मुद्रित पाठ की अशुद्धियाँ पाठकों में ऊब पैदा करती हैं और पाठ के सम्प्रेषण को आहत करती हैं। इसलिए त्रुटिविहीन पाठ बनाने हेतु सम्पादक और प्रूफ संशोधक की ओर से अतिरिक्त सावधानी की जरूरत होती है। यह दायित्व सम्पादक का ही होता है कि वह स्रोत-पाठ के प्रति अनूदित पाठ की विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधानिकता आदि की परख किसी न किसी समुचित स्रोत से करे, या करवाए, और फिर लक्षित पाठक-वर्ग के भाषा-समाज में उसके आगमन को युक्तियुक्त बनाए।

5.8 सारांश

एक भाषिक व्यवस्था में उपलब्ध पाठ को दूसरी भाषिक व्यवस्था में प्रस्तुत करते हुए अनुवादक मूलपाठ का भाव जानने हेतु विश्लेषणपरक पद्धति अपनाता है। पाठ के शब्दों, पदों, वाक्यों, मुहावरों, लोकोक्तियों का अर्थ विश्लेषण उस पाठ की मूल भाषा के सामाजिक परिवेश, जनपदीय संस्कृति, सामाजिक प्रयुक्ति, सन्दर्भ सम्मत प्रयोग के स्तर पर करता है, और लक्षित भाषा के लक्षित भावकों के बौद्धिक परिवेश, सामाजिक पद्धति भाषिक संस्कार और जनपदीय संस्कृति के अनुरूप उसके समानार्थी शब्द, पद, वाक्य, मुहावरा, लोकोक्ति का उपयोग करता है। इस क्रम में शाब्दिक और सन्दर्भगत अर्थ उपस्थित करने की बड़ी जिम्मेदारी अनुवादक पर होती है। भाषा-फलक से जुड़े हर व्यक्ति इस धारणा से सहमत होंगे कि किसी भी शब्द का अर्थ शब्द-शक्ति के आधार पर तय होता है, और शब्द-शक्ति की सम्पूर्ण सत्ता उसके सन्दर्भगत उपयोग और परिवेशगत वैशिष्ट्य पर निर्भर रहती है। इसके लिए अनुवादक की अपनी अनुवाद दृष्टि काम आती है। 'अनुवाद-दृष्टि' पद के कर्त्ता के सम्पूर्ण वैचारिक अस्तित्व को रेखांकित करता है।

अनुवाद-दृष्टि से ही निर्देशित होकर कोई अनुवादक अनुवाद हेतु किसी पाठ का चयन करता है, अपनी पुनर्रचना का भाषा-फलक, भाषिक दायित्व और रूप-विधान तय करता है। अनुवादक का भाषिक दायित्व दो-दो भाषाओं से जुड़े होने के कारण मूल रचनाकार से भी बड़ा होता है। एक भाषा का पाठ, अनूदित होकर दूसरी भाषा में अपनी भाषा और परिवेश के शील, संस्कार, नागरिक जीवन के विविध रूप, मानवीय सम्बन्धों और शिष्टाचारों के वैविध्य एवं वैशिष्ट्य, सामाजिक संस्कृति, मूल रचनाकार की धारणा और वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ ही आता है। ऐसे में अनुवादक दोनों भाषाओं के पाठ के शब्द-संस्कार, प्रयोग-प्रविधि, लोकोक्ति-मुहावरे, आचार-विचार, सांस्कृतिक सन्दर्भ, स्थान-काल-पात्र एवं विषय-समाज-परिवेश के प्रति सावधान न रहें तो पूरा उद्यम ही दिशाहीन हो जाएगा।

पाठ के अर्थबोध की पृष्ठभूमि का बेहतर ज्ञान विषय, प्रसंग, व्यक्ति, भाव, आर्थिक-सामाजिक-पदेन हैसियत, प्रेम-लास्य-क्रोध-घृणा के अनुसार भाषा-विचार, लिंग-वचन-कारक की भाषावार भिन्नता... की समझ के बिना असम्भव है; हर अनुवादक इन बातों के लिए सावधान रहते हैं।

शब्दार्थ, ध्वन्यार्थ और पाठ सन्दर्भित अर्थान्वेष हर अनुवादक का प्राथमिक उद्देश्य होता है। अनुवाद करते समय केवल शब्दार्थ से काम नहीं चलता। प्रयुक्ति के बाद शब्दों की अपनी भूमिका और स्वायत्तता गौण हो जाती है, उसका पाठ सम्मत अर्थ महत्त्वपूर्ण हो जाता है। भारतीय भाषाओं में शब्द प्रयुक्तियों और अर्थ-छवियों की विविधता बड़े विस्तृत फलक की है। प्रयुक्तियों के कारण सम्भवतः शब्द सर्वाधिक रूढ़ यहीं हुआ होगा। इसका मूल कारण यहाँ की लोक-वृत्ति की गतिशीलता और घटना-प्रसंग को सूत्र-बद्धता देने का कौशल है। उक्ति-वैचित्र्य और कथन भंगिमाओं की गूढ़ता भी भारतीय पाठ के लिए बड़ी चुनौती है। अनुवाद के समय इन सारी बातों के लिए अतिरिक्त सावधानी की जरूरत होती है।

5.9 अभ्यास के लिए प्रश्न

1. अर्थ-विश्लेषण की दृष्टि से स्रोत-भाषा और लक्ष्य-भाषा के सम्बन्ध में अनुवादक की सावधानी की व्याख्या कीजिए।
2. अनुवादक की अनुवाद दृष्टि विस्तार से विचार कीजिए।
3. स्रोत-भाषा और लक्ष्य-भाषा के मद्देनजर अनुवादक का भाषिक दायित्व क्या होता है?
4. स्रोत पाठ के अर्थबोध की पृष्ठभूमि का वर्णन कीजिए।
5. शब्दार्थ, ध्वन्यार्थ और पाठ सन्दर्भित अर्थ से आप क्या समझते हैं?

5.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें

- *प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957*
- मिश्र, जयप्रकाश (डॉ.), *बौद्धिक सम्पदा अधिकार : एक परिचय,* इलाहाबाद, सेण्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स।
- Bhandari, M.K., *Intellectual Property Rights*, Allahabad, Central Law Publication.
- खन्ना, सन्तोष, *भारतीय कानूनों का समाज शास्त्र,* दिल्ली, भारत ज्योति प्रकाशन।
- गुप्त, गार्गी एवं टण्डन, पूरनचन्द(सं.), *अनुवाद बोध,* नई दिल्ली, भारतीय अनुवाद परिषद।
- टण्डन, पूरनचन्द, *अनुवाद साधना,* दिल्ली, अभिव्यक्ति प्रकाशन।
- टण्डन, पूरनचन्द एवं सेठी, हरीश कुमार, *अनुवाद के विविध आयाम,* नई दिल्ली, तक्षशिला प्रकाशन।
- भाटिया, कैलाश चन्द्र, *अनुवाद कला : सिद्धान्त और प्रयोग,* नई दिल्ली, तक्षशिला प्रकाशन।
- टण्डन, पूरनचन्द(सं.), *अनुवाद शतक (भाग 1 एवं 2),* नई दिल्ली, भारतीय अनुवाद परिषद।
- सिंहल, सुरेश, *अनुवाद : संवेदना और सरोकार,* दिल्ली, संजय प्रकाशन।
- तिवारी, भोलानाथ, *अनुवाद विज्ञान,* हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय।
- अय्यर, एन.ई.विश्वनाथ, *अनुवाद कला,* दिल्ली, प्रभात प्रकाशन।
- कुमार, सुरेश, *अनुवाद सिद्धान्त की रूपरेखा,* नई दिल्ली, वाणी प्रकाशन।

- *अनुवाद (पत्रिका)*, अनुवाद कला का प्रशिक्षण विशेषांक, अंक 53, नई दिल्ली, भारतीय अनुवाद परिषद।
- शर्मा, रामविलास, *भाषा और समाज,* नई दिल्ली, राजकमल प्रकाशन।
- श्रीवास्तव, रवीन्द्र, *हिन्दी भाषा का समाजशास्त्र,* नई दिल्ली, राधाकृष्ण प्रकाशन।
- कर्वे, इरावती, चण्डीगढ़, हरियाणा साहित्य अकादमी।
- *हिन्दी साहित्य कोश,* वर्मा, धीरेन्द्र (संपा.), *भारत में बन्धुत्व संगठन,* वाराणसी, ज्ञानमण्डल लिमिटेड।

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

इकाई 6 शब्दावली, मुहावरे, कहावतें और प्रयुक्तियाँ

इकाई की रूपरेखा

6.1 उद्देश्य

6.2 प्रस्तावना

6.3 अनुवाद में शब्द चयन का महत्त्व

6.4 शब्द और शब्द-संयोग

6.4.1 शब्द-संयोग में पर्याय चयन

6.4.2 शब्द-संयोग के पर्याय के रूप में एक शब्द का प्रयोग

6.5 कोशीय अर्थ और शब्दों का प्रयोग

6.5.1 नए शब्दों का प्रयोग

6.5.2 बहुप्रचलित शब्दों के पर्याय

6.6 मुहावरों और लोकोक्तियों का भाषा में स्थान

6.6.1 लोकोक्तियों की विशेषता

6.6.2 मुहावरों की विशेषता

6.6.3 चित्रात्मकता

6.6.4 शाब्दिक अर्थ से भिन्न अर्थबोध

6.7 लोकोक्तियों और मुहावरों का अनुवाद

6.8 अंग्रेजी-हिन्दी मुहावरों के अनुवाद की तुलना

6.8.1 शब्दानुवाद

6.8.2 भावानुवाद

6.8.3 रंजक, विशिष्ट प्रयोग आदि

6.9 अंग्रेजी-हिन्दी लोकोक्तियों के अनुवाद की तुलना

6.9.2 शब्दानुवाद

6.9.2 भावानुवाद

6.10 सारांश

6.11 अभ्यास के लिए प्रश्न

6.1 उद्देश्य

यह इकाई शब्दावली, मुहावरे, कहावतें और प्रयुक्तियों से सम्बन्धित है। इस इकाई को पढ़ने से अनुवाद अध्ययन में एम. ए. करनेवाले शिक्षार्थियों को शब्दावली, मुहावरे, कहावतें और प्रयुक्तियाँ सम्बन्धी संक्षिप्त जानकारी मिलेगी। इस पाठ को पढ़कर आप :

- अनुवाद में शब्द चयन का महत्त्व रेखांकित कर सकेंगे;
- शब्द-संयोगों में पर्याय चयन के बारे में बता सकेंगे;
- कोशीय अर्थों से भिन्न नए शब्दों का चुनाव कर सकेंगे;
- अनुवाद में मुहावरों और लोकोक्तियों की विशेषता स्पष्ट कर सकेंगे; और
- अंग्रेजी और हिन्दी मुहावरों की तुलना कर सकेंगे।

6.2 प्रस्तावना

हर भाषा की अपनी संस्कृति और उसी के अनुरूप शब्दों की गरिमा होती है। इसलिए अनुवाद करते समय शब्दों के चुनाव में हुई मामूली चूक भी अर्थ का अनर्थ कर सकती है। एक ही शब्द भिन्न स्थितियों में अपने अर्थ बदल लेता है। हर भाषा में शब्दों के साथ कुछ युग्म रूढ़ हो जाते हैं, अगर उन्हें दूसरे रूप में या उसी शब्द के पर्याय के साथ जोड़ कर प्रयोग करें तो हास्यास्पद स्थिति पैदा हो जाती है। व्यतिरेकी प्रयोग में, व्यंग्य की शक्ल में शब्दों के अर्थ कोशीय अर्थ से उलट भी हो जाते हैं। इसी प्रकार एक ही शब्द विभिन्न अनुशासनों में भिन्न अर्थों में प्रयोग होता है। जो शब्द विज्ञान के क्षेत्र में इस्तेमाल होता है, जरूरी नहीं कि वाणिज्य या अर्थशास्त्र में उसी अर्थ में प्रयोग होता हो। इस तरह हर अनुशासन की तकनीकी शब्दावली होती है। ऐसे में अगर शब्दों की प्रकृति और उनकी गरिमा को समझे-जाने बिना प्रयोग किया जाता है तो कई बार अनुवाद उल्टा अर्थ देने लगता है।

लोकोक्तियों और मुहावरों के मामले में भी इसी तरह हर भाषा की संस्कृति का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। लोकोक्तियाँ हर मानव समाज में लगभग मिलते-जुलते रूप में पाई जाती हैं। मुहावरे भी एक दूसरे से मिलते हुए या समरूप अर्थ देने वाले मिल जाएँगे, इसलिए अनुवाद करते समय इनके शाब्दिक अर्थों पर ध्यान केन्द्रित करने के बजाय समरूप मुहावरों और लोकोक्तियों की खोज करनी होती है। मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग अक्सर रचनात्मक लेखन में धार पैदा करने, कथन की भंगिमा में चमक लाने की मंशा से किया जाता है। इनके प्रयोग से कम शब्दों में बड़ी और प्रभावपूर्ण बातें कहने में सुविधा होती है। इसलिए अनुवाद करते समय अगर लेखक के उस मकसद को ध्यान में नहीं रखा गया, केवल शब्दों के कोशीय अर्थ समझ कर अनुवाद कर दिया गया तो न सिर्फ कथन हल्का पड़ जाएगा, बल्कि अनर्थ की सम्भावना भी हो सकती है।

इस पाठ में हम अनुवाद में शब्दों और उनके पर्याय चयन, लोकोक्तियों और मुहावरों के महत्त्व और इनके समरूप लोकोक्तियों और मुहावरों के चयन में सावधानी के बारे में जानने-समझने की कोशिश करेंगे।

6.3 अनुवाद में शब्द चयन का महत्त्व

अच्छे अनुवादक के लिए जरूरी है कि वह स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की भाषिक संस्कृतियों से भलीभाँति परिचित हो। क्योंकि वाक्यों की बनावट, शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों आदि के प्रयोग के मामले में अक्सर स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा का स्वरूप भिन्न होता है। इन दोनों में से अगर अनुवादक ने किसी भी एक भाषा को महज जानने-समझने या अर्थ ग्रहण भर के लिए प्रयासपूर्वक सीखा हैं, उसके व्याकरण से परिचित नहीं है तो अनुवाद में मुश्किलें पैदा हो सकती हैं।

हमारे यहाँ अंग्रेजी से हिन्दी या दूसरी भारतीय भाषाओं में अनुवाद का चलन अधिक है। अंग्रेजी अब भी हमारे यहाँ शासकीय और कार्यालयीन चलन के साथ-साथ भारतीय भाषाओं के बीच सेतु भाषा के रूप में काम कर रही है। जबकि अंग्रेजी वाक्यों की संरचना हिन्दी या अन्य भारतीय भाषाओं की संरचना से मूल रूप से भिन्न है। मगर इसके अनुवाद में मुश्किल इसलिए नहीं आती कि ज्यादातर लोग पढ़ाई-लिखाई के क्रम में किसी न किसी रूप में अंग्रेजी सीखते ही हैं। इसके साहित्य से भी मोटे तौर पर परिचित होते हैं। इसलिए इसमें प्रचलित बहुत सारे शब्दों, मुहावरों और लोकोक्तियों से लोग परिचित होते हैं। फलस्वरूप अंग्रेजी से हिन्दी या अन्य भारतीय भाषाओं में या इसके उलट भारतीय भाषाओं से अंग्रेजी में अनुवाद करते समय प्रायः कम मुश्किलें आती हैं।

मगर सृजनात्मक साहित्य और तकनीकी साहित्य के मामले में भाषा की बनावट थोड़ी भिन्न होने की वजह से कई बार अनुवादकों को मुश्किल आती है। एक ही शब्द दूसरे अनुशासन में जाकर अर्थ बदल लेता है। ऐसे में पर्याय चयन की जरूरत पड़ती है। लेकिन पर्याय चयन भी मनमानी तरीके से नहीं किया जा सकता। भाषिक संस्कृति के विरुद्ध अगर पर्याय चयन की कोशिश की जाती है तो न सिर्फ वह अनुवाद को अविश्सनीय बनाती है, बल्कि हास्यास्पद स्थितियाँ भी पैदा कर देती है। उदाहरण के लिए अंग्रेजी के Holy water का अनुवाद अगर 'पवित्र पानी' किया जाता है तो इसमें शाब्दिक अर्थ में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, लेकिन यह अनुवाद भाषिक संस्कृति के अनुरूप नहीं माना जाएगा। क्योंकि इसके लिए चलन में और लोक में स्वीकृत पद है 'पवित्र जल।' इसलिए इसका

अनुवाद इसी रूप में किया जाना चाहिए। इसी तरह अगर किसी हिन्दू के लिए 'अन्तिम संस्कार' लिखना ठीक होगा, जबकि मुसलमान के लिए 'सुपुर्द-खाक' लिखें तो भाषिक संस्कृति के अनुरूप होगा।

शब्दों और उनके पर्याय के चयन के समय भाषिक संस्कृति का ध्यान रखना जरूरी होता है। ढेर सारे अनुवादक शब्दकोश की मदद से संस्कृतनिष्ठ और क्लिष्ट शब्दों का चयन करते हैं। ऐसा प्रयास भी अनुवाद को अविश्वसनीय और अव्यावहारिक बनाता है। जहाँ तकनीकी शब्दों के चुनाव की मजबूरी है, वहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग तो ठीक है, लेकिन सृजनात्मक साहित्य का अनुवाद करते समय अनुवादक को सहज, सरल और भाषा में प्रवाह पैदा करने वाले शब्दों के चुनाव की भरपूर गुंजाइश होती है। जहाँ तकनीकी शब्दावली के इस्तेमाल की जरूरत होती है, वहाँ भी कुशल अनुवादक बोलचाल की भाषा और सामान्य बातचीत में इस्तेमाल होने वाले शब्दों के चयन के जरिए बहुत हद तक विषय की जटिलता दूर कर सकता है। साहित्यिक भाषा का अर्थ यह कतई नहीं लगाया जा सकता कि वह पाठकों के लिए अग्राह्य हो। 'निज भाषा' की जगह 'अपनी भाषा', 'समवयसी' के बजाय 'हमउम्र' पद का प्रयोग हो तो न सिर्फ हर तरह के पाठक को समझने में आसानी होगी, बल्कि भाषा में प्रवाह भी आएगी। इसलिए जान-बूझ कर कठिन, संस्कृतनिष्ठ, दुरूह शब्दों के प्रयोग से बचने का प्रयास होना चाहिए। यह तभी सम्भव होगा, जब अनुवादक अपने आसपास की भाषा, सामान्य बोलचाल और व्यवहार की भाषा का इस्तेमाल करना सीखेगा; शब्दकोश देखने की समुचित पद्धति अपनाएगा और भाषिक संस्कृति तथा पाठकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शब्द चयन का कौशल विकसित करेगा।

6.4 शब्द और शब्द-संयोग

जैसा कि हम ऊपर बात कर चुके हैं, एक ही शब्द भिन्न अनुशासनों में पहुँच कर अपने अर्थ बदल लेता है। अंग्रेजी के Exchange शब्द का कोशीय अर्थ होता है 'अदला-बदली', लेकिन जब यही Telephone शब्द के साथ जुड़ जाता है तो इसका कोशीय अर्थ खो जाता है। इसका अनुवाद अगर 'टेलीफोन अदला-बदली' के रूप में करने पर न सिर्फ अर्थ ग्रहण की समस्या पैदा होगी, बल्कि अनुवाद हास्यास्पद हो जाएगा, क्योंकि Telephone Exchange पद के लिए हिन्दी में 'दूरभाष केन्द्र' पद स्वीकृत है और चलन में है। इसी तरह यह शब्द अर्थशास्त्र में Foreign शब्द के साथ जुड़ कर भिन्न अर्थ देने लगता है। हिन्दी में Foreign Exchange के लिए 'विदेशी मुद्रा' पद स्वीकृत है और चलन में है। इससे भिन्न अनुवाद होने पर अर्थ ग्रहण सम्बन्धी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। इसी प्रकार Exchange of Fire के लिए 'गोलीबारी' पद चलन में है।

ऐसे ही अंग्रेजी के अनेक शब्द-संयोग विभिन्न अनुशासनों में पहुँच कर अपने अर्थ बदल लेते हैं। जैसे Last शब्द अलग-अलग युग्मों के रूप में अलग-अलग अर्थ देता है। अंग्रेजी के वाक्य I have come here for the *last time* के लिए हिन्दी में 'मैं *आखिरी बार* यहाँ आया हूँ' कहते हैं। लेकिन अगर इसी को कहें Our team was the winner *last time* तो इसका अर्थ होगा *'पिछली बार* हमारी टीम विजेता थी।' अगर Last शब्द के साथ Rites शब्द का संयोग कर दें तो इसका अर्थ हो जाएगा *'अन्त्येष्टि'।*

कुछ शब्द मुक्त रूप से प्रयुक्त होते हैं तो कुछ शब्द बद्ध प्रकृति के होते हैं। उन्हें कहीं भी प्रयोग नहीं किया जा सकता। अंग्रेजी में to take food, to take tea, to take medicine जैसे प्रयोग अक्सर मिलेंगे, लेकिन हिन्दी में अनुवाद करते समय इतने ही मुक्त ढंग से take का कोशीय अर्थ 'लेना' या 'ग्रहण करना' का प्रयोग नहीं कर सकते। 'भोजन' के साथ 'करना' शब्द का प्रयोग होगा। मगर भोजन की जगह 'खाना' शब्द प्रयोग करते हैं तो उसके साथ करना क्रिया का प्रयोग नहीं कर सकते। खाना खाया जाता है इसलिए 'खाना' शब्द प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार चाय के लिए पीना और दवाई के लिए 'खाना' या 'पीना' शब्द प्रयोग करेंगे। 'मैंने भोजन कर लिया', 'खाना खा लिया', 'चाय पी ली', 'दवा खा ली।' लेकिन जब यही take शब्द oath के साथ प्रयुक्त होगा तो 'शपथ ग्रहण' करना प्रयोग में आएगा।

ऐसे ही enquiry का शाब्दिक अर्थ होता है 'पूछताछ' और 'जाँच।' लेकिन इनमें शब्दों का चयन मनमाने तरीके से नहीं किया जा सकता। enquiry committee के लिए 'जांच समिति' पद प्रयोग होगा तो enquiry office के लिए 'पूछताछ कार्यालय।'

इस प्रकार अनुवाद में कोशीय अर्थों को भाषिक संस्कृति के अनुरूप ही प्रयोग करने पर उन शब्दों की गरिमा बनी रहती है।

6.4.1 शब्द-संयोग में पर्याय चयन

अनुवाद करते समय अनुवादक को अक्सर शब्दकोश की मदद लेनी ही पड़ती है। लेकिन शब्दकोश में एक शब्द के भिन्न प्रयोगों के मुताबिक भिन्न अर्थ और पर्याय दिए गए होते हैं। ऐसे में अनुवादक के सामने मुश्किल होती है कि वह उनमें से किस पर्याय का चयन करे। ऐसे में उसे भाषा की प्रकृति के अनुरूप और भाषा में प्रवाह को ध्यान में रखते हुए पर्याय का चुनाव करना पड़ता है। अच्छे अनुवादक कई बार शाब्दिक अर्थ पर न जाकर व्यंजना के अनुसार अलग शब्दों का चुनाव करते हैं। इनमें देशज शब्दों का चुनाव भी करते हैं। इसलिए पर्याय चयन महज शब्दकोश की सीमा तक सीमित नहीं रह जाता। लेकिन तकनीकी और बहु-प्रचलित शब्दों के मामले में यह छूट नहीं ली जा सकती। वहाँ पर्याय चयन की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती। जैसे General शब्द का कोश में अर्थ 'सामान्य' और 'आम' दोनों मिलेगा। जब इसे election के साथ जोड़ कर प्रयोग करते हैं तो हिन्दी में इसे 'आम चुनाव' लिखना ही चलन में है 'सामान्य चुनाव' नहीं। लेकिन जब यही जब Knowledge, ability, reader के साथ जुड़ जाता है तो इसके प्रयोग बदल जाते हैं।

General Knowledge	सामान्य ज्ञान
General ability	सामान्य योग्यता
General reader	सामान्य पाठक/आम पाठक–'अध्येता' नहीं।

इसी प्रकार Green Revolution के लिए 'हरित क्रान्ति' पद का प्रयोग किया जाना चाहिए, 'हरी क्रान्ति' या 'हरा आन्दोलन' नहीं। हिन्दी में White Revolution के लिए 'श्वेत क्रान्ति' पद स्वीकृत है, 'सफेद क्रान्ति' या 'सफेद आन्दोलन' नहीं। इसी प्रकार

Common knowledge	सामान्य समझ	सामान्य ज्ञान नहीं।
Common agreement	आम सहमति	सामान्य समझौता नहीं।
Common problem	आम समस्या	सामान्य परेशानी नहीं।
Constitution of Committee	समिति का गठन	समिति का संविधान नहीं।
Terms of reference	विचारणीय विषय	सन्दर्भ की शर्तें नहीं।
Not exceeding	अधिक से अधिक	ज्यादा नहीं, नहीं।

अनुवादक को ऐसे अनेक शब्दों से सामना करना होता है, जिसे भाषा की प्रकृति, कथन की भंगिमा, स्थितियों की माँग आदि के आधार पर सामान्य सूझ-बूझ से पर्याय चयन करना पड़ता है।

6.4.2 शब्द-संयोग के पर्याय के रूप में एक शब्द का प्रयोग

अंग्रेजी में बहुत से शब्द संयोगों के पर्याय के रूप में हिन्दी में समान्तर शब्द संयोगों का प्रयोग नहीं होता। क्योंकि जिन शब्द संयोगों के लिए हिन्दी में पहले से शब्द मौजूद हैं, उन्हीं का प्रयोग आम चलन में है। जैसे playing cards के लिए 'ताश' शब्द चलन में है, 'खेल के पत्ते' नहीं। इसी प्रकार dry fruits के लिए 'मेवे' शब्द चलन में है, 'सूखे फल' नहीं। अंग्रेजी पदबन्ध forced labour के लिए 'बेगार' और bounded labour के लिए 'बन्धुआ मजदूर', depreciation of values के लिए 'मूल्यह्रास' शब्द स्वीकृत है, 'मूल्यों का मूल्यह्रास' नहीं।

इसी प्रकार संस्कृत के अनेक विशेषण अंग्रेजी के शब्द-संयोगों के लिए प्रयुक्त होते हैं, जो किसी व्यक्ति या वर्ग का बोध कराते हैं। अंग्रेजी पदबन्ध displaced person के लिए सिर्फ 'विस्थापित' शब्द काफी है। 'विस्थापित व्यक्ति' नहीं लिखा जाता। disabled person के लिए 'विकलांग' लिखना काफी है 'विकलांग व्यक्ति' नहीं।

ऐसे अनेक शब्द-संयोगों पर ध्यान देने की जरूरत है, जिनके लिए हिन्दी में पर्याय के रूप में एक शब्द चलन में है, उनके लिए अलग से पर्याय चयन करने या शाब्दिक अर्थ के मुताबिक पर्याय चयन की छूट नहीं होती। ऐसे शब्द संयोग सिर्फ अंग्रेजी में नहीं, बांग्ला, मराठी, ओड़िया, कन्नड़, तमिल, तेलुगु आदि भाषाओं में भी देखने को मिलते हैं। पर्याय चयन करते हुए अनुवादक को हमेशा भाषिक संस्कृति का ध्यान रखना पड़ता है। इसे अभ्यास से अर्जित किया जा सकता हैं।

6.5 कोशीय अर्थ और शब्दों का प्रयोग

हम ऊपर बात कर चुके हैं कि अनुवाद करते समय शब्दों के पर्याय चयन में अक्सर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। शब्दकोश में एक शब्द के कई अर्थ और पर्याय दिए गए होते हैं, इसलिए उनमें से वाक्य की बनावट और कथन की भंगिमा के अनुरूप शब्दों का चुनाव न कर पाने की स्थिति में अनुवाद भ्रष्ट हो जाता है।

अनुवादक को मोटे तौर पर दो प्रकार की सामग्री का अनुवाद करना पड़ता है सृजनात्मक साहित्य का और प्रशासनिक या तकनीकी शब्दावली से परिपूर्ण पाठ का। सृजनात्मक साहित्य यानी कविता, कहानी, नाटक, समीक्षात्मक निबन्धों आदि का अनुवाद करते समय अक्सर व्यंजनात्मक अर्थों को ग्रहण करने की जरूरत पड़ती है। सिर्फ शाब्दिक अर्थ ग्रहण करने से अनुवाद के भ्रष्ट होने की आशंका बनी रहती है। ऐसी सामग्री का भावात्मक अनुवाद करना पड़ता है। मगर प्रशासनिक, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक आदि साहित्य यानी तकनीकी शब्दावली से परिपूर्ण साहित्य का अनुवाद करते समय भावात्मक अनुवाद की गुंजाइश कम होती है। ऐसे में प्रचलित और मानक शब्दों का चयन ही अपेक्षित रहता है।

ऐसे में अनुवादक को शब्दकोश का चुनाव भी सोच-समझ कर करना चाहिए। तकनीकी शब्दों के लिए तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा तैयार विभिन्न कोश ही उपयुक्त होते हैं। मगर फिर भी समस्या उपयुक्त शब्द चयन की होती है। वाक्य की बनावट के अनुरूप अनुवादक को शब्दों का चुनाव करना पड़ता है। सृजनात्मक साहित्य का अनुवाद भी चूँकि एक प्रकार का सृजन होता है, अनुवादक को अक्सर शब्दकोश में दिए शब्दों के अलावा नए शब्दों के चुनाव की छूट होती है। वह लोकभाषा या बोलचाल की भाषा से नए शब्दों का चुनाव कर सकता है। कई बार अंग्रेजी या दूसरी विदेशी भाषा में चलन में रहे शब्दों के लिए अपनी मर्जी से वैसा अर्थ देने वाला शब्द गढ़ लिया जा सकता है। मगर फिर भी उसे इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि वह कोई भी ऐसा शब्द न चुने, जिसका अर्थ देखने के लिए किसी को कोश देखना पड़े, अर्थ ग्रहण में मुश्किल पेश आए।

प्रशासन की भाषा में किसी तरह के विवाद की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें आदेश, अनुदेश, जटिल नियम आदि होते हैं। मामूली असावधानी या शब्द चयन में छूट लेने की कोशिश न सिर्फ पाठक के लिए, बल्कि सम्बन्धित विभाग के लिए भी परेशानियों का कारण बन सकती हैं। प्रशासन की भाषा से अपेक्षा की जाती है कि उसमें प्रशासनिक शब्दावली का समुचित प्रयोग, अर्थ की स्पष्टता सुनिश्चितता, औपचारिकता होने के साथ-साथ सरलता भी हो ताकि आम लोगों की भी समझ में आ सके। इस कठिन काम को सही पर्याय का चयन करके ही पूरा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कुछ शब्दों को देखा जा सकता है-

Account	लेखा, खाता, कारण, चालू करना
Articles	वस्तु, अनुच्छेद, लेख
Charge	प्रभार, कार्यभार, व्यय, आरोप, धावा
Post	पद, डाक, चौकी, स्तम्भ
Posting	तैनाती, खाते में दर्ज करना

इस तरह के बहुत सारे शब्दों के प्रायः भिन्न अर्थ देने वाले पर्याय मिलते हैं। उनमें से अनुवादक को सावधानीपूर्वक सही पर्याय का चयन करना होता है। उदाहरण के लिए अगर कही Articles शब्द का प्रयोग अनुच्छेद के लिए हुआ है और आपने उसके लिए 'लेख' पर्याय चुन लिया या Charge का प्रयोग 'प्रभार' के अर्थ में हुआ है, मगर आपने उसके लिए 'आरोप' पर्याय चुन लिया तो उत्पन्न होने वाली भयावह स्थिति का अनुमान किया जा सकता है।

6.5.1 नए शब्दों का प्रयोग

अंग्रेजी में अक्सर नए-नए शब्दों का प्रयोग होता रहता है। वैश्विक बाजार और टेक्नोलॉजी के निरन्तर विकास के चलते आए दिन नए शब्द गढ़े और प्रयोग किए जाते हैं। ये शब्द जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भी उतर आते हैं। अंग्रेजी में boomrang, macho, ecofriendly, global warming जैसे शब्द ऐसे ही हैं। इनके लिए हिन्दी या संस्कृत में पहले से शब्द चलन में नहीं हैं। इसलिए अनुवादक को खुद इनके लिए शब्द गढ़ने पड़ते हैं या इन्हें जस का तस अंग्रेजी रूप में ही दे देना पड़ता है। अंग्रेजी पदबन्ध global warming के लिए 'वैश्विक ताप' या 'भूमण्डलीय ताप' पद स्वीकार कर लिए गए हैं। इन्हें इसी रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। इसी प्रकार ecofriendly के लिए 'पर्यावरण हितैषी' पद स्वीकृत हो चुका है। मगर अब friendly शब्द को अनेक शब्दों के साथ जोड़ कर प्रयोग किया जाने लगा है। उदाहरण के लिए reader-friendly, user-friendly आदि। लेकिन इनके लिए 'पाठक-हितैषी' और 'उपभोक्ता-हितैषी' पदों का प्रयोग करने पर पाठक के लिए अर्थ ग्रहण में परेशानी हो सकती है। इसलिए अनुवादक को इनके लिए वाक्यों की बनावट के अनुरूप नए शब्द गढ़ने पड़ सकते हैं 'पाठकोपयोगी', 'ग्राहकोपयोगी' आदि।

दरअसल, नए शब्दों के लिए हिन्दी में गढ़े गए शब्दों को स्वीकृति मिलने में समय लगता है, इसलिए शुरुआती दिनों में अक्सर एक शब्द के लिए अलग-अलग पदों का प्रयोग दिखाई देता है। ऐसे में पाठक के लिए मुश्किल पेश आती है। इसलिए अनुवादक को नए शब्दों के पर्याय चुनते समय सावधानी बरतने की जरूरत होती है। जहाँ बहुत जरूरी न हो वहाँ नए तकनीकी शब्द का व्याख्यात्मक अनुवाद भी किया जा सकता है। जैसे user-friendly के लिए कहा जा सकता है कि 'ऐसी सामग्री जो ग्राहक या उपभोक्ता के अनुकूल हो, उपभोक्ता को सहजता से उपलब्ध हो, अथवा उपभोक्ता के उपयोग में आसानी हो' आदि रूपों में वाक्य बनाए जा सकते हैं। इससे तकनीकी पद गढ़ने में असावधानी के खतरे या किसी तरह के विवाद से बचा जा सकता है।

6.5.2 बहुप्रचलित शब्दों के पर्याय

अंग्रेजी के कुछ ऐसे शब्द हैं, जिनका हिन्दी और दूसरी भारतीय भाषाओं में बोलचाल में सहज भाव से प्रयोग होता है, मगर जब उनका अनुवाद करना पड़ता है, तो परेशानी पेश आती है। उनके लिए कोश में दिए पर्याय में से सही शब्द का चयन कठिन हो जाता है। ऐसे शब्दों के लिए कोश से अलग कुछ शब्द चलन में आ गए हैं, उदाहरण के लिए office शब्द का कोश में अर्थ होता है 'दफ्तर' लेकिन जब official का अनुवाद करना होता है तो मुश्किल आती है कि इसके लिए 'दफ्तरी' लिखें, 'कार्यालयी' लिखें या 'सरकारी' लिखें। अनुवाद में ये तीनों रूप मौजूद हैं। पिताजी 'दफ्तर के काम से बाहर गए हैं', 'कार्यालय के काम से बाहर गए हैं' या 'सरकारी काम से बाहर गए हैं।' अगर कोई व्यक्ति सरकारी महकमे में काम करता है तो उसके लिए 'सरकारी काम से बाहर गए हैं' कहना तो ठीक है पर जो निजी कम्पनी में काम करता है, क्या उसके लिए यही पद प्रयोग करना उचित होगा?

ऐसे ही perfection शब्द है। आम बोलचाल या अंग्रेजी में लिखंते समय इस शब्द का अक्सर प्रयोग होता है। मगर जब इसके लिए हिन्दी पर्याय चुनने की बात आती है तो मुश्किल खड़ी हो जाती है। इसके लिए शब्दकोश में पर्याय के रूप में 'पूर्णता', 'आदर्श', 'पराकाष्ठा' आदि दिए हुए हैं। ऐसे में अगर कहें कि His work is quite good. However, it lacks perfection. तो इसका हिन्दी में अनुवाद करते समय मुश्किल पैदा हो सकती है। यहाँ perfection के लिए कोश में मौजूद पर्यायों को देने से सही अर्थ नहीं निकल पाएगा। इसके लिए कोई नया शब्द बनाना पड़ेगा या समानार्थी शब्द रख कर कथन के भाव को स्पष्ट करना होगा। 'उसका काम अच्छा है, पर इसे पूरी तरह ठीक नहीं कहा जा सकता।' या 'उसे श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता।' या ऐसे ही किसी समानार्थी शब्द के जरिए इस वाक्य के भावों को दर्शाया जा सकता है।

ऐसे अनेक शब्द हैं, जिनके हिन्दी पर्याय ढूँढ़ने में मुश्किल आती है, जैसे vice versa, professionals, unofficial, radical आदि। ये शब्द बोलचाल और आम व्यवहार में खूब प्रयुक्त होते हैं, मगर इनका अनुवाद कठिन हो जाता है। तलाश करेंगे तो आपको अंग्रेजी के ऐसे अनेक शब्द मिल जाएँगे, जो बोलचाल में तो सहज भाव से व्यवहृत होते हैं, पर उनके अनुवाद में मुश्किल पेश आती है।

6.6 मुहावरों और लोकोक्तियों का भाषा में स्थान

अपनी बात को कम से कम शब्दों में प्रभावी तरीके से कहने के लिए लगभग हर समाज में लोकोक्तियाँ और मुहावरे चलन में हैं। हमारे यहाँ अनेक लोकोक्तियों के पीछे कोई न कोई प्रसंग या घटना जुड़ी हुई है। जैसे 'अंगूर खट्टे हैं' कहावत के पीछे लोमड़ी वाली कथा, 'मूर्ख को शिक्षा देना अपना नुकसान कराना है' कहावत के साथ बारिश में भीगते बन्दर की कथा है। इसी तरह बहुत सारी कहावतों से कथाएँ या प्रसंग जुड़े हैं। आपने *'पंचतन्त्र'* पढ़ी होगी। उसमें हर कथा में कोई न कोई सूक्ति या नीति वाक्य मिलता है। इसी प्रकार विजयदान देथा ने राजस्थानी लोक में प्रचलित कहावतों के पीछे की कथाओं का संकलन 'बाताँ री फुलवारी' नामक पुस्तक में किया है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ न सिर्फ बात को चुटीली और प्रभावशाली बनाने में मदद करते हैं, बल्कि शिक्षा भी देते हैं। लोकोक्तियों और मुहावरों में फर्क इतना है कि लोक-जीवन से उपजी और प्रायः इस्तेमाल होने वाली सूक्तियों, कहावतों को लोकोक्ति कहते हैं। यह पद 'लोक' और 'उक्ति' के संयोग से बना है। 'उक्ति' का अर्थ है 'कथन'। इसलिए लोकोक्तियों में कहीं-कहीं भदेस शब्दों का भी प्रयोग मिल जाता है। चूँकि यह जनमानस के बीच से पैदा होती है इसलिए भावना एक होते हुए भी अनेक लोकोक्तियाँ थोड़े से शब्द भेद के साथ अलग-अलग इलाकों में अपना रूप बदल लेती हैं। एक लोकोक्ति के कई रूप भी चलन में मिल सकते हैं। मगर मुहावरों में ऐसा नहीं होता। मुहावरे चूँकि सभ्य समाज की उपज माने जाते हैं और इनका लिखित रूप में इस्तेमाल होता है, इसलिए इनमें भदेस शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता। इनकी भाषा भी शुद्ध और परिनिष्ठित होती है। इनके पाठ में अन्तर प्रायः नहीं देखा जाता।

हालाँकि मुहावरे और लोकोक्तियों में भेद है, पर कई बार एक ही भावना को दर्शाने वाले वाक्य अलग-अलग रूपों में दोनों जगह मिलते हैं। जैसे 'एक तीर से दो निशाने' और 'एक पन्थ दो काज।' इसी तरह कई मुहावरों के दो या इससे अधिक रूप चलन में मिल जाते हैं।

किसी भी भाषा में लोकोक्तियों और मुहावरों का महत्त्व इसलिए बढ़ जाता है कि इनके जरिए बात को सीधे-सीधे न कह कर व्यंजनात्मक तरीके से अधिक प्रभावशाली ढंग से कह दिया जाता है। आप देखेंगे कि बहुत सारे मुहावरों और लोकोक्तियों का मिजाज व्यंग्य और व्यंजना लिए होता है। मुहावरों और लोकोक्तियों के तीन लक्षण स्पष्ट हैं अर्थ की गहराई, प्रभाव उत्पन्न करने की अद्भुत क्षमता और सौन्दर्य। इसीलिए मुहावरे की परिभाषा में कहा गया है कि 'जो वाक्यांश सामान्य अर्थबोध न करा कर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए, उसे मुहावरा कहते हैं।'

लेकिन यह ध्यान रखने की जरूरत है कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ अपने भाषिक परिवेश की उपज होते हैं। जैसा कि ऊपर हम बात कर आए हैं, ज्यादातर मुहावरे और लोकोक्तियों के पीछे कोई न कोई प्रसंग या घटना होती है, हर भाषा में परिवेश के मुताबिक इनका रूप कुछ भिन्न हो जाता है। जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ हिन्दी में चलन में हैं उनसे मिलते-जुलते बांग्ला, ओड़िया, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, गुजराती में भी मिल जाएँगे, मगर उनके कथन की भंगिमा और वातावरण बदल जाएगा। इसी प्रकार अंग्रेजी में इस्तेमाल होने वाले मुहावरों और लोकोक्तियों को उनके परिवेश से अलग करके नहीं देखा जा सकता।

6.6.1 लोकोक्तियों की विशेषता

लोकोक्तियों का सम्बन्ध हमारे लोक-जीवन से होता है। ये लोक के दैनिक जीवन व्यवहार में इस्तेमाल होती हैं। इसलिए इनके शब्द और अर्थ में भेद नहीं होता। हालाँकि मुहावरों की तरह इनकी भाषा विशिष्ट होती है। कई बार देखें तो मुहावरे और लोकोक्ति में भेद करना मुश्किल होता है। लोकोक्तियाँ हमारे लोक-जीवन के अनुभव, परम्पराओं, धार्मिक आस्थाओं-मान्यताओं, सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक आचरण, जीवन मूल्यों से जुड़ी होती हैं। इसलिए इनके कथन में कोई व्यतिरेक नहीं होता। सीधे-सपाट कथन होते हैं। मुहावरों की तरह इनके अतिरिक्त अर्थ नहीं होते। इन्हें दृष्टान्त की तरह प्रयोग किया जाता है। मुहावरों में जरूरी नहीं कि हमारे लोक-जीवन के अनुभव हों, मगर लोकोक्तियाँ हमारे लोक-जीवन के अनुभवों का निचोड़ होती हैं।

6.6.2 मुहावरों की विशेषता

मुहावरों की मुख्य रूप से दो विशेषताएँ देखी जा सकती हैं चित्रात्मकता और शाब्दिक अर्थ से भिन्न अर्थबोध।

6.6.3 चित्रात्मकता

मुहावरे चूँकि हमारे सामने भावों के सजीव चित्र प्रस्तुत करते हैं, इसलिए इनमें लोकोक्तियों की तरह कथन सीधे-सपाट नहीं होते। उदाहरण के लिए अगर कहें कि 'वह डर गया' तो यह सामान्य कथन होगा लेकिन इसी को मुहावरे में कहें कि 'उसके हाथ पाँव फूल गए' तो यह विशिष्ट कथन हो जाएगा। इसी प्रकार 'चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना', 'बारह बजना', 'पगड़ी उछालना', 'बगलें झाँकना', 'झेंप मिटाना', 'धूल चटाना' आदि पदों के इस्तेमाल से कथन को चित्रात्मक बना कर उसके भावों को गम्भीर और प्रभावशाली बनाया जाता है। लेकिन मुहावरों की चित्रात्मक समझ पाठक या श्रोता के परिवेशगत और व्यक्तिगत अनुभव पर निर्भर करती है। जरूरी नहीं कि हिन्दी परिवेश का मुहावरा शाब्दिक अर्थ में किसी कन्नड़ परिवेश के व्यक्ति को भी ठीक उसी रूप में ग्रहण हो, जैसा कहा गया है। पठन के दौरान यह समस्या न सिर्फ भाषा की अधूरी समझ की वजह से पैदा होती है, बल्कि अनुवाद में भी उपस्थित हो जाती है। अगर अनुवादक मुहावरों के शाब्दिक अर्थ को समझते हुए अनुवाद करने की चेष्टा करे तो स्थिति हास्यास्पद हो उठती है। प्रेमचन्द की अनेक कहानियों में आए मुहावरों और लोकोक्तियों के अंग्रेजी अनुवादों में इसीलिए अक्सर अपूर्णता मिलती है। अतएव बार-बार इस बात पर जोर दिया जाता है कि अनुवादक को स्रोत और लक्ष्य दोनों भाषाओं की भाषिक संस्कृति से बखूबी परिचित होना चाहिए।

6.6.4 शाब्दिक अर्थ से भिन्न अर्थबोध

जैसा कि ऊपर हम बात कर आए हैं, मुहावरे चित्रात्मक होते हैं, उनका सीधे-सीधे अर्थ नहीं निकाला जा सकता। यानी मुहावरों में प्रयुक्त शब्दों का जो कोशीय अर्थ होता है, वे उससे भिन्न अर्थ देते हैं। जैसे 'भीगी बिल्ली बनना' मुहावरे को इसके शाब्दिक अर्थ के जरिए समझने की कोशिश करेंगे तो भाषा में इसके विशिष्ट प्रयोग का आनन्द नहीं लिया जा सकेगा। इसी तरह 'नौ दो ग्यारह होना', 'मक्खियाँ मारना', 'हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना', 'हाथ के तोते उड़ना', 'घोड़े बेच कर सोना' आदि मुहावरों की खासियत उनके भाषा में प्रयोग के जरिए पता चलती है। ऐसे में मुहावरों का अनुवाद करते समय उनके मूलार्थ की दृष्टि से विचार करना जरूरी होता है; शब्दार्थ की दृष्टि से नहीं।

6.7 लोकोक्तियों और मुहावरों का अनुवाद

हम ऊपर बात कर चुके हैं कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ भाषा के अनुभवमूलक प्रयोग पर आधारित होते हैं। इसलिए इनका प्रयोग औपचारिक भाषा की अपेक्षा संवेदनापरक भाषा में अधिक होता है। प्रशासनिक दस्तावेजों, कानूनी भाषा, विज्ञान और तकनीक में मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग की गुंजाइश कम होती है। साहित्य और पत्रकारिता की भाषा में इनका खूब इस्तेमाल होता है। इसलिए साहित्य और पत्रकारिता सम्बन्धी सामग्री का अनुवाद करते समय अनुवादक को अधिक सतर्क और रचनात्मक होने की जरूरत पड़ती है। इनमें शब्दशः अनुवाद से मुश्किलें पैदा हो सकती हैं।

लोकोक्तियों और मुहावरों से युक्त भाषा का अनुवाद करते समय अनुवादक को विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ता है :

अर्थ ग्रहण : चूँकि मुहावरे और लोकोक्तियों के व्यंजनात्मक अर्थ महत्त्वपूर्ण होते हैं, शाब्दिक अर्थ ग्रहण करने पर उनके प्रयोग का मकसद खत्म हो जाता है। इसलिए अनुवादक को इनके अनुवाद करने से पहले उनके व्यंजनात्मक अर्थों को समझना जरूरी होता है। उदाहरण के लिए 'घर की मुर्गी दाल बराबर' का अनुवाद करना हो तो समझना पड़ेगा कि इसकी व्यंजना क्या है। यानी जो चीज सहज उपलब्ध हो जाती है, उसका मोल आम तौर पर लोग नहीं समझते। उसका बेवजह इस्तेमाल करते, बरबाद करते हैं। अनुवादक को समझना पड़ेगा कि इस कथन में एक तरह का व्यंग्य है, विडम्बना है। इसलिए लक्ष्य भाषा में इसके समतुल्य मुहावरा तलाश करना पड़ेगा। अंग्रेजी में इसके लिए

Familiarity breeds conempt मुहावरा चलन में है। इसलिए शब्दानुवाद के बजाय समतुल्य मुहावरे का प्रयोग करना उचित होता है, इससे भाषा का प्रभाव बरकार रहता है। हालाँकि जरूरी नहीं कि हर बार किसी मुहावरे या लोकोक्ति का समतुल्य पद मिल ही जाए। वैसी स्थिति में अनुवादक को ऐसे पद गढ़ने की जरूरत पड़ती है, जो स्रोत भाषा के कथन की व्यंजना को सही ढंग से व्यंजित कर सके। इस सन्दर्भ में शेक्सपियर के नाटक *'मर्चेंट ऑफ वेनिस'* का भारतेन्दु हरिश्चन्द्र द्वारा अनूदित *'दुर्लभ बन्धु'* नाम से पुस्तक का एक अंश देखा जा सकता है :

पहले अंग्रेजी अंश :

Bass: *So many the outward shows be least themselves; The world is still deceiv'd with ornament. In law, what plea so tainted and corrupt, But, being season'd witha gracious voice, Obscures the show of evil? In religion, what damned error, but some sober brow will bless it, and approve it with a text, Hiding the grossness with fair ornament? There is no vice so simple, but assumes some mark of virtue on his outward parts. How many cowards, whose hearts are all as false.*

अब हिन्दी अनुवाद :

बसन्त : *सच है, जो पदार्थ देखने में भले और भड़कीले होते हैं वस्तुतः कुछ नहीं होते। संसार के लोग बाहरी चमक दमक में भूल जाया करते हैं। देखिए, कानून में कोई दलील कैसी ही झूठी और बेसिर पैर की क्यों न हो, यदि उसी को साधु भाषा में नमक मिर्च लगा कर कहिए तो उसका सब अवगुण छिप जाता है। उसी भाँति धर्म को देखिए तो कैसी ही घृणा के योग्य भूल क्यों न हो, कोई न कोई उपयुक्त युक्ति मनुष्य उसके प्रमाण में देकर उसे सराहेगा और उसके दोषों पर सुवर्ण का पर्दा डाल देगा। निरी बुराई पर भी बाहरी भलाई का मुलम्मा चढ़ जाता है।*

आपने ध्यान दिया कि इसमें बाहरी चमक दमक, बेसिर पैर की, नमक मिर्च लगा कर, सुवर्ण का पर्दा, मुलम्मा चढ़ जाना जैसे मुहावरों का बहुत सावधानी से और सटीक प्रयोग हुआ है। इसी तरह अनुवाद में समानार्थी पदों के प्रयोग की प्रायः जरूरत पड़ती है।

6.8 अंग्रेजी-हिन्दी मुहावरों के अनुवाद की तुलना

अंग्रेजी-हिन्दी मुहावरों की तुलना मुख्य रूप से दो तरह से की जा सकती है शब्दानुवाद की प्रक्रिया के तहत और भावानुवाद की प्रक्रिया के तहत। शब्दानुवाद की प्रक्रिया में समतुल्य मुहावरों की तलाश की जाती है। इसमें एक भाषा के समतुल्य शब्द दूसरी भाषा में भी पाए जाते हैं। मगर भावानुवाद की प्रक्रिया में अर्थ के अनुरूप मुहावरों की तलाश की जाती है। इसमें शब्द हू-ब-हू समान नहीं होते, लेकिन व्यंजना समान भावों की होती है। कुछ उदाहरणों के जरिए इसे समझा जा सकता है :

6.8.1 शब्दानुवाद

शब्दानुवाद

To break a magic spell	तिलिस्म तोड़ना
To feel obliged	एहसान मानना
To have a long tongue	गज भर की जबान रखना
To take rot	जड़ पकड़ना
To pull someone's leg	टांग खींचना
To throw dust in eyes	आँखों में धूल झोंकना
To change colours	रंग उड़ जाना
To feel the pulse	नब्ज टटोलना
To have a thick skin	मोटी चमड़ी का होना

6.8.2 भावानुवाद

भावानुवाद

To look into each other's eyes	आँखें चार होना
To have no linking	फूटी आँख न भाना
A close call	बाल बाल बचना
To change front	पैंतरे बदलना
To empty the bag	सारी कहानी कह डालना
To come back to earth	आँखें खुल जाना
To fall flat	धूल चाटना
To buy for a song	कौड़ियों के मोल खरीदना

6.8.3 रंजक, विशिष्ट प्रयोग आदि

इसी प्रकार भाषा में अनेक वाक्य का रंजक प्रयोग भी मुहावरे का रूप ले लेता है। इनके शाब्दिक अर्थों को समझते हुए अनुवाद करने के बजाय भावों को समझते हुए लक्ष्य भाषा में प्रयुक्त इनके समतुल्य पदों का प्रयोग करना पड़ता है। कुछ उदाहरणों से इन्हें समझा जा सकता है :

To break one's word	कसम तोड़ना
To come out of one's cell	खुल पड़ना
To keep breath	चुप साधना
To give a deaf ear	कान न देना
To hush up	दबा देना
To catch on	चल पड़ना
appear unanounced	आ घुसना
To get at someone	टांग खींचना

इसी तरह कुछ सामान्य बातों को विशिष्ट बना कर प्रयोग किया जाता है तो वे भी मुहावरे जैसा प्रभाव छोड़ती हैं। ऐसे प्रयोग हर भाषा में देखने को मिलते हैं। कुछ प्रयोग निम्नलिखित हैं :

To pull the sting	ऊँगली पर नचाना
To be nuts about	लट्टू होना
To lose wits	अक्ल पर पत्थर पड़ना
To be overwhelmed with grief	छाती फटना
To be alarmed	कान खड़े होना
To run like a hare	हवा से बातें करना

कुछ भाषा प्रयोग समाज में जीवन के अनुभवों पर आधारित होते हैं। ऐसे प्रयोग भाषा में देखने को मिलते हैं :

To be in clover	चैन की बंशी बजाना
To buy over	मुट्ठी गरम करना
To cut no ice	दाल न गलना
To do the impossible	चलनी में पानी भरना
To achieve victory	झण्डा गाड़ना
To be green with envy	छाती पर साँप लोटना

कुछ प्रयोग प्राचीन कथाओं, मिथकों की घटनाओं, उनके चरित्रों के क्रिया व्यापारों के आधार पर मुहावरे की तरह भाषा में आते हैं। उदाहरण के लिए :

Frankensteine monster	भस्मासुर
Achilles heel	दुर्योधन की जाँघ, रावण की नाभि
To make a move	श्रीगणेश करना
Herculian task	भगीरथ प्रयत्न
As proud as Lucifer	दुर्योधन या कंस या रावण-सा घमण्डी

ऐसे अनेक मुहावरे मनुष्य के हावभाव के माध्यम से व्यक्त हुए हैं जैसे दाँतों तले ऊँगली दबाना, कमर कसना, घुटने टेक देना, हाथ-पाँव फूल जाना, मुँह फुलाना, नाकों चने चबाना...आदि। इसी तरह रहन-सहन, वेश-भूषा से सम्बन्धित मुहावरे भी बने हैं। जैसे दाल-रोटी कमाना, लंगोट कसे रहना, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना।

अंग्रेजी में अनेक ऐसे भी मुहावरे हैं, जिनके हिन्दी में एक से अधिक पर्याय मौजूद हैं। अनुवाद करते समय भावों के अनुरूप उनमें से सावधानी पूर्वक उपयुक्त पद का चुनाव करना पड़ता है। ऐसे कुछ प्रयोगों को देखा जा सकता है :

To leave no stone unturned	एँड़ी चोटी का जोर लगाना
	खून पसीना एक करना
	जमीन आसमान एक करना
	आकाश पाताल एक करना
To lose heart	हथियार डाल देना
	जी छोटा करना
	हिम्मत हारना
To be seen once in a blue moon	ईद का चाँद होना
	गूलर का फूल होना
To build castles in the air	खयाली पुलाव पकाना
	मन में मोदक खाना
	हवाई किले बनाना
To do away with	रफा-दफा करना
	खत्म करना
	काम तमाम करना

6.9 अंग्रेजी-हिन्दी लोकोक्तियों के अनुवाद की तुलना

लोकोक्तियों के मामले में अंग्रेजी और हिन्दी में अनेक स्तरों पर समरूपता देखी जा सकती है। बहुत सारी ऐसी लोकोक्तियाँ मिल जाएँगी, जिनमें दोनों भाषाओं के शब्दार्थ के स्तर पर काफी समानता दिखाई देती है। इसी प्रकार भावाभिव्यंजना के स्तर पर भी यह समानता देखी जा सकती है। लेकिन सूक्ष्मता से इनकी तुलना की जाए तो सामाजिक, सांस्कृतिक, मूल्यगत, अनुभवगत आधारों पर इनमें काफी भिन्नता भी दिखाई देती है। जैसा कि हम ऊपर बात कर चुके हैं, लोकोक्तियाँ लोक-जीवन के अनुभवों से उत्पन्न हुई हैं, अंग्रेजी और हिन्दी क्षेत्र की सांस्कृतिक-सामाजिक बनावट में भिन्नता होने की वजह से लोकोक्तियों की बनावट और व्यंजना में भी भिन्नता स्वाभाविक है।

मुहावरों की तरह लोकोक्तियों के अनुवाद में भी मुख्य रूप से शब्दानुवाद और भावानुवाद के स्तर पर चयन की जरूरत पड़ती है।

6.9.1 शब्दानुवाद

शब्दानुवाद

विदित है कि अंग्रेजी के प्रभाव में रहने के कारण हिन्दी में बहुत सारे तत्त्व अंग्रेजी के घुल-मिल गए हैं। इसी प्रकार शब्दानुवाद के माध्यम से अनेक लोकोक्तियाँ हिन्दी का अंग बन चुकी हैं। ऐसे अनुवाद कहीं-कहीं शब्दशः अनुवाद के रूप में मिलते हैं तो कहीं-कहीं प्रकृति के अनुरूप शब्दों या भावों का निर्धारण मिलता है। हालाँकि लोकोक्तियों का शब्दशः अनुवाद करने से सांस्कृतिक स्तर पर गड़बड़ियों की आशंका बनी रहती है, इसलिए इस प्रक्रिया से बचा जाता है, मगर अंग्रेजी में हिन्दी के समतुल्य लोकोक्तियों का अभाव होने के कारण शब्दानुवाद के माध्यम से इसे सामने लाया गया। उदाहरण के लिए, शब्दानुवाद की प्रक्रिया से बनी लोकोक्तियों को देखा जा सकता है :

तूफान के बाद की शान्ति	After a storm comes calm
मेले के बाद सूना	A day after the fair
मित्र वही जो वक्त पर काम आए	Friend in need is friend indeed
सादा जीवन उच्च विचार	Simple living high thinking
जैसा बोओगे वैसा काटोगे	As you sow, so must you reap
जहाँ चाह वहाँ राह	Where there is a will there is a way
दूर के ढोल सुहाने	Far fowls have fair feathers
घर की मुर्गी दाल बराबर	Familiarity breeds contempt
लोहे को लोहा काटता है	Diamond cuts diamond

ऐसी अनेक लोकोक्तियाँ अंग्रेजी में मौजूद हैं, आप भी उन्हें तलाशकर, तुलना कर, व्यवहार में लाने की कोशिश कर सकते हैं।

6.9.2 भावानुवाद

भावानुवाद के स्तर पर लोकोक्तियों की तुलना मुख्य रूप से पाँच आधारों पर की जा सकती है लोकजीवन के आधार पर, सामाजिक अनुभवों के आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर, मूल्यगत आधार पर और दृष्टान्त के आधार पर। भावानुवाद के स्तर पर दोनों भाषाओं में पर्याप्त भेद देखे जा सकते हैं। कुछ उदाहरणों से उन्हें इस तरह समझा जा सकता है :

लोकजीवन :

आ बैल मुझे मार	To ask for it
सब धान बाईस पसेरी	To serve with the same sauce
भागते भूत की लंगोटी भली	Something is better than nothing
चोर चोर मौसेरे भाई	As thick as thieves
घोड़े बेच कर सोना	Carefree sleep
एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा	A bad man in a bad company

सामाजिक अनुभव :

नाच न जाने आँगन टेढ़ा	A bad workman quarels with tools
का बरखा जब कृषि सुखाने	After death the doctor
बिना मथे मक्खन नहीं निकलता	You can not make an omlett without breakig eggs
लौट के बुद्धू घर को आए	Bad penny always turn up
जो गरजते हैं वो बरसते नहीं	Barking dogs seldom bite
इधर कुआँ उधर खाई	Between the devil and the deep sea
भैंस के आगे बीन बजाना	To cast pearls before the swine

सांस्कृतिक आधार :

मुँह में राम बगल में छुरी	To sail under false colours
दान की बछिया के दाँत नहीं गिने जाते	Beggers can not be the choosers
अमावस की रात की तरह काला	As dark as pitch

मूल्यगत आधार :

अति सर्वत्र वर्जयेत	Exess of everything is bad
थोथा चना बाजे घना	Empty vessels makes much noise
बूँद बूँद से तालाब भरता है	Each drop fills the pither
चिन्ता चिता समान	Care kills the cat
भगवान के यहाँ देर है, अन्धेर नहीं	Mills of gods grind slowly

दृष्टान्तों के आधार पर :

हिम्मते मरदाँ, मर्दते खुदा	God helps those who helps themselves
समरथ को नहिं दोष गुसाईं	Rich men have no faults
जागत है सो पावत है	Early birds catch worm
आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे	If you run after tow hares you will cach none
जाको राखे साइयाँ मार सके न कोय	God tempers the wind

ऐसे ही अनेक मुहावरों और लोकोक्तियों को अंग्रेजी के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं में भी समतुल्य मुहावरों और लोकोक्तियों को तलाशा जा सकता है। कुछ उदाहरण भारतीय भाषाओं से इस तरह हैं :

मराठी : द्रांक्षे आँबट होणें
हिन्दी : अंगूर खट्टे होना

मराठी : आकाश भोक पड़नें
हिन्दी : मूसलाधार बारिश

बांग्ला : चोखे धूल देओया
हिन्दी : आँखों में धूल झोंकना

पंजाबी : नान्नी याद आणा
हिन्दी : नानी याद आना

ओड़िया : आँखिर काँटा होबा
हिन्दी : आँख का काँटा होना

ओड़िया : जेहिं पद्‌म तेहिं भ्रमर
हिन्दी : जहाँ गुड़ होगा, वहाँ चींटे भी होंगे

कश्मीरी : चूठिस बुछिस चूठ रंग रटान
हिन्दी : खरबूजे को देख कर खरबूजा रंग बदलता है

तेलुगु : पेरु गोप्प ऊरुदिब्बे
हिन्दी : नाम बड़े पर दर्शन छोटे

तेलुगु : नडमन्तरपु वेष्णवनीकि नामालु मेडु (नया वैष्णव खूब तिलक लगाता है)
हिन्दी : नया मुल्ला प्याज बहुत खाता है

ऐसे अनेक मुहावरे और लोकोक्तियाँ भारतीय भाषाओं में मौजूद हैं। उन्हें तलाशकर शब्दानुवाद और भावानुवाद के स्तर पर तुलना करते हुए उनका विश्लेषण किया जा सकता है।

6.10 सारांश

अनुवाद में शब्द चयन का बड़ा महत्त्व है। इसमें सावधानी बरतने की जरूरत पड़ती है। शब्दों का चयन करते समय सही शब्दकोश सही ढंग से देखा जाना चाहिए।

शब्द संयोगों का अनुवाद करते समय भाषा की प्रकृति और भावों को समझना जरूरी होता है। रचनात्मक साहित्य का अनुवाद करते समय शब्द संयोगों के पर्याय चयन में नए पद गढ़ने की छूट ली जा सकती है, मगर तकनीकी साहित्य के अनुवाद में प्रचलित और स्वीकृत पदों का चयन करना होता है। शब्दकोशों में एक शब्द के कई पर्याय दिए गए होते हैं, इसलिए उनमें से सावधानी पूर्वक सही पर्याय का चयन करना होता है। बहुत सारे प्रचलित शब्दों के पर्याय ढूँढ़ना मुश्किल होता है। इसके लिए बातचीत में प्रयुक्त शब्दों का चयन उपयुक्त रहता है। अंग्रेजी में तकनीकी क्षेत्र में प्रायः नए शब्दों का इस्तेमाल होता है। ऐसे शब्दों के पर्याय तलाशना कठिन है, इसलिए आम तौर पर नए तकनीकी शब्दों को जस का तस इस्तेमाल करना अनर्थ से बचने की दृष्टि से सुरक्षित माना जाता है।

भाषा में प्रभाव और चारुता उत्पन्न करने की मंशा से मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग होता है। प्रायः हर भाषा में सामाजिक-सांस्कृतिक बनावट के अनुरूप लोकोक्तियाँ और मुहावरे मौजूद हैं। लोकोक्तियों और मुहावरों का शब्दशः अनुवाद अर्थ की ग्राह्यता और प्रभाव को नष्ट कर देता है, इसलिए इनके भावों को समझते हुए समतुल्य लोकोक्तियों और मुहावरों का चयन करना पड़ता है। लोकोक्तियों और मुहावरों की समतुल्यता मुख्य रूप से दो आधारों पर तलाश की जाती है शब्दानुवाद के आधार पर और भावानुवाद के आधार पर।

6.11 अभ्यास के लिए प्रश्न

निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दें :

1. अनुवाद करते समय शब्दों के चयन में सावधानी बरतने की जरूरत क्यों पड़ती है?
2. शब्द-संयोगों का अनुवाद करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
3. शब्द-संयोगों के पर्याय चयन में एक शब्द वाले प्रचलित शब्दों का चयन क्यों महत्त्वपूर्ण होता है?
4. निम्नलिखित शब्द-संयोगों के हिन्दी पर्याय लिखिए-
   - क. Weak points
   - ख. bad manners
   - ग. land revenue
   - घ. Foundation stone
   - च. sunstroke
5. अनुवाद करते समय कोश का सावधानीपूर्वक उपयोग क्यों जरूरी होता है?
6. बहु-प्रचलित शब्दों के पर्याय ढूँढ़ने में किस तरह की मुश्किलें पेश आती हैं?
7. भाषा में लोकोक्तियों और मुहावरों का महत्त्व स्पष्ट करें।
8. निम्नलिखित शब्दों के हिन्दी पर्याय लिखें :
   - क. global warming
   - ख. unofficial
   - ग. professional
   - घ. vice versa

9. अंग्रेजी-हिन्दी मुहावरों और लोकोक्तियों का अनुवाद करते समय किन स्तरों पर तुलना करनी पड़ती है?

10 निम्नलिखित लोकोक्तियों और मुहावरों के समतुल्य लोकोक्ति और मुहावरे हिन्दी में लिखें :

क. Each drop fills the pitcher

ख. As thick as thieves

ग. Empty vessels makes much noise

घ. To send a sow to Minerva

च. Far fauls have fair feathers

छ. Frankenstien monster

ज. To do the imposible

झ. To be in clover

11. लोकोक्तियों और मुहावरों का अनुवाद करते समय किस प्रकार की सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं?

12. मुहावरों का अनुवाद करते समय किन आधारों पर समतुल्यता करनी पड़ती है?

5.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें

- *प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957*
- मिश्र, जयप्रकाश(डॉ.), *बौद्धिक सम्पदा अधिकार : एक परिचय,* इलाहाबाद, सेण्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स।
- Bhandari, M.K., *Intellectual Property Rights*, Allahabad, Central Law Publication.
- खन्ना, सन्तोष, *भारतीय कानूनों का समाज शास्त्रा,* दिल्ली, भारत ज्योति प्रकाशन।
- गुप्त, गार्गी एवं टण्डन, पूरनचन्द (सं.), *अनुवाद बोध,* नई दिल्ली, भारतीय अनुवाद परिषद।
- टण्डन, पूरनचन्द, *अनुवाद साधना,* दिल्ली, अभिव्यक्ति प्रकाशन।
- टण्डन, पूरनचन्द एवं सेठी, हरीश कुमार, *अनुवाद के विविध आयाम,* नई दिल्ली, तक्षशिला प्रकाशन।
- भाटिया, कैलाश चन्द्र, *अनुवाद कला : सिद्धान्त और प्रयोग,* नई दिल्ली, तक्षशिला प्रकाशन।
- टण्डन, पूरनचन्द (सं.), *अनुवाद शतक (भाग 1 एवं 2),* नई दिल्ली, भारतीय अनुवाद परिषद।
- सिंहल, सुरेश, *अनुवाद : संवेदना और सरोकार,* दिल्ली, संजय प्रकाशन।
- तिवारी, भोलानाथ, *अनुवाद विज्ञान,* हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय।
- अय्यर, एन.ई. विश्वनाथ, *अनुवाद कला,* दिल्ली, प्रभात प्रकाशन।
- कुमार, सुरेश, *अनुवाद सिद्धान्त की रूपरेखा,* नई दिल्ली, वाणी प्रकाशन।
- *अनुवाद (पत्रिका),* अनुवाद कला का प्रशिक्षण विशेषांक, अंक 53, नई दिल्ली, भारतीय अनुवाद परिषद।
- शर्मा, रामविलास, *भाषा और समाज,* नई दिल्ली, राजकमल प्रकाशन।
- श्रीवास्तव, रवीन्द्र, *हिन्दी भाषा का समाजशास्त्र,* नई दिल्ली, राधाकृष्ण प्रकाशन।
- कर्वे, इरावती, चण्डीगढ़, हरियाणा साहित्य अकादमी।
- *हिन्दी साहित्य कोश,* वर्मा, धीरेन्द्र (संपा.), *भारत में बन्धुत्व संगठन,* वाराणसी, ज्ञानमण्डल लिमिटेड।

इकाई 7 विषय, भाषा और संस्कृति सम्बन्धी अनुवादक की दक्षता

इकाई की रूपरेखा

7.1 उद्देश्य

7.2 प्रस्तावना

7.3 अनुवाद : कार्यक्षेत्र, दायित्व एवं अपेक्षाएँ

7.4 अनूद्य सामग्री का कथ्य और उसका महत्त्व

7.5 अनुवादक की कथ्य विषयक विशेषज्ञता

7.6 भाषा की अवधारणा और महत्त्व

7.7 अनुवाद में स्रोत एवं लक्ष्य भाषा की भूमिका

7.8 अनुवादक का स्रोत एवं लक्ष्य भाषा विषयक ज्ञान

7.9 संस्कृति : अभिप्राय, महत्त्व और आयाम

7.10 अनुवादक का सांस्कृतिक बोध

7.11 सारांश

7.12 अभ्यास के लिए प्रश्न

7.13 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

7.14 कुछ उपयोगी पुस्तकें

7.1 उद्देश्य

यह इकाई अनूद्य पाठ के विषय, भाषा और संस्कृति सम्बन्धी अनुवादक की दक्षता से सम्बन्धित है। इस इकाई को पढ़ने से अनुवाद अध्ययन में एम. ए. करनेवाले शिक्षार्थियों को अनुवाद करते समय पाठ के विषय, भाषा और संस्कृति सम्बन्धी अनुवादक की दक्षता की संक्षिप्त जानकारी मिलेगी।

इस इकाई में अनुवादक की दक्षता पर प्रकाश डाला गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि एक बेहतर अनुवादक में किन दक्षताओं का होना अनिवार्य है, और उन्हें किस प्रकार अपने दायित्वों का निर्वाह करना चाहिए। इस इकाई में इस जिज्ञासा का समाधान हो सकता है कि कोई अनुवादक कथ्यबोध द्वारा कैसे अनुवाद-कर्म को पूर्ण करता है तथा भाषा ज्ञान द्वारा वह किस प्रकार सूचना या तथ्य को सम्प्रेषित करता है? कोई अनुवादक सांस्कृतिक तत्त्वों का अनुवाद किस प्रकार करता है?

इस इकाई के अध्ययन से जाना जा सकता है कि :

- अनुवादक के कार्यक्षेत्र एवं दायित्व क्या-क्या हैं?
- अनुवादक मूल कथ्य की समझ एवं उसका अनुवाद किन विधियों से करता है?
- भाषा का स्वरूप कैसा है तथा उसका आज के जीवन में क्या महत्त्व है?
- एक बेहतर अनुवादक के भाषा ज्ञान की सीमा क्या होनी चाहिए?
- स्रोत भाषा एवं लक्ष्य भाषा विषयक ज्ञान का सही उपयोग कैसे किया जा सकता है?
- संस्कृति क्या है तथा वह किन रूपों में अभिव्यक्त होती है?
- सांस्कृतिक तत्त्वों के बोध द्वारा कोई अनुवादक किस प्रकार अनुवाद कर्म पूर्ण करता है?

7.2 प्रस्तावना

भाषान्तरण की कलात्मक प्रक्रिया का परिणाम अनुवाद है। दो भिन्न भाषाओं के बीच संवाद स्थापित करते हुए एक भाषा के पाठ का दूसरी भाषा में अन्तरण करना अनुवाद है। अनुवाद कर्म में भाषा का अन्यतम स्थान है। हर भाषा की अपनी पृथक संरचना एवं महत्ता होती है। कोई कथ्य या विषय जिस भाषा विशेष में व्याख्यायित होता है, उसमें उस जनपद का समाज, संस्कृति, परिवेश, निजी विशिष्टता भरी होती है। सभी विषयों और प्रसंगों के अपने सांस्कृतिक एवं पारम्परिक मान होते हैं। अनुवाद के दौरान स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में पाठ का अन्तरण संस्कृति समेत किया जाता है। अर्थात अनुवाद की सम्पूर्ण प्रक्रिया विषय, भाव, संस्कृति एवं भाषा के इर्द-गिर्द घूमती रहती है। इस पूरी प्रक्रिया में अनुवादक भाषा विशेष के पाठ को मूल पहचान एवं संस्कृति सहित आत्मसात करता है, और उसे दूसरी भाषा में उस भाषा की प्रकृति के अन्तर्गत विश्लेषित एवं व्याख्यायित करता है।

अनुवाद राष्ट्र, समाज, परम्परा, साहित्य एवं भाषा को जोड़ने का कार्य है। अतएव एक अनुवादक में इन सारे तत्त्वों की पूर्ण जानकारी एवं सिद्धहस्तता होनी चाहिए। हर अनुवादक का दायित्व-फलक विराट और महत्त्वपूर्ण माना गया है। इस इकाई में अनुवाद के सन्दर्भ में अनुवादक की योग्यताओं की चर्चा करते हुए अनुवादक के विषय, भाषा और संस्कृति सम्बन्धी ज्ञान के आधार की जानकारी हासिल की जाएगी। भाषाई बोध के अलावा हर अनुवादक को विषय विशेष की पूरी समझ होनी चाहिए। उन्हें संस्कृति के प्रत्येक आयाम का बोध भी होना चाहिए तथा भाषा की संरचनात्मक जानकारी सूक्ष्मता से होनी चाहिए। एक बेहतर अनुवादक द्वारा विशिष्ट अनुवाद सामने आने की यह अनिवार्य शर्त है। इसके बिना ज्ञान अथवा मूल तथ्य को सार्वजनिक कर पाना असम्भव है। इस सन्दर्भ में विचार करने से पूर्व अनुवादक के दायित्व एवं कार्यक्षेत्र को जानना उचित होगा।

7.3 अनुवाद : कार्यक्षेत्र, दायित्व एवं अपेक्षाएँ

विदित है कि अनुवाद एक बौद्धिक प्रक्रिया का परिणाम है। यह एक ऐसी भाषिक प्रक्रिया है जिसमें एक भाषा में लिखी गई रचना के मूल कथ्य, उसके सहज वैशिष्ट्य एवं शैली विशेष को दूसरी भाषा में इस प्रकार से अन्तरित किया जाता है कि मूल पाठ का सौन्दर्य अक्षुण्ण रहे। उल्लेखनीय है कि अनुवाद मूल रचना से प्रतिस्पर्धा-भाव नहीं रखता, बल्कि वह भाषायी बन्धन को काटकर मूल रचना को सार्वजनिक करता है। स्रोत पाठ के मूल भाव को नष्ट किए बिना उसकी पूर्ण महत्ता एवं प्रकृति के साथ दूसरी भाषा में उसके कायान्तरण का सम्पूर्ण श्रेय अनुवादक को ही जाता है। तथ्य है कि हर व्यक्ति सभी भाषाओं की जानकारी नहीं रखता, ऐसे में अनुवाद प्रस्तुत करते हुए अनुवादक के समक्ष मूल रचना के स्वभाव के प्रति बड़ा दायित्व खड़ा रहता है। अनुवादक दोहरी मानसिकता लेकर चलने वाला वह व्यक्ति होता है जिस पर स्रोत एवं लक्ष्य– दोनों भाषाओं के प्रति वफादार रहने की जिम्मेदारी होती है।

एक श्रेष्ठ अनुवादक का स्रोत भाषा एवं लक्ष्य भाषा– दोनों पर समान रूप से अधिकार होना चाहिए ताकि वह एक भाषा के शब्द, लय, ताल, सन्दर्भ एवं परम्परा में निहित अर्थ को समझ सके; शब्दों में समाहित ध्वनि सुन सके और उसकी गहराई में जाकर उसके अनुरूप दूसरी भाषा के सही, सुसंस्कृत एवं सटीक शब्द रख सके। अनुवादक को दोनों भाषाओं की प्रकृति तथा प्रवृति का ज्ञान होना जरूरी है। यह भी वांछित है कि दोनों भाषाओं के साहित्य के प्रति उन्हें समान भाव से रुचि हो, दोनों के इतिहास एवं संस्कृति की पूर्ण जानकारी हो। अनुवादक का मूल धर्म या दायित्व यही है कि वह अपनी क्षमता एवं सामर्थ्य का सटीक प्रयोग करते हुए मूल रचना के समानान्तर नई रचना सृजित करे। वह एक भाषा के शब्दों, वाक्यों, वाक्यांशों, लोकोक्ति-मुहावरों का दूसरी भाषा में समानार्थी विकल्प भर न ढूँढे, बल्कि मूल रचना की आत्मा, सौन्दर्य, समृद्धि एवं उसकी निजी विशेषताओं की गरिमा को यथावत समझे और और लक्ष्य भाषा में समानान्तर रचना सृजित करे। यह अनुवादक का मौलिक धर्म है। अनुवाद के सन्दर्भ में एक अनुवादक का सृजक होना आवश्यक माना गया है। सृजन कौशल के बूते ही वह अपने निजी वैशिष्ट्य से मूल रचना को आत्मसात कर समाज के लिए एक नई रचना प्रस्तुत करता है, और समाज के लोग उन नवीन भावों से युक्त हो ज्ञान को आत्मसात करते हैं।

अनुवाद-कार्य अनेक क्षेत्रों में हो रहा है। साहित्य, कला, विज्ञान, विधि, बैंक, विविधि कार्यालय, दृश्य-श्रव्य एवं मुद्रित पत्रकारिता, ज्ञान-विज्ञान की समस्त शाखाओं आदि में अनुवाद कार्य विपुल मात्रा में हो रहा है। इनके अलावा धर्म, शिक्षा, संस्कृति एवं दर्शन के प्रचार-प्रसार एवं प्रोन्नयन में भी अनुवाद का बड़ा योगदान है। अनुवाद की इस व्यापकता के अनुसार अनुवादक का कार्यक्षेत्र भी निरन्तर विकसित हो रहा है। श्रेष्ठ अनुवादक वही है जो बहुज्ञ बन अपने कार्य-क्षेत्र का फलक निरन्तर बढ़ाता रहे। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में भी अनुवाद की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। अतः भाषाभिवृद्धि, परस्पर एकात्मभाव एवं वैचारिक आदान-प्रदान हेतु अनुवादक की गरिमामय भूमिका की आवश्यकता अनुभव की जाती है। एक श्रेष्ठ अनुवादक अपने अनुवाद के जरिए विविध भाषाओं की मौलिकता, उसके वैशिष्ट्य एवं उसके साहित्य के प्रचार-प्रसार में अपनी बहुमूल्य भूमिका अदा करता है। प्रादेशिक भाषा के साहित्य की सार्वदेशिक प्रतिष्ठा में अनुवादक का अमूल्य योगदान होता है। इस अर्थ में एक अनुवादक व्यापक एवं उदार दृष्टिकोण का पोषक भी है। इन जिम्मेदारियों के मद्देनजर आज अपेक्षा की जाती है कि एक अनुवादक को भाषा-ज्ञान, विषय-ज्ञान के साथ-साथ भाषा-शैली और विधा के कौशल से भी सघन परिचय होना चाहिए। इन विशिष्टताओं में उनका सम्पूर्ण धर्म, दायित्व एवं कार्य समाहित रहता है।

भाषा एक तरफ भावों की अभिव्यक्ति का मूल साधन है, तो दूसरी तरफ अनुवाद-कार्य का अपरिहार्य आधार। अनुवाद-प्रक्रिया भाषा में आरम्भ होकर भाषा में ही समाप्त होती है। अनुवादक के समक्ष दो भाषाएँ आती हैं। ऐसे में अनुवादक को स्रोत एवं लक्ष्य दोनों भाषाओं की समस्त सूक्ष्मताओं, उनके सौन्दर्य रूपों को न केवल गम्भीरता से समझना होता है, बल्कि उनको आत्मसात कर नवीन रूपों का सृजन भी करना पड़ता है। इसलिए एक समर्थ अनुवादक को भाषा की सम्पूर्ण संरचनापरक विशिष्टताओं, उनकी प्रकृति एवं उसके व्यावहारिक रूप का पूर्ण बोध होना चाहिए। इसी बोध के द्वारा वह दो भिन्न-भिन्न अस्तित्व रखने वाली भाषाओं में साहचर्य स्थापित कर उनमें उपजे ज्ञान को सर्वसुलभ बनाता है। स्रोत भाषा के हर पाठ में किसी न किसी विषय के महत्त्वपूर्ण भाव सम्प्रेषित होते हैं। अनुवादक को स्रोत भाषा में प्रतिपादित उस विषय विशेष का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। विषय ज्ञान के अभाव में अनुवादक उस अनुवाद में रह गई त्रुटियों से अवगत नहीं होगा। इसलिए अनुवादक का दायित्व भाषा ज्ञान से आरम्भ होकर विषय ज्ञान की ओर जाते हुए विस्तृत एवं व्यापक होता जाता है। कई बार तो एक ही विषय में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक दृष्टियाँ समाहित रहती हैं, और हर विषय की अपनी विशिष्ट शब्दावली, अवधारणाएँ एवं मान होते हैं। यदि अनुवाद-कार्य पूरी तरह निष्पक्ष भाव से पूरा करना है तो अनुवादक को विषय विशेष के इन मानों, भावों एवं अवधारणाओं का पूर्ण ज्ञान होना भी परमावश्यक है।

हर मूल रचना में भावों की अभिव्यक्ति की अपनी विशिष्ट शैली होती है। उसी तरह हर रचनाकार की भावाभिव्यक्ति भी अपनी विशिष्ट शैली में होती है। जाहिर है कि अनुवादक की भी अपनी विशिष्ट शैली होती है। हर भाषा या विषय लेखन की अपनी निजी विशिष्टता या शैली होती है। अनुवादक का परम दायित्व बनता है कि वे भाषा एवं विषय के साथ-साथ शैली का भी अन्तरण करें और उसके साथ पूर्ण न्याय करें। अनुवाद पर अनुवादक की शैली का वर्चस्व हर समय श्रेयस्कर और सहज स्वीकार्य नहीं होता, बल्कि उनका प्रयास होना चाहिए कि अनुवाद में अनूदित कृति और कृतिकार की शैली पूर्ण रूप से अभिव्यक्त हो। अनुवादक का पहला कर्तव्य यही होता है कि वह लेखकीय शैली का आकलन करे। तत्पश्चात अनूद्य सामग्री की विधागत विशिष्टता को आत्मसात करे और फिर एक समेकित दृष्टि से अनुवाद कार्य को आगे बढ़ाए। अनुवाद विधा के नियमों एवं प्रयोगों से पूरी तरह अवगत होने के पश्चात अनुवाद कार्य में हाथ लगाना श्रेयस्कर होता है। अर्थात् एक अनुवादक की त्रिविध निष्ठा जरूरी है। अनुवाद कार्य के प्रति निष्ठा, रचना के प्रति समर्पण का भाव, मूल सर्जक के प्रति विश्वास भाव, विषय का सम्पूर्ण ज्ञान आदि ऐसे तत्व हैं जिससे अनुवाद सुगम एवं स्पष्ट होता है, अनुवाद कार्य के प्रति जनसमाज में अभिरुचि जाग्रत होने की अपरिहार्य शर्तें हैं। भाषा ज्ञान, विषय विशेषज्ञता, संस्कृति की अभिव्यक्ति एवं रोचक शैली-प्रयोग द्वारा कोई अनुवादक जो उदार दृष्टिकोण उत्पन्न करता है, वही दृष्टिकोण अनुवाद में आनन्द एवं चमत्कार का तत्व भरता है। अर्थात् अनुवादक का दायित्व और धर्म-निष्ठा एवं बहुज्ञता से पूर्ण माना गया है।

अनुवाद एक वैज्ञानिक प्रणाली भी है जिसका सम्बन्ध प्रणालीबद्ध निश्चित नियमों से माना जाता है। प्रायोगिक भाषाविज्ञान के अन्तर्गत इसकी चर्चा उपयोगी है। अनुवाद से पूर्व की चिन्तन प्रक्रिया तुलनात्मक या व्यतिरेकी

भाषाविज्ञान पर पूर्णतः आधारित होती है। हर अनुवादक अनूदित पाठ की वस्तुनिष्ठता का तर्कसम्मत, निरपेक्ष, सटीक एवं शुद्ध विश्लेषण करता है। वह मूल कृति के सही अर्थों को जानकर उसका अनुवाद करता है। अनुवाद की सहायक सामग्रियों अर्थात् शब्दकोश, विश्वकोश, व्याकरण आदि का प्रयोग कर शुद्ध अर्थ पर बल देता है। अर्थात् अनुवादक का तत्वान्वेषी या वैज्ञानिक होना भी जरूरी है। इस विज्ञान का सहारा लेकर ही अनुवादक कृति के सत्य को शिल्पकार की भाँति आकार देता है। वह अनेकें आधारों का सहारा लेकर एक भाषा के तत्त्व को दूसरी भाषा में नया रूप देता है। अपने कौशल एवं अभ्यास से मूल तथ्य के उस सौन्दर्य का पुनर्सृजन प्रस्तुत करता है जिसे मूलकृति प्रस्तुत करने वाली थी। इस प्रकार समय समय पर वह शिल्पकार एवं कलाकार की भूमिका भी निभाता है। स्पष्ट है कि अनुवादक एक साथ वैज्ञानिक, कवि, सर्जक, कलाकार, शिल्पकार, व्याकरणविद्, रसभोक्ता, आलोचक, विद्वान आदि अनेक भूमिकाओं में होता है, और दो भिन्न भाषाओं में ज्ञान का विस्तार कर एकता और समन्वय उत्पन्न कर एकान्विति का भाव प्रेषित करता है।

7.4 अनूद्य सामग्री का कथ्य और उसका महत्त्व

अनुवाद दो भाषाओं के समन्वय एवं वैचारिक आदान-प्रदान का सशक्त माध्यम है। अनुवाद-कर्म को पुनर्प्रस्तुतीकरण, भावगत सम्प्रेषण, कलात्मक सम्प्रेषण, शब्दगत सम्प्रेषण, यथावत प्रस्तुतीकरण इत्यादि अनेक नाम दिया जाता रहा है। उपर्युक्त समस्त नाम अनुवाद की महत्ता, आवश्यकता एवं व्यापकता को अंकित करते हैं। अनुवाद एक ऐसी श्रमसाध्य एवं कठिन कला है जिसका मूल उद्देश्य दो भाषाओं में समन्वय लाना है। अनुवाद-कर्म से सम्बद्ध दोनों भाषाओं (स्रोत भाषा एवं लक्ष्य भाषा) की संस्कृति, इतिहास, सभ्यता, परम्परा, विचार सर्वथा भिन्न हो सकती है। ऐसे में दोनों भाषाओं के बीच सामंजस्य बिठाते हुए स्पष्टता, सरलता एवं सहजता बनाए रखने का अनुवादक का दायित्व बहुत बड़ा हो जाता है। अनुवाद के दौरान हर अनुवादक स्रोत भाषा के कथ्य एवं शिल्प को सहज अभिव्यक्ति के साथ लक्ष्य-भाषा में यथासम्भव सुरक्षित रखने की कोशिश करता है। स्पष्ट है कि अनुवाद के दौरान एक अनुवादक पर बड़ी जिम्मेदारी रहती है।

अनुवाद-प्रक्रिया में पाठ का कथ्य एवं शिल्प बहुत महत्त्वपूर्ण माना गया है। अनुवादक के दायित्व एवं योग्यताओं पर चर्चा करते हुए सबसे पहले अनुवादक की कथ्यपरक विशेषज्ञता को जानना आवश्यक है। किन्तु उससे भी पूर्व यह जानना जरूरी है कि कथ्य कहते किसे हैं और अनुवाद में कथ्य की क्या महत्ता है। पाठ के इस अंश में हम अनुवाद में कथ्य की महत्ता पर विचार करेंगे। दरअसल कथ्य का ही दूसरा नाम मूल विषय है। अर्थात् स्रोत भाषा की सामग्री का प्रतिपाद्य विषय ही कथ्य है। अनुवाद चूँकि कथ्य का ही होता है, अतः कथ्य के बिना अनुवाद का कुछ आधार ही नहीं बनता।

अनुवाद के क्षेत्र में कथ्य से अभिप्राय वस्तुतः अनुवाद की व्याप्ति से है। समकालीन जरूरतों और बदलते समय के मद्देनजर अनुवाद का क्षेत्र-विस्तार होता जा रहा है, इसमें विषयों की संख्या बढ़ती जा रही है। ज्ञानपरक साहित्य में अनुवाद के विषय दो वर्गों में दिखलाई देते हैं—साहित्यिक पाठ और साहित्येतर पाठ। साहित्यिक पाठ में मूलतः पद्य और गद्य के अनेक स्वरूप– कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, निबन्ध, आलोचना, यात्रा-वृतान्त, आत्मकथा, जीवनी, साक्षात्कार, रिपोर्ट लेखन आदि विविध विधाएँ देखी जा सकती हैं। वहीं दूसरी ओर साहित्येतर पाठ के अन्तर्गत अनेक क्षेत्र एवं विषय समाहित रहते हैं। इस सन्दर्भ में पहला क्षेत्र धर्म एवं संस्कृति का है जिससे किसी विचार विशेष के भाव जनमानस के सम्मुख अभिव्यक्त होते हैं। दूसरा विषय कार्यालयी अनुवाद का है जिसमें मन्त्रालयों, सरकारी, गैर सरकारी एवं निजी कार्यालयों के अनुवाद की चर्चा की जाती है। इसी परिप्रेक्ष्य में न्यायालय के क्षेत्र में किया जाने वाला अनुवाद अपना पृथक स्थान रखता है। साहित्येतर पाठ का एक अन्य रूप पत्रकारिता के अन्तर्गत देखने को मिलता है जो जनमानस एवं सरकार के बीच की कड़ी है। अनुवाद कार्य द्वारा शिक्षण के क्षेत्र में भी प्रगति हो रही है। ज्ञान-विज्ञान एवं नई टेक्नोलॉजी तक में अनुवाद अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका रेखांकित कर चुका है। अनुवाद सांस्कृतिक आदान-प्रदान का, संचार सम्प्रेषण का एवं देश की एकता को बनाए रखने का महत्त्वपूर्ण साधन है। इस प्रकार साहित्य, कला, शिक्षा, कार्यालय, धर्म, संस्कृति, राजनीति, ज्ञान-विज्ञान, न्यायालय, जनसंचार आदि अनेक दिशाओं के कथ्य अनुवाद कर्म में उल्लेखनीय हो उठे हैं।

बेहतर अनुवाद हेतु कथ्य की सम्पूर्ण जानकारी आवश्यक है। इससे अनुवाद सहज एवं सरल बनता है, साथ-साथ इससे जनमानस का हित भी सम्भव हो पाता है। कथ्य की गहन जानकारी के अभाव में अनुवाद की बेहतरी असम्भव है। कई बार एक ही कथ्य में अनेक विषयों का समावेश रहता है। इसलिए सम्पूर्ण कथ्य की पूर्ण जानकारी अनुवाद से पूर्व ही हासिल कर लेना चाहिए, ताकि अनुवादक अनुवाद-कर्म का उचित दायित्व निभा सके। स्पष्ट है कि कथ्य के विविध रूपों की जानकारी एवं उससे सम्बन्धित चिन्तन-मनन करना अनुवाद के सन्दर्भ में आवश्यक है। आगे इस पर विस्तार से विचार करेंगे।

7.5 अनुवादक की कथ्य विषयक विशेषज्ञता

अनुवाद कर्म पूरी तरह अनुवादक के दायित्व-बोध और विवेक पर आधारित होता है। अनुवादक का यह दायित्व कथ्य से आरम्भ होता है। विदित है कि स्रोत भाषा में प्रतिपादित विषय ही कथ्य कहलाता है। उल्लेख किया जा चुका है कि स्रोत भाषा में प्रतिपादित उस विषय का पूर्ण ज्ञान अनुवादक को होना चाहिए, यह अनुवाद के लिए प्रथम अनिवार्य शर्त है। इस सन्दर्भ में अनुवादक को पारिभाषिक शब्दावली का बोध होना भी आवश्यक माना गया है। कथ्य चाहे साहित्यिक पाठ का हो अथवा साहित्येतर पाठ का, हरेक कथ्य में शब्दावली का अपना विशिष्ट स्थान होता है। खासकर सृजनात्मक साहित्य में तो शब्द की महिमा अपरम्पार मानी गई है। इसमें प्रयुक्त शब्द धर्म-संस्कृति एवं विचार विशेष के पोषक तो होते ही हैं, साथ ही उनमें अभिधा, लक्षण एवं व्यंजना–तीनो शब्द-शक्तियों से पोषित ध्वन्यार्थ छिपे रहते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक शब्द का प्रयोग क्षेत्र भी होता है। अतः सृजनात्मक साहित्य के अनुवादक को कथ्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द एवं उसकी व्यापकता का सूक्ष्मतर बोध होना चाहिए। ऐसा न होने पर अनुवाद अव्याप्ति अथवा अतिव्याप्ति दोष का शिकार हो सकता है, जिससे असंगत एवं गलत अनुवाद को बढ़ावा मिलेगा।

काव्यानुवाद साहित्यिक अनुवाद का ही एक अभिन्न अंग है। काव्य में शब्द विशेष को लय, बिम्ब, कल्पना एवं रस से सराबोर करके अभिव्यक्त किया जाता है। अतः काव्यानुवाद करते हुए अनुवादक का कवि-हृदय होना भी परमावश्यक है, तभी वह काव्य-लय की रक्षा करता हुआ बिम्ब, प्रतीक और काव्य-रस की रक्षा कर सकेगा, और मूल पाठ के भावानुरूप अनुवाद कर सकेगा। किसी कवि-हृदय अनुवादक द्वारा ही बेहतर काव्यानुवाद सम्भव हो सकता है।

काव्यानुवाद से पृथक साहित्यिक पाठ के गद्य रूप में अनुवादक का मूल लेखक के विचारों को आत्मसात करना आवश्यक है। गद्य लेखक अपनी दृष्टि को स्पष्ट करने के लिए अनेक क्षेत्रों से भावभूमि ग्रहण करता है तथा उस भावभूमि को शब्दों में आबद्ध कर प्रस्तुत करता है। इस सन्दर्भ में अनुवादक का यह दायित्व बनता है कि मूल लेखक के विचारों को जाने-पहचाने, उनका चिन्तन-मनन करे और गहन पठन-पाठन के पश्चात उस भावभूमि तक पहुँचे जहाँ पाठक वर्ग को मूल लेखक पहुँचाना चाहता है। वह उस भावभूमि पर ही अपने अनुवाद का रूप उपस्थित करे। गद्यानुवाद में प्रतीकों का अनुवाद सबसे कठिन एवं दुःसाध्य माना गया है। प्रायः ये प्रतीक किसी स्थिति, सन्दर्भ अथवा मानसिकता विशेष के परिचायक होते हैं, जिनका लक्ष्य भाषा में अनुवाद प्रायः असम्भव-सा होता है। ऐसे प्रतीकात्मक कथ्यों का अनुवाद व्याख्यात्मक टिप्पणी द्वारा करते हुए अनुवादक इस प्रतीक को विचारातीत बना देते हैं। गद्यानुवाद में आंचलिक अभिव्यक्तियाँ भी देखने को मिलती हैं। ये आंचलिक अभिव्यक्तियाँ किसी भू-भाग या स्थान विशेष से सम्बद्ध मानी गई हैं। इनका अनुवाद केवल इनकी आंचलिक जानकारी द्वारा भावानुवाद करते हुए ही किया जा सकता है। यहाँ कुछ उदाहरणों से स्पष्ट कर सकते हैं कि सामान्य अनुवाद और भावानुवाद में कितना अन्तर होता है :

1. I was standing at the window with my chewing stick.
   मैं अपने मुँह से चबाने वाली स्टिक के साथ खिड़की पर खड़ा था।
   मैं खिड़की के पास खड़ा च्विंगम चबा रहा था।

2. By Christmas day the month has reached twenty hungry.
   क्रिसमस के दिन तक महीना बीस भूख तक पहुँच जाता है।
   क्रिसमस आते-आते तो महीने के बीस दिन बीत जाते हैं।

3. That was the only yellow and salt water girl whom I liked most.
   वही पीली और नमकीन पानी वाली एक लड़की जिसे मैंने पसन्द किया।
   मुझे वही सुन्दर और लावण्यमयी लड़की बेहद पसन्द आई।

उक्त चारो उदाहरणों में स्पष्ट है कि अंचल विशेष या प्रतीकों, विचारों से सम्बन्ध रखने वाले प्रसंगों में पहला अनुवाद शब्दानुवाद है, जो गलत अर्थ देता है, जबकि अगली पंक्ति में सम्बद्ध प्रसंगों की सम्यक जानकारी लेकर उनका भावानुवाद किया गया है, और वह एकदम उचित है। ऐसे प्रसंगों का भावानुवाद कथ्य की सम्पूर्ण समझ के बाद ही सम्भव हो पाता है। जाहिर है कि गद्यानुवाद में शब्द, प्रसंग, प्रतीक, सन्दर्भ ... सारे के सारे अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जिसका बोध अनुवादक को होना आवश्यक है।

साहित्यिक पाठ से पृथक साहित्येतर पाठ में विज्ञान एवं तकनीक का क्षेत्र देखा जा सकता है। इस तरह का पाठ अपनी विशिष्ट शैली और विशिष्ट शब्दावली में ही विकसित एवं परिवर्द्धित होता है। इस प्रकार के लेखन में निश्चित नियमों का पालन किया जाता है, यहाँ पाठ का मूल उद्देश्य ज्ञान की अभिव्यक्ति होता है। ऐसे में अनुवादक का मूल धर्म होता है कि वह तकनीकी शब्दावली का ज्ञान रख कर ही इस प्रकार का अनुवाद करे। जिस प्रकार साहित्यिक अनुवाद करने के लिए अनुवादक का साहित्यिक होना अनिवार्य है, ठीक उसी प्रकार वैज्ञानिक विषय का अनुवाद करने के लिए अनुवादक को वैज्ञानिक पाठ की समझ और तत्त्वान्वेषी होना परम आवश्यक है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषयों का अनुवाद तथ्यपरक, तटस्थ, सत्यनिष्ठ एवं प्रामाणिक होता है। ऐसे पाठ के अनुवाद में अनुवादक का दायित्व बनता है कि वह साहित्यिक पाठ की अनुवाद-पद्धति की तरह कल्पना का सहारा न ले, पाठ के प्रति पूरी तरह सावधान और जिम्मेदार रहे, उसकी विशिष्ट पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग करते हुए पूर्णतः तटस्थ एवं प्रामाणिक अनुवाद करे। इस प्रकार के अनुवाद में अनुवादक का वस्तुनिष्ठ होना भी आवश्यक है। अनुवादक से अपेक्षा की जाती है कि वे कथ्य के प्रति कोई आग्रह-दुराग्रह रखे बगैर वस्तुपरक दृष्टिकोण के साथ अनुवाद-कर्म में प्रवृत हों।

साहित्येतर पाठ का बेहतरीन उदाहरण कार्यालयी साहित्य में देखने को मिलता है। कार्यालयी अनुवाद का सम्बन्ध सांविधानिक उपबन्धों, विविध सरकारी, गैरसरकारी एवं निजी कार्यालयों में हो रहे अनुवाद से है। कार्यालयी अनुवाद का पहला रूप सांविधानिक अनुवाद का है, जिसके अन्तर्गत संविधान, अधिनियम, अध्यादेश, बिल, सांविधिक नियमावली तथा उनके अधीन बनाए गए फर्मो, करारों आदि का हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद होता है। वहीं भारत सरकार की न्याय-व्यवस्था से सम्बन्धित साहित्य के अलावा जितनी भी विधीतर स्थायी सामग्री है उसके अनुवाद को असांविधिक अनुवाद के अन्तर्गत लिया जाता है। इस साहित्य के अन्तर्गत संहिताएँ, मैनुअल या नियम पुस्तिकाएँ आदि सम्मिलित रहती हैं। कार्यालयी साहित्य चूँकि सूचना प्रधान साहित्य है, अतः इसका अनुवाद करते समय विषय-ज्ञान के साथ-साथ यहाँ की पारिभाषिक शब्दावली का बोध एवं उसके व्यवहार-बहुलता की जानकारी अनुवादक को अवश्य होनी चाहिए। कार्यालयी साहित्य के विषय प्रायः औपचारिक होते हैं तथा विशिष्ट शैली में ही इनका लेखन किया जाता है। इस कारण अनुवादक को उस शैली को ध्यान में रखकर निष्पक्ष भाव से अनुवाद करना चाहिए। कार्यालयी अनुवाद को एकार्थी होना चाहिए और शब्द-निर्माण एवं वाक्य-निर्माण—दोनों ही स्थितियों में हिन्दी की प्रकृति का ध्यान रखा जाना चाहिए। अनुवाद के दौरान जटिल एवं कठिन शब्दों के स्थान पर बहुप्रचलित एवं प्रसिद्ध शब्दों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए, ताकि अनुवाद विषय-सम्प्रेषण के लक्ष्य को सिद्ध कर सके। कार्यालयी अनुवाद साहित्यिक अनुवाद से भिन्न है, अतः शब्द के सहज प्रयोग पर ही यहाँ बल दिया जाना चाहिए। कुछ कार्यालयी हिन्दी-अंग्रेजी शब्दों के उदाहरण इस प्रकार हैं :

Allotment	आवण्टन
Ordinance	अध्यादेश
Elected representative	निर्वाचित प्रतिनिधि
Gallery	दीर्घा
Agenda	कार्यसूची

इसी प्रकार कार्यालयी विधानों के अन्तर्गत प्रयुक्त होने वाली अभिव्यक्तियों में भी सहजता का ध्यान रखा जाना चाहिए। अनुवादक को ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे सहजता एवं एकान्विति बनी रहे। कुछ सहज अभिव्यक्तियों के उदाहरण इस प्रकार हैं :

1. Approved as per remarks in the margin.
   हाशिए की अभ्युक्ति के अनुसार अनुमोदित।
2. I am directed to say.
   मुझे यह कहने का निदेश हुआ है।
3. Marked absent
   अनुपस्थिति लगा दी गई।
4. Early orders are solicited.
   शीघ्र आदेश प्रार्थित है।
5. As may be agreed upon.
   जैसा करार पाया जाए।

कार्यालयी साहित्यानुवाद में अनुवादक का यह परम दायित्व बनता है कि वह मूल कथ्य को आत्मसात कर पारिभाषिक शब्दावली एवं अभिव्यक्ति का अत्यन्त सहज प्रयोग करे। पत्रकारिता जैसे क्षेत्र में भी कथ्य की मूल समझ एवं उसकी सहज अभिव्यक्ति महत्त्वपूर्ण मानी गई है। पत्रकारिता का अनुवाद, विशेषकर विज्ञापनों के क्षेत्र में हो रहे अनुवाद में पाठकों को आकर्षित करना मूल उद्देश्य होता है। ऐसे में ज्यों का त्यों शब्दानुवाद करने पर उद्देश्य में बाधा उपस्थित होती है। इस समय उपलब्ध शब्दावली अब जटिल हो गई है। कोश में उपलब्ध शब्द संस्कृत धातु से बनाए गए हैं। कई शब्दों का प्रयोग कठिनाई से हो पाता है। इस कारण पत्रकारिता के कथ्य का अनुवाद करते समय मूल संकल्पना को जानना अनिवार्य है, उसका अनुवाद चूँकि सामान्य जन के लिए किया जा रहा है, अतः सहज भाषा एवं शब्दों का प्रयोग इस सन्दर्भ में विशेष रूप से सहायक सिद्ध होते हैं। कुछ विज्ञापनों के उदाहरण इस प्रकार हैं :

1. Bajaj Scooter : The Great Indian Spirit
   बुलन्द भारत की बुलन्द तस्वीर, हमारा बजाज
2. New Horizen new hope
   नई दिशाएँ नई आशाएँ
3. For perfect hair, get the perfect conditioner.
   आकर्षक अलकावली के लिए आदर्श कण्डीशनर

उक्त उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि अनुवादक का सबसे बड़ा दायित्व यह है कि वह मूल कथ्य को पूरी तरह समझे; आवश्यकता पड़ने पर मिश्रित और सहज भाषा का प्रयोग करे; कथ्य के विविध आयाम, उसके शब्द प्रयोग एवं अभिव्यक्ति कौशल का भली-भाँति विश्लेषण करे; उसके बाद ही अनुवाद कार्य को आगे बढ़ाए। जब तक अनुवादक को कथ्य की गहन जानकारी नहीं होगी, वह पाठ का तात्त्विक विश्लेषण नहीं करेगा; तब तक उसका अनुवाद उथला ही रहेगा, सफल अनुवाद नहीं बन सकेगा। अतः कथ्य के सन्दर्भ में अनुवादक को विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है।

7.6 भाषा की अवधारणा और महत्त्व

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और भाषा उसकी सामाजिक आवश्यकता। भाषा ही वह साधन है जिससे मनुष्य अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। अनुवाद के सन्दर्भ में भाषा भावों को व्यक्त करने का साधन मात्र नहीं है, बल्कि यह एक संरचना का नाम है। यह संरचना नियमों एवं व्याकरणों से बँधी हुई है। यह भाषा अन्य प्राणियों

से पृथक मनुष्य जाति से सम्बद्ध है। मानव के वागेन्द्रियों या उच्चारण अवयव से निःसृत इस भाषा के अनेक रूप समय-समय पर दृष्टिगत होते हैं। जगजाहिर है कि भाषा का स्वरूप, उसकी संरचना एवं उसका व्यावहारिक रूप बदलता रहता है, और इसका सम्बन्ध किसी समुदाय विशेष से ही माना जाता है। यही कारण है कि भाषा को पारम्परिक या शाश्वत न कहकर यादृच्छिक माना जाता है, जिसे समुदाय विशेष के लोग दैनिक जीवन में प्रयोग में लाते हैं। भाषा मात्र व्याकरण द्वारा अनुशासित एक व्यवस्था ही नहीं, बल्कि इसके माध्यम से वक्ता एवं श्रोता के मध्य विचारों का आदान प्रदान होता है, उनके बीच अनवरत विचार-विनिमय चलता रहता है, अभीष्ट अर्थ सम्प्रेषण लगातार होता रहता है। इससे स्पष्ट होता है कि भाषा सम्प्रेषण का प्रमुख माध्यम है। मानव मुख के विविध अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की एक निश्चित संरचना या प्रक्रिया ही भाषा है, जिससे किसी जाति या समुदाय विशेष विचारों का आदान-प्रदान कर अभीष्ट भावों को पूर्ण करता है।

भाषा को एक व्यवस्था का नाम दिया गया है। इस व्यवस्था का आदि रूप ध्वनि है। ध्वनि से शब्द या शब्द समूह का निर्माण होता है। शब्द समूह से वाक्य बनते हैं जो विविध नियमों और संरचनाओं से बँधे रहते हैं। वाक्य से विषय व्याख्यायित होते हैं, जिनमें अनेक प्रकार के सन्दर्भ, अर्थ समाहित रहते हैं। ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ को स्थायी रूप प्रदान करने के लिए व्याकरण की रचना की जाती है। वहीं इन सभी के प्रयोग रूप को बनाए रखने के लिए भाषाविज्ञान की रचना की जाती है। हर जाति या समुदाय विशेष द्वारा व्याकरण एवं भाषाविज्ञान सम्बन्धी विविध आयाम पृथक होते हैं। इसी आधार पर भाषा का न केवल स्वतन्त्र अस्तित्व बनता है, बल्कि उसके अनेक रूप भी निर्मित होते हैं। भाषा अनन्त एवं अपार है जिसकी संरचना पर दृष्टि डालने की एवं उसे आत्मसात करने की आवश्यकता रहती है। इसी आधार पर भाषा नित्य विकसित एवं परिवर्द्धित होकर समाज की अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन बनती है। स्पष्ट है कि भाषा एक ऐसी व्यवस्था है जो नित्य परिवर्तित होते हुए भी व्याकरण के बन्धनों से युक्त है, और अनेकता में एकता के सिद्धान्त को चरितार्थ करती रहती है।

भाषा अनन्तिम होती है। इसका विकास प्रत्येक युग में भिन्न-भिन्न रूप में होता रहता है। भाषा कभी पूर्ण नहीं होती, बल्कि इसके विशाल स्वरूप में अनेक तत्त्व समाहित होते रहते हैं। यह मौखिक रूप से आरम्भ होकर लिखित रूप द्वारा अनेक तत्त्वों को धारण करती रहती है। यह स्थूल से सूक्ष्म की ओर अग्रसर होकर अनेक संरचनात्मक आधारों को धारण करती रहती है। यही कारण है कि भाषा को अर्जित सम्पत्ति के समान माना जाता है, जिसका अर्जन समाज एवं परम्परा से अभ्यास द्वारा किया जाता है। भाषा में वक्ता एवं श्रोता दोनों की भूमिका महत्त्वपूर्ण मानी जाती है तथा दोनों के आपसी विचार-विनिमय द्वारा ही भाषा का स्वरूप निर्धारित होता है। भाषा में इतनी शक्ति होती है कि वह समस्त ज्ञान-विज्ञान को अभिव्यक्त कर सकती है। प्रत्येक कथ्य एवं उसकी गहनता भाषा द्वारा ही विस्तार प्राप्त कर आगे बढ़ती है। यही कारण है कि अनुवाद के सन्दर्भ में भाषा की जानकारी एवं उसका उचित प्रयोग सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण माना गया है। भाषा का निर्माण समाज द्वारा, समाज के लिए तथा सामाजिकता हेतु ही किया जाता है।

सामाजिकता के निर्वाह हेतु भाषा अन्यतम साधन मानी जाती है। भाषा एक व्यवस्था है जिसमें अपार सृजनात्मक-शक्ति होती है। भाषा से परम्परा एवं संस्कृति का पूर्ण विकास स्थिर हो पाता है। भाषा अभिव्यक्ति के भी विविध स्रोतों को प्रकट करती है, इसी महत्त्व के मद्देनजर भाषा भाव-सम्प्रेषण का सर्वाधिक उपयुक्त तत्त्व मानी जाती है। वक्ता भाषिक कोड में सन्देश देता है, और श्रोता उसे ग्रहण करता है, अर्थात् दोनों मिलकर एक विशिष्ट व्यवस्था को जन्म देते हैं। भाषिक व्यवस्था द्वारा सम्प्रेषण एवं अनुभूति की अभिव्यक्ति के विभिन्न स्तर सामने आते हैं। इन्हीं विविध स्तरों का कृति विशेष में व्यावहारिक रूप दृष्टिगत होता है। अतः भाषा-बोध किसी कृति के विश्लेषण में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता है। अनुवाद जैसी भाषिक प्रक्रिया में तो भाषा का विशेष महत्त्व रहा है। अब हम अनुवाद के सन्दर्भ में स्रोत एवं लक्ष्य-भाषा के महत्त्व पर विचार करेंगे।

7.7 अनुवाद में स्रोत एवं लक्ष्य भाषा की भूमिका

दो भिन्न भाषाओं के बीच पाठ की अभिव्यक्ति अनुवाद है। अनुवाद एक भाषा के मूल पाठ को दूसरी भाषा में रूपान्तरित करने की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मूल पाठ के भाव सम्प्रेषण एवं शैली का पूर्ण ध्यान रखा जाता है। जिस भाषा की मूल सामग्री का अनुवाद किया जाता है वह स्रोत-भाषा कहलाती है, जिस भाषा में अनुवाद किया

जाता है वह स्रोत-भाषा कहलाती है। अनुवाद की पूरी प्रक्रिया में दोनों भाषाओं के अंगी तत्त्वों की महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है। अनुवादक सर्वप्रथम अनुवाद हेतु एक भाषा विशेष का पाठ चयन करता है, जिसकी सामग्री स्रोत-भाषा के विविध तत्त्वों से सराबोर रहती है। अनुवादक स्रोत पाठ के सृजेता से, उसके सम्पूर्ण परिवेश एवं प्रवृत्तियों से, उसकी मानसिकता से और उसकी युग-परम्पराओं से भली-भाँति परिचित होता है। वह मूल कृति का कथ्य एवं शिल्प—दोनों दृष्टियों से विश्लेषण करता है, और उस आधार पर अपने कुछ निष्कर्ष निकालता है। अनुवादक को ऐसे में कई बार कल्पनाशील भी होना पड़ता है जिससे वह उस तथ्य या बिन्दु तक पहुँच पाए, जो मूल लेखक का लक्ष्य है। वह इन्हीं बिन्दु के आधार पर स्रोत-भाषा की सूक्ष्मताओं का तो निर्धारण करता ही है साथ ही मूलपाठ के शब्द, पद, पदबन्ध, मुहावरे, संस्कृति, वाक्य एवं मूल भाव के स्तर तक का अन्वेषण करता है।

मूल कृति के अध्ययन के पश्चात भाषान्तरण की प्रक्रिया आरम्भ होती है। अनुवादक स्रोत-भाषा के मूल भाव, शब्द, पद, पदबन्ध, मुहावरे, संस्कृति आदि के समतुल्य शब्दों का निर्धारण करता है। इस प्रक्रिया में वह लक्ष्य-भाषा ही प्रकृति को मन मस्तिष्क में रख कर भावों की अभिव्यक्ति करता है तथा लक्ष्य-भाषा में मूल कृति के पाठ का अन्तरण कर देता है। अर्थ सम्प्रेषण की दृष्टि से अनुवादक वाक्यों को भाषा के स्तर पर प्रवाहमयता, सहजता और स्पष्टता के आधार पर ही भाषान्तरण करता है। तथ्य है कि स्रोत-भाषा की अपनी पृथक प्रकृति, संरचना, व्याकरण, शब्द सामर्थ्य एवं विशिष्ट शैली होती है, जबकि लक्ष्य-भाषा का अस्तित्व भी भिन्न एवं वैविध्यपूर्ण है। ऐसे में अनुवाद के अन्तर्गत स्रोत एवं लक्ष्य-भाषा दोनों का समान महत्त्व माना गया है। अनुवादक को दोनों भाषाओं की प्रकृति एवं संरचना का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अनुवाद चूँकि दो भाषाओं के बीच पाठ-संवाद का परिणाम है अतः दोनों भाषाओं की शैली, विशिष्टता एवं भाषिक क्षमता का बोध अनुवादक को अवश्य होना चाहिए। अनुवादक स्रोत-भाषा एवं लक्ष्य-भाषा के मध्य समायोजन करता है, अतः भाषा की संरचना एवं सम्प्रेषणीयता का पूरा ध्यान रखना आवश्यक है। उदाहरण ढूँढ कर हम पता लगा सकते हैं कि दोनों भाषाओं का भेद अनुवादक के सामने कैसी चुनौती लाता है, और एक बेहतर अनुवादक का क्या दायित्व होना चाहिए।

7.8 अनुवादक का स्रोत एवं लक्ष्य भाषा विषयक ज्ञान

विदित है कि अनुवाद प्रक्रिया स्रोत-भाषा के कथ्य से आरम्भ होकर लक्ष्य भाषा में पाठ की सफल अभिव्यक्ति के रूप में विकसित एवं परिवर्तित होती है। भाषान्तरण सम्बन्धी अनुवाद की प्रक्रिया बहुत ही कठिन एवं श्रमसाध्य होती है। हर बेहतर अनुवादक स्रोत-भाषा एवं लक्ष्य-भाषा के दोहरे जोखिम को उठाता हुआ आगे बढ़ता है। अनुवाद कर्म स्रोत एवं लक्ष्य-भाषा के बोध के अभाव में सम्भव ही नहीं है। अनुवाद करते हुए स्रोत एवं लक्ष्य-भाषा की प्रकृति, सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव-धारा, व्याकरणिक कोटियाँ, अर्थ-छटाएँ एवं शैली-तत्त्व बाधा-रूप में सामने आते हैं। इन बाधाओं से पार पाने के लिए एक अनुवादक को व्याकरण, भाषा एवं विशिष्ट शैली का ज्ञान होना परमावश्यक है। इन कौशलों के साथ ही वह सहज एवं उपयुक्त अनुवाद कर सकेगा अन्यथा असंगत और अयुक्त अनुवाद कर अथवा मक्षिका स्थाने मक्षिका के मूल मन्त्र पर चलता हुआ स्वयं तो असंगत अनुवाद करेगा ही, साथ ही पाठक वर्ग को भी सन्तुष्ट करने के बजाए भटकाव की स्थिति में पहुँचा देगा। यही कारण है कि अनुवादक के लिए स्रोत-भाषा एवं लक्ष्य-भाषा की विशिष्ट व्याकरणिक संरचना तथा उसकी विभिन्न अभिव्यंजना प्रणालियों का सम्यक ज्ञान होना अपेक्षित है।

भाषा की पूर्ण व्यवस्था का दायित्व व्याकरण-ज्ञान से संचालित होता है। व्याकरण के माध्यम से ही भाषा सहज बनती है तथा तार्किकता को बढ़ावा मिलता है। स्रोत-भाषा एवं लक्ष्य-भाषा दोनों का महत्त्व एवं अस्तित्व इसी व्याकरण द्वारा निर्मित होता है। यही कारण है कि अनुवादक के लिए व्याकरण का सूक्ष्म ज्ञाता होना अपरिहार्य शर्त माना गया है। व्याकरण के नियमों एवं संरचनाओं से न केवल भाव की अभिव्यक्ति होती, बल्कि शब्द भी निर्मित होते हैं। इसलिए पहली शर्त तो यह है कि अनुवादक को शब्द का बोध होना चाहिए। व्याकरणिक नियमों से बँधे होने के बावजूद शब्द या भाषिक इकाइयों का अर्थ सदैव एक समान नहीं रहता। उपसर्ग, प्रत्यय, लोकोक्ति, शब्द-बन्ध आदि शब्द से सम्बन्धित रहते हैं। इसके साथ-साथ हर शब्द अपने ध्वन्यार्थ में युगबोध को भी समाहित किए रहता है। फलस्वरूप शब्द एक होने के बावजूद अनेक रूपों को धारण करता रहता है। उदाहरण के लिए

'पानी' शब्द प्रयोग-भिन्नता के आधार पर 'जल', 'चमक', 'रौनक', 'जलवायु', 'वर्ष' आदि अनेक अर्थों को धारण करता है। यथा –

1. आज तो *पानी* बहुत बरसा है। (जल)
2. तेरे चेहरे पर *पानी* नहीं रहा। (रौनक)
3. दिल्ली का पानी अच्छा नहीं है। (जलवायु)
4. इस मोती में पानी नहीं है। (चमक)
5. ये दोनो पेड़ चार पानी के हैं। (वर्ष)

उक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि शब्द की सत्ता बहुरूपता लिए रहती है जिसका पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। शब्द के भीतर भाषा विशेष की प्रकृति के अनुरूप द्विअर्थी, बहुअर्थी, समानार्थी तत्त्व सम्बन्धी संरचनाएँ भी होती हैं। उदाहरण के लिए यदि हम हिन्दी-अंग्रेज़ी भाषा की बात करें तो बोध होगा कि हिन्दी में एक शब्द के अनेक पर्याय मिलते हैं, जो एक समान प्रयुक्त होते हुए भी प्रायः भिन्न अर्थ रखते हैं। यथा 'जल' के लिए हिन्दी में – पानी, अम्बु, सलिल, जीवन, वारि, पय, तोय आदि शब्द मिलते हैं, जबकि अंग्रेज़ी में इनके लिए एक मात्र शब्द है – वाटर(water)। वहीं दूसरी ओर 'बच्चे' के अर्थ में अंग्रेज़ी में अनेक शब्द मिलते हैं– Brat, child, colt, cub, imp, mite, tot आदि। किन्तु प्रयोग की दृष्टि से ये सभी भिन्न हैं। इसी तरह एक समान अर्थ देने वाले शब्द भी कई बार सामने आते हैं, पर उनमें सूक्ष्म अन्तर स्पष्टतया दिखता है। जैसे Development, growth, evolution – तीनों शब्द प्रायः समान हैं, पर सूक्ष्म दृष्टि से तीनों शब्द क्रमशः परिवर्द्धन, वृद्धि और विकास के सूचक हैं। अनुवादक यदि इन सूक्ष्म अन्तरों को जानकर प्रयोग में नहीं लाएगा तो वह स्वयं दिशाहीन होता रहेगा, और गलत अनुवाद करेगा।

भाषा के सन्दर्भ में अनुवादक का सबसे बड़ा सहयोगी भाषा विज्ञान है। एक अच्छे अनुवादक को भाषा विज्ञान का बेहतर ज्ञान होना अनिवार्य है। भाषा विज्ञान के सूक्ष्म विश्लेषण द्वारा ही उसे ज्ञात होगा कि स्रोत-भाषा एवं लक्ष्य-भाषा की स्वनिम व्यवस्था कैसी है। किन तत्त्वों का लिप्यन्तरण सम्भव है और किनका अनुवाद किया जाना चाहिए। भाषा विज्ञान के सहयोग से ही वह ध्वनि, पद, शब्द, वाक्य, अर्थ व प्रोक्ति की संरचनापरक जानकारी हासिल कर उनके महत्त्व को बनाए रख सकेगा। ध्वनि की जानकारी से जहाँ एक ओर अनुवाद सहज होगा, वहीं शब्द रूपों का सटीक प्रयोग कर मूल पाठ के भावों की गहनता से परिचित होगा, कृतिकार के अभिप्राय के साथ न्याय करेगा, और अनुवाद की सार्थकता बनाए रखेगा।

शब्द के समन्वय से वाक्य बनते हैं, और वाक्य निर्माण की एक पूरी प्रक्रिया होती है। हर भाषा के वाक्य में प्रयुक्त पदों का निश्चित क्रम होता है। अंग्रेज़ी में यह क्रम प्रायः कर्ता-क्रिया-कर्म रूप में मिलता है जबकि हिन्दी वाक्यों का क्रम कर्ता-कर्म-क्रिया में मिलता है। पर कुछेक वाक्य ऐसे भी होते हैं जो संरचना में होने के बाद भी आर्थी दृष्टि से पृथक एवं कठिन होते हैं। जैसे 'गगन ने रोते हुए मोहन को पैसे दिए।' यह वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से उपयुक्त होने के बावजूद अर्थ की दृष्टि से स्पष्ट नहीं है। इसके दो अर्थ हैं–गगन ने जब मोहन को पैसे दिए तब गगन रो रहा था; दूसरा अर्थ है– गगन ने जब मोहन को पैसे दिए तब मोहन रो रहा था। ऐसे वाक्यों में सन्दर्भ का ध्यान रखकर ही संरचना के अनुरूप अनुवाद किया जाना चाहिए। इसी प्रकार वाक्यों के अनुवाद में पदक्रम के अतिरिक्त सहप्रयोग, सहायक क्रिया, पदबन्ध आदि का भी उचित ध्यान रखकर अनुवाद किया जाना चाहिए। वाक्य सरल, मिश्रित एवं संयुक्त – तीनों रूप में होते हैं। अर्थ के आधार पर भी वाक्यों के आठ रूप देखे जा सकते हैं। वाक्य विज्ञान इन्हीं तत्त्वों का विश्लेषण करता है तथा इसके उचित ज्ञान एवं व्यावहारिक प्रयोग द्वारा अनुवादक बेहतर अनुवाद कर पाता है। वाक्यों का अनुवाद करते हुए वाक्य से सम्बन्ध रखने वाले क्रियापद, विशेषण, क्रिया-विशेषण, वचन, लिंग, कारक आदि का भी ध्यान रखा जाना चाहिए और उसी के अनुरूप अनुवाद करना चाहिए।

भाषा में प्रयुक्त शब्द एवं उसके वाक्य विविध परिस्थितियों की उपज होते हैं। इन परिस्थितियों का सम्यक बोध उसके ध्वन्यार्थ से होता है। हर भाषिक इकाई की आर्थी संरचना परिवर्तनशील है और वह समय-समय पर

बहुरूपता धारण करती रहती है। समास, उपसर्ग, विशेषण, प्रत्यय, नामकरण आदि तत्त्वों से सम्बद्ध होने पर शब्द के अर्थ का विस्तार एवं संकुचन होता रहता है, जिससे न केवल उसका प्रयोग बदलता है, वरन उसके अनेक तत्त्व समाप्त हो जाते हैं। अतः अनुवादक को अनुवाद करते हुए भाषा विशेष के शब्दार्थ परिवर्तन का बोध होना परमावश्यक है। इसकी जानकारी अर्थ विज्ञान द्वारा होती है। अर्थ विज्ञान ही हमें यह बताता है कि किस प्रकार शब्द के भीतर उसका मूलार्थ, लक्ष्यार्थ एवं व्यंग्यार्थ निहित रहता है। इन तीनों का उचित ज्ञान रखकर ही शब्द का चयन किया जाना चाहिए। इस सन्दर्भ में एक अच्छे अनुवादक को स्रोत-भाषा और लक्ष्य-भाषा में बलाघात एवं अनुतान के कारण अर्थ परिवर्तन के विषय में सचेत रहना आवश्यक है। अंग्रेजी में कई शब्द संज्ञा तथा क्रिया दोनों होते हैं, बलाघात द्वारा ही उनके भेद को जाना जा सकता है। जैसे 'Present' शब्द में 'Pre' पर बलाघात हो तो वह संज्ञा शब्द होगा जबकि 'sent' पर बलाघात हो तो क्रिया शब्द होगा। इसी प्रकार चीनी शब्द 'मा' के अलग-अलग सुर लहर से चार अर्थ प्राप्त होते हैं – घोड़ा, एक कपड़ा, माँ और गाली देना। स्पष्ट है कि भाषा की आर्थी संरचना को प्रभावित करने वाले अनेक तत्त्व हैं। मूल रूप से शब्द के भीतर संरचनापरक अर्थ, मुख्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ, व्याकरणिक अर्थ, शैलीय अर्थ, सामाजिक अर्थ और प्रभावजनिक अर्थ समाहित रहते हैं। शब्द का समानार्थी एवं अनेकार्थी रूप साहचर्य, विरोध, अर्थ, प्रकरण, लिंग, औचित्य, वाच्य, देशकाल, सान्निध्य, व्यक्ति आदि से प्रभावित होता है। अर्थ विज्ञान का आश्रय लेकर गहन अध्ययन द्वारा उपर्युक्त गुणों को धारण किया जा सकता है। अनुवादक का मूल दायित्व यही है कि वह स्रोत-भाषा के शब्द के सटीक अर्थ को समझ कर उसे लक्ष्य-भाषा में सटीक रूप में सम्प्रेषित करे।

अनुवाद की सम्पूर्णता भाषान्तरण में ही नहीं, शैली के अन्तरण में भी निहित है। अभिव्यक्ति के वस्तुतः दो आयाम माने गए हैं – अर्थ और शैली। अर्थ का सम्प्रेषण व्याकरणिक एवं भाषा वैज्ञानिक संरचनाओं में बँधकर किया जाता है, जबकि शैली एक विशिष्ट तत्त्व है जो लेखक, अनुवादक या पाठक की पहचान बनाती है। इसलिए शैली पर लेखक, अनुवादक एवं पाठक का प्रभाव स्पष्टतया देखा जा सकता है। वस्तुतः अनुवादक मूल लेखक की शैली का ज्ञाता होता है। प्रत्येक रचनाकार की अपनी निजी शैली होती है। कोई रचनाकार सूक्ति रूप में, तो कोई मुहावरेदार भाषा में भावों को व्यक्त करता है। किसी की रुचि संक्षिप्त वाक्य रचना में रहती है, तो कोई सुदीर्घ वाक्यों का प्रयोग कर अलंकृत भाषा का प्रयोग करता है। कुछ लेखक तो ऐसे भी हैं जो गद्य में भी लय एवं ध्वनि रूप को बनाए रखते हैं। अनुवादक के लिए स्रोत-भाषा एवं लक्ष्य-भाषा के व्याकरणिक एवं संरचनापरक रूपों की जानकारी के साथ-साथ लेखक की विशिष्ट अभिव्यंजना प्रणाली का ज्ञान भी अपेक्षित है। यह सब अनुवादक का ही उत्तरदायित्व है कि वह अनुवाद के साथ पूर्ण न्याय करते हुए लेखक की विशिष्ट शैली एवं अपनी विशिष्टता को भी बनाए रखे। इस सन्दर्भ में अनुवादक पर पाठक वर्ग का भी दायित्व आता है। वह अपने पाठक वर्ग का चयन कर उन्हीं के अनुरूप भाषा का चयन करता है और उसमें अतिरंजना विहीन सहज स्वाभाविक प्रयोग करता है। उदाहरण के लिए यदि किसी अनुवाद के लक्षित पाठक प्रबुद्ध साहित्यिक वर्ग के हैं तो तत्सम प्रधान गम्भीर भाषा का चयन किया जा सकता है। यदि स्रोत-पाठ का विषय आज की समस्या पर आधारित है, और अनुवाद जनजीवन की व्याख्या हेतु किया जा रहा है तो भाषा सहज, सरल, बोल-चाल की हिन्दुस्तानी का प्रयोग किया जाना चाहिए। शैली-ज्ञान द्वारा एक तरफ विषय के गहन रूप एवं आर्थी संरचना का बोध होता है, तो दूसरी ओर इससे लक्ष्य-भाषा की अभिवृद्धि में उल्लेखनीय योगदान भी दिया जा सकता है।

7.9 संस्कृति : अभिप्राय, महत्त्व और आयाम

संस्कृति मानव-जीवन की विशिष्ट एवं व्यापक अवधारणा है। वस्तुतः किसी देश, जाति, व्यक्ति के सम्पूर्ण आदर्शों, सामाजिक परम्पराओं, ऐतिहासिक विधियों, आध्यात्मिक मन्तव्यों और जीवन-निर्वाह के लिए की गई चेष्टाओं का समन्वित रूप ही संस्कृति है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से 'संस्कृति' शब्द 'सम्' उपसर्ग, 'कृ' धातु और 'क्तिन' प्रत्यय के योग से बना है जिसका अर्थ है – भाव, परिष्कार या परिमार्जन करना। संस्कृति संस्कारों का ही समन्वित रूप है जिससे व्यक्ति के भावों एवं विचारों का परिमार्जन होता है। इसके माध्यम से विवेक जाग्रत होता है तथा जीवन-दृष्टि व्यवस्थित होती है। अपनी बुद्धि का प्रयोग कर विचार के क्षेत्र में मनुष्य निरन्तर सृजन करता है। मानव की बौद्धिक एवं मानसिक वृत्तियों का विकसित रूप ही संस्कृति है। संस्कृति मनुष्य के व्यक्तित्व का पूर्ण

विकास कर मानवता के भाव को पोषित करती है। यही कारण है कि संस्कृति का सम्बन्ध अनेक तत्त्वों से माना गया है।

संस्कृति मानव मात्र की अमूल्य थाती है जिसका निर्माण संस्कारों के माध्यम से होता है। संस्कृति संस्कारों को प्रसारित एवं व्याख्यायित करती है। इससे धर्म प्रधान जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है। संस्कृति ही सदाचार, दया, त्याग, सहनशीलता साहस आदि मानव-धर्म को रूपायित करती है। मानव धर्म से हमारा जीवन नैतिक आचरण की ओर बढ़ता है। नैतिकता पूर्ण जीवन-मूल्य ही मानव-जीवन को अर्थवत्ता प्रदान कर जीवन में उत्कर्ष के विधायक बनते हैं। ऐसा होने पर हमारा मानसिक विकास सम्भव हो पाता है। संस्कृति न केवल मानसिक विकास का, बल्कि सभ्यता सम्बन्धी बाहरी विकास का भी परिचायक है। संस्कृति वस्तुतः सभ्यता द्वारा विकसित एवं व्यावहारिक रूप में सामने आती है। सभ्यता के सम्पर्क में आने पर हमारे रीति-रिवाज, खान-पान, वेश-भूषा, बाहरी विकास आदि तत्त्व भी संस्कृति में समाहित होने लगते हैं। यही नहीं हमारे लोक-विश्वास, धार्मिक-विश्वास एवं अन्ध-विश्वास भी संस्कृति के ही एक अंग हैं। ऐसे विश्वास के सम्पर्क में आने पर संस्कृति पुराण को अभिव्यक्त करने लगती है। इतिहास-पुराण के पुट द्वारा संस्कृति जाति विशेष का रूप हो जाती है। यहाँ तक कि दार्शनिकता का स्वरूप भी संस्कृति में दिखने लगता है, क्योंकि संस्कृति ही जीवन के प्रति दृष्टिकोण उत्पन्न करती है। स्पष्ट है कि संस्कृति एक व्यापक अवधारणा है जिसमें संस्कार, पुराण, धर्म, परम्परा, इतिहास, रीति.रिवाज, दर्शन, नैतिकता एवं सभ्यता के अंश समाहित रहते हैं। संस्कृति ही किसी देश या जाति की पहचान होती है एवं उसके दायित्व से मानव जीवन विकसित एवं संवर्द्धित होता है। संस्कृति मानव-जीवन को सुन्दर एवं मंगलमय बनाने का प्रयास करती है तथा सामाजिक-पारम्परिक विचारों को अभिव्यक्त करती है।

संस्कृति मानव-जीवन की कलात्मक अभिव्यक्ति है जो मनुष्य को पशुता के भाव से पृथक कर मनुष्यता की ओर अग्रसर करती है। संस्कृति ही पशुता के स्तर से मानवीय सभ्यता एवं पहचान बनाने की प्रक्रिया का नाम है। वस्तुतः मानव जीवन की सम्पूर्ण गतिविधियों का संचालन अन्तः वृत्तियों और बाहरी परम्परा-संस्कार की जिस सृष्टि द्वारा होता है तथा जिसे अपनाने से मानव सच्चे अर्थों में मनुष्य बनने की दिशा की ओर अग्रसर होता है, उसे ही संस्कृति कहते हैं। संस्कृति लोक विश्वास एवं मान्यताओं, रीति-रिवाज, वेश-भूषा, पर्वोत्सव, आमोद-प्रमोद के साधन, लोक-गीत, लोक-साहित्य, लोक-कलाओं, धर्म-अध्यात्म एवं दर्शन का समन्वित रूप है। यह एक साथ शाश्वत भी है, और युगीन बोध के अनुरूप भी। इसके शाश्वत तत्त्व सदैव विद्यमान रहते हैं, जबकि युग-सत्य के अनुरूप कुछ मूल्य, विचार एवं मान्यताएँ इनमें समाहित होती रहती हैं। यही कारण है कि संस्कृति को जीवन के समान व्यापक एवं परिवर्तनशील भी माना गया है। संस्कृति को जानना एवं उसकी पहचान को बनाए रखना प्रत्येक मानव का प्रधान कर्तव्य है। संस्कृति से ज्ञान का विकास होता है तथा समाज से राष्ट्र एवं विश्व का कल्याण होता है। अतः संस्कृति को मानना एवं उसका प्रचार-प्रसार करना राष्ट्र हित का ही कार्य है।

संस्कृति लोक-मानस की सहज अभिव्यक्ति है। यह किसी जाति, देश या विचार की परिचायक है, जिससे उसके सम्पूर्ण विश्वास एवं परम्पराएँ प्रतिबिम्बित होती हैं। संस्कृति-बोध से ही मानव जीवन का सर्वांगीण विकास होता है। संस्कृति के माध्यम से रीति-रिवाज एवं देश-विदेश के विचार समाज के सम्मुख आते हैं। साहित्य का स्वरूप बहुत कुछ संस्कृति पर ही अवलम्बित होता है। संस्कृति द्वारा रहन-सहन, आचार-विचार, रीति-रिवाजों, पर्वोत्सवों को एक नवीन दिशा मिलती है। सूचना क्रान्ति एवं जनसंचार के युग में आज एक दूसरे से निकट आने का प्रयास जो चल रहा है उसका स्वप्न सांस्कृतिक एकता एवं बोध द्वारा सहजता से किया जा सकता है। संस्कृति भौगोलिक महत्त्व को भी आधार बनाकर चलती है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे को जानने समझने का प्रमुख स्रोत संस्कृति ही है। संस्कृति व्यक्तित्व, समाज, धर्म, अध्यात्मिक एवं मानसिक विकास का प्रमुख साधन है। विशेषकर अनुवाद के सन्दर्भ में देखा जाए तो दो भाषाओं को निकट लाने एवं उनके गहन अध्ययन का प्रमुख आधार संस्कृति ही है। संस्कृति-बोध से मानव जीवन का पूर्ण आनन्द प्राप्त किया जा सकता है। अनुवाद के सन्दर्भ में संस्कृति मूल लेखक की अवधरणा, कृति एवं स्रोत-भाषा में दिखती है। संस्कृति के सभी पक्षों का ज्ञान जुटाकर ही अनुवाद के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए।

7.10 अनुवादक का सांस्कृतिक बोध

विदित है कि संस्कृति संस्कारों की अभिव्यक्ति है। संस्कृति ही वह तत्त्व है जिससे किसी देश, समुदाय या जाति का पृथक अस्तित्व बन पाता है। संस्कृति जीवन का एक स्तर विशेष है जो सभ्यता द्वारा व्यवहृत होता है तथा खान-पान एवं वेशभूषा के रूप में वैविध्यमयी हो जाता है। सांस्कृतिक तत्त्वों का समन्वय कर अनेक चिन्तकों ने अपनी-अपनी भाषा में विचाराभिव्यक्ति की है। ऐसे में इन विचारों या भावों को दूसरी भाषा में अभिव्यक्ति हेतु अनुवादक की आवश्यकता पड़ती है। इस सन्दर्भ में अनुवादक का सांस्कृतिक बोध ही उसके अनुवाद कर्म को पूर्ण एवं सफल बना पाता है। वस्तुतः अनुवादक को मूल रचना के सांस्कृतिक परिवेश, उसमें वर्णित आचार-विचार, रहन-सहन, रीति रिवाज, सामाजिक-आर्थिक-धार्मिक-ऐतिहासिक मान्यताएँ आदि का पूर्ण ज्ञान होना सफल अनुवादक की अनिवार्य योग्यता है। इसके अभाव में कथ्य-ज्ञान एवं भाषा-ज्ञान – दोनों निरर्थक हैं। ये समस्त तत्त्व किसी भी मूल रचना के प्राण कहे गए हैं; यदि इसके साथ न्याय नहीं हुआ तो सम्पूर्ण अनुवाद निष्प्राण हो जाता है। अतः श्रेष्ठ अनुवादक बनने के लिए संस्कृति का बोध परमावश्यक माना गया है।

संस्कृति की अभिव्यक्ति अधिकांशतः शब्द-रूप में की जाती है। अतएव इस परिप्रेक्ष्य में शब्द-प्रयोग एवं उसके पर्याय-चयन के प्रति विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। अनुवादक प्रायः शब्द की प्रतिच्छायाएँ तो स्रोत-भाषा में उतार लेता है किन्तु सही अर्थ की अभिव्यक्ति में सफल नहीं हो पाता; इसके लिए अनुवादक को संस्कृति विशेष से सम्बद्ध शब्दों की गहराई में जाकर उसके ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक, भौगोलिक सन्दर्भ द्वारा उसके अभीष्ट अर्थ को सामने लाना होगा। जाहिर है कि अनुवादक के लिए सांस्कृतिक बोध के अन्तर्गत यह जानना भी आवश्यक हो जाता है कि सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों द्वारा जिस भाव को प्रकट किया जा रहा है, उसके लिए किस प्रकार की अभिव्यक्ति सार्थक एवं उपयुक्त होगी। सांस्कृतिक क्षेत्र का अधिक विस्तार होने के कारण अनुवादक से यह भी अपेक्षा की जाती है कि उसका सांस्कृतिक-बोध व्यापक हो; उसे स्रोत एवं लक्ष्य – दोनो भाषाओं से सम्बन्धित सांस्कृतिक आयामों का बोध हो। आगे हम संस्कृति के विविध आयामों के सन्दर्भ में अनुवादक के बोध की भी चर्चा करेंगे।

किसी भी पाठ का अनुवाद मानवीय भावनाओं, अनुभवों, मानसिक प्रक्रियाओं के साथ-साथ पाठ की विधा, अनुवाद-कला और अनुवाद-विज्ञान पर आधारित होता है। अनुवाद कार्य पाठ के लक्ष्य-भाव के अनुरूप ही पूर्ण किया जाता है। वैज्ञानिक पाठ में भाषा औपचारिक तथा निश्चित होती है, जबकि मानवीय भावों से सम्बद्ध सांस्कृतिक पाठों की भाषा गहन एवं गम्भीर होती है। अतः सांस्कृतिक तत्त्व का अनुवाद कठिन एवं श्रमसाध्य माना गया है। इस अनुवाद में अनुवादक का बहुज्ञ होना बहुत जरूरी है। वस्तुतः सांस्कृतिक तत्त्वों का अनुवाद चुनौती भरा कार्य है, जिसे पूर्ण करने के लिए बहुत सतर्कता की आवश्यकता होती है। विशेषकर साहित्यिक रचनाओं एवं सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों में संस्कृति के शब्द एवं उसका सहज प्रयोग अनेक माध्यमों द्वारा प्रतिध्वनित होते हैं। संस्कृति की अभिव्यक्ति का प्रथम माध्यम सांस्कृतिक व्यक्तियों, स्थानों एवं अध्यायों के नाम हैं। यथा पुराणों में विश्लेषित होने वाले राम, कृष्ण, वामन, हरि, हनुमान, सुग्रीव, कंस, रावण, दुर्योधन, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, सीता, राधा, अहिल्या आदि; कुरान में व्याख्यायित अकबर, मोहम्मद, शेख नबी आदि बाइबिल में वर्णित ईसा मसीह, मैडम मैरी आदि पात्रों का; अयोध्या, लंका, बनारस, चित्रकूट, गोवर्धन, जैरूसलम, लेक ऑफ फायर आदि सांस्कृतिक स्थलों का अपना विशिष्ट सांस्कृतिक महत्त्व है। इतिहास एवं पुराणों से ही सम्बद्ध होली, दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस डे, पोंगल, बकरीद आदि लौकिक त्योहारों का अपना एक पृथक परिदृश्य है। इन समस्त नामों का अनुवाद दूसरी भाषा में या संस्कृति में उसी महत्ता के साथ प्रायः असम्भव है। इस दिशा में कोशिश की भी जाएगी तो इनके सांस्कृतिक बोध के अभाव में अनुवाद में न्याय नहीं हो सकेगा। इन नामों का आधार इनके प्रति श्रद्धा का भाव है, जिसकी पहचान अनुवादक को होनी चाहिए, तभी वह सटीक अनुवाद कर सकेगा।

संस्कृति की अभिव्यक्ति का मूल आधार खान-पान एवं रहन-सहन में भी निहित है। खान-पान द्वारा भी देश एवं जाति विशेष की संस्कृति को अभिव्यक्ति मिलती है। ऐसे में यदि सही अनुवाद करना हो तो स्रोत एवं लक्ष्य-भाषा की संस्कृति में निहित खान-पान, रहन-सहन का बोध भी अनुवादक को होना ही चाहिए। उदाहरणस्वरूप डोसा, इडली, साम्भर, बड़ा, उत्पम आदि का दक्षिण भारतीय संस्कृति से; खीर, पूड़ी, हलवा, साग, दाल, चावल, चने आदि

उत्तर भारतीय संस्कृति से; जबकि पीज़ा, बर्गर, चाइनीज़ फूड, कोल्ड ड्रिंक का खान-पान विदेशी संस्कृति से सम्बन्धित हैं। ऐसे सांस्कृतिक खान-पान की उचित समझ द्वारा उनका व्यावहारिक अनुवाद अनुवादक को करना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारी जीवन-शैली से सम्बन्धित तत्त्व भी सामने आते हैं। यथा अंग्रेज़ी में Hello, Good morning, good night, holiday आदि अवधारणाएँ वहाँ की जीवन शैली का अंग है। जबकि नमस्कार, राम-राम, जय सियाराम, पाँय लागूँ, राधेश्याम जी, सत श्री अकाल आदि भारतीय संस्कृति के अंग हैं। इन तत्त्वों के अनुवाद में परिवेश की समझ होनी चाहिए और उसके अनुरूप व्याख्यात्मक पद्धति द्वारा अनुवाद किया जाना चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में अनुवादक निकटार्थ समतुल्य शब्द की अभिव्यक्ति कर अनुवाद कर्म को सुगम एवं सरल बना देता है। संस्कृति परिवेश ही नहीं हमारी सम्पूर्ण मानसिक चेंतना को भी अभिव्यक्ति देती है, स्पष्ट है कि कोई अनुवादक सांस्कृतिक बोध का ध्यान रखकर मानसिक अवस्थाओं से भी पार जाता है।

संस्कृति का एक अन्य पक्ष दर्शन द्वारा अभिव्यक्ति पाता है। दर्शन की अभिव्यक्ति से कर्म का सिद्धान्त, मोक्ष की अवधारणा एवं जीवन का लक्ष्य उपस्थित होता है। दर्शन द्वारा धर्म, कर्म, मोक्ष, पुनर्जन्म, भाग्य, पुरुषार्थ, माया, मोह आदि व्याख्यायित होते हैं। इनकी अभिव्यक्ति हेतु जयशंकर प्रसाद कृत 'कामायनी', तुलसीदास कृत 'रामचरितमानस', सूफी साहित्य, कामायनी, सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' कृत 'राम की शक्ति पूजा' आदि कृतियों में न केवल दर्शन उभरकर सामने आया है बल्कि जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण भी पैदा किया गया है। ऐसी कृतियों के अनुवाद करते समय इनके स्थानों-पात्रों एवं भावों की अभिव्यक्ति करने के लिए सम्पूर्ण परिवेश एवं परिस्थिति को जानना, पहचानना एवं उसके प्रति सूक्ष्म दृष्टि रखने की आवश्यकता है। एक बेहतर अनुवादक अनेक विधियों से अपने कर्म को पूर्ण करता है, परिवेश की पूरी समझ बनाकर वह निकटतम अर्थ सम्प्रेषित करता है। कई बार आंशिक परिवर्तन द्वारा स्रोत-भाषा की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को लक्ष्य-भाषा के अनुरूप ढाल लेता है। भावानुवाद या छायानुवाद का आश्रय लेकर दार्शनिक जीवन की अभिव्यक्ति करता है। अन्य सभी रूपों में असफल होने पर कुछ अंशों के परित्याग से, अथवा उसका जस का तस प्रयोग कर व्याख्यात्मक टिप्पणी से सहायता लेकर उद्देश्य तक पहुँचता है। अर्थात् अनुवाद के दौरान सांस्कृतिक-दार्शनिक तत्त्वों की अभिव्यक्ति के मार्ग में उपस्थित बाधाओं को दूर करने हेतु अनुवादक कई बौद्धिक उद्यमों का जोखिम उठाता है, जो हर अच्छे अनुवाद की अनिवार्य आवश्यकता है।

संस्कृतियों की छवियाँ न केवल शब्द रूप में बल्कि वाक्यांशों, अभिव्यक्तियों में भी देखने को मिलती है। ऐसी अभिव्यक्तियों में सूक्ति, विचार या प्राचीन मान्यता आ जाती हैं। ये अभिव्यक्तियाँ परिवेश-विशेष या किसी प्रथा पर आधारित होती हैं। वेदों की प्रथम उक्ति 'सत्यम् वद', 'धर्मचर', 'स्वाध्यायानिरतः' ऐसी ही सूक्तियाँ हैं, जो जीवन जीने का सन्देश देने के साथ-साथ विचार-विशेष की पोषक भी होती हैं। ऐसी उक्तियों के गूढ़ार्थ की जानकारी प्राप्त कर उसके परिवेश के अनुरूप अनुवाद किया जाना चाहिए। इस सन्दर्भ में अनुवादक का दायित्व यह है कि वह सर्वप्रथम ऐसी अभिव्यक्ति की पूर्ण समझ रखे, उसके परिवेश को जाने, और उसके पश्चात स्रोत-भाषा में उसकी भावपरक या छायापरक व्याख्या प्रस्तुत करे। वस्तुतः अभिव्यक्तियों का अनुवाद प्रायः भावानुवाद द्वारा ही सम्भव होता है, अतः अनुवादक को चाहिए कि संस्कार, रीति-रिवाज, अनुष्ठान, धर्म आदि से सम्बन्धित स्थलों का निरीक्षण-परीक्षण कर उसके अनुरूप ही अनुवाद करे। कुछ सांस्कृतिक अभिव्यक्तियाँ इस प्रकार हैं :

1. अरुण यह मधुमय देश हमारा।
2. नियति चलाती कर्म चक्र यह।
3. सत्यम् शिवम् सुन्दरम्।
4. असतो मा सद्गमय।
5. नर हो न निराश करो मन को।

उक्त उदाहरणों में प्रथम दो पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद की हैं। तीसरी एवं चौथी पंक्ति पुराण के वाक्य हैं, जबकि पाँचवी पंक्ति मैथिलीशरण गुप्त का जीवन-सूत्र है। पाँचो अभिव्यक्तियों का अपना एक पृथक लोक है। जयशंकर प्रसाद का प्रत्यभिज्ञा का सिद्धान्त उनकी काव्य पंक्तियों में प्रकट हो रहा है। सत्य को कल्याणकारी मानने का भाव और सत्य के प्रति विश्वास का भाव भारतीय संस्कृति का मूल मन्त्र है जबकि मैथिलीशरण गुप्त पर

मानवतावादी दृष्टि हावी रही है। अतः ऐसी अभिव्यक्तियों के अनुवाद में संस्कृति के प्रति विश्वास एवं उसका परिवेशपरक ज्ञान मूल माना जाता है। इसी दृष्टि को ध्यान में रख मूल भाव का छाया के अनुरूप अनुवादक को अनुवाद करना चाहिए तभी वह अभिव्यक्ति के साथ न्याय कर पाठक वर्ग के साथ भी न्याय कर सकेगा। अतः सांस्कृतिक अनुवाद अत्यन्त कठिन एवं दुष्कर माना गया है।

लोकोक्ति एवं मुहावरे संस्कृति के ही अभिन्न अंग हैं। इनका सम्बन्ध लोकानुभव से माना गया है। ये लोकानुभव किसी समाज विशेष के नैतिक, धार्मिक, सामाजिक, दार्शनिक एवं सांस्कृतिक जीवन से सम्बद्ध होते हैं। अतः किसी साहित्यिक कृति में इसका प्रयोग कर सौन्दर्याभिव्यक्ति एवं चित्रमयता को स्थापित किया जाता है। लोकोक्ति लोक अनुभूति का वाक्यांश रूप है जबकि मुहावरा पदबन्ध रूप है, जिससे विलक्षणता एवं व्यंग्यात्मकता चित्रित होती है। लोकोक्ति एवं मुहावरा वाक्चातुर्य का एक विशिष्ट रूप है जो लाक्षणिक एवं व्यंग्यात्मक अर्थ द्वारा चमत्कार उत्पन्न करते हैं। इनमें हमारी संस्कृति एवं विरासत भी विद्यमान रहती है, अतः अनुवादक को स्रोत तथा लक्ष्य-भाषा की सांस्कृतिक जानकारी लोकोक्ति-मुहावरे के स्तर पर भी होनी चाहिए। यदि स्रोत-भाषा में लक्ष्य-भाषा के मुहावरे प्राप्त नहीं होते तो ऐसे में वह मुहावरे की छाया या भाव को ग्रहण कर समतुल्य अभिव्यक्ति द्वारा अनुवाद कर्म करता है। विशेषकर व्यंग्यात्मकता से परिपूर्ण लोकोक्ति-मुहावरे में विशेष ध्यान की आवश्यकता है। अनुवादक को चाहिए कि वह स्रोत-भाषा के मुहावरे का विश्लेषण कर उसी व्यंग्यात्मकता की रक्षा करता हुआ ही अनुवाद करे, और मुहावरे की गहनता की रक्षा कर जन समाज को नवीन मुहावरे प्रदान करता रहे। संस्कृति की अभिव्यक्ति का मूल स्रोत लोकोक्ति-मुहावरा है जिसकी पहचान एवं अस्तित्व की रक्षा करना अनुवादक का परम दायित्व एवं मूल धर्म है। अनुवादक को लोकोक्ति-मुहावरे के अनुवाद में अपनी सृजनात्मक एवं सांस्कृतिक प्रतिभा का परिचय देना चाहिए तथा यह प्रयास करना चाहिए कि स्रोत-भाषा के मुहावरे में मूल जैसी शक्ति एवं व्यंग्य अभिव्यक्त हो सके।

7.11 सारांश

इस इकाई अनुवादक की दक्षता एवं दायित्व की चर्चा के दौरान हम जान पाए कि अनुवादक का कार्यक्षेत्र भाषा से आरम्भ होकर कथ्य एवं सांस्कृतिक आयामों तक जाता है। अनुवाद के दौरान भाषा-व्यवहार, शब्द-प्रयोग आदि का विधान मूल कथ्य की विविधता के अनुरूप ही होता है। एक अच्छे अनुवादक को मूल पाठ के सभी सूक्ष्मताओं की सम्पूर्ण और निष्पक्ष जानकारी होनी चाहिए। साहित्य एवं साहित्येतर विषयों के अनुवाद का कौशल अलग-अलग होता है। भाषा द्वारा समाज एवं ज्ञान को अभिव्यक्ति मिलती है। अनुवादक को स्रोत एवं लक्ष्य-भाषा की सम्पूर्ण प्रकृति, संरचना एवं विशिष्ट शैली का बोध होना चाहिए। संस्कृति के अन्तर्गत समस्त संस्कार, सभ्यता, रीति-रिवाज, रहन-सहन, आचार-विचार, धर्म-दर्शन एवं लोकोक्ति मुहावरे अनुस्यूत रहते हैं। अनुवादक को संस्कृति का परिवेश मूलक एवं सृजनात्मक बोध होना चाहिए ताकि संस्कृति के महत्त्व को वह सदैव बनाए रख सके।

7.12 अभ्यास के लिए प्रश्न

1. अनुवादक के कोई तीन दायित्व बताएँ। पाठ की शैली के प्रति अनुवादक का क्या दायित्व होता है?
2. अनूद्य सामग्री के कथ्य का क्या महत्त्व है?
3. अनुवादक में कथ्य विषयक कौन-कौन-सी विशेषताएँ होनी चाहिए?
4. भाषा से आप क्या समझते हैं? अनुवाद के सन्दर्भ में स्रोत एवं लक्ष्य भाषा से आप क्या समझते हैं?
5. अनुवाद में स्रोत और लक्ष्य भाषा की क्या भूमिका है?
6. अनुवादक के स्रोत एवं लक्ष्य भाषा विषयक ज्ञान की समीक्षा कीजिए।
7. संस्कृति से आप क्या समझते हैं? अनुवाद के सन्दर्भ में संस्कृति का क्या महत्त्व है?
8. लोकोक्ति-मुहावरे के सन्दर्भ में अनुवादक किस प्रकार योग्यता प्राप्त करता है?
9. सांस्कृतिक बोध द्वारा अनुवादक अपने कर्म को कैसे पूर्ण करता है?

7.13 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. अनुवादक का पहला दायित्व भाषा बोध द्वारा भाषिक प्रक्रिया के विकास से सम्बन्धित है, दूसरा दायित्व मूल रचना के पाठ-बोध द्वारा उससे सम्बन्धित दृष्टि अर्जित करना है, और तीसरा दायित्व सहज-सरल अनुवाद द्वारा मूल भाव का सम्प्रेषण करना है।

   पाठ की शैली के प्रति अनुवादक का बड़ा दायित्व होता है, मूल पाठ की शैली के गम्भीर अनुशीलन के बाद उन्हें लक्ष्य-भाषा की प्रकृति में तदनुरूप छवि प्रस्तुत करनी चाहिए। लक्ष्य-भाषा में मूल पाठ का सहज अन्तरण स्वाभाविक होना चाहिए।

2. अनुवाद के दौरान अनूद्य पाठ का कथ्य उस उद्यम की मूल सामग्री होती है। अनुवादक को मूल कथ्य के विविध आयामों एवं उसके विविध पक्षों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। हर कथ्य के अपने विशिष्ट शब्द-प्रयोग, परिवेश, आन्तरिक ज्ञान होते हैं। हरेक कथ्य की अर्थवत्ता का अपना वैविध्य होता है। अनूद्य सामग्री के कथ्य की जानकारी यदि अनुवादक को भली-भाँति नहीं होगी तो असंगत और अनर्गल अनुवाद ही सामने आएगा। अनूद्य सामग्री के कथ्य के सम्बन्ध में अनुवादक का पूर्ण ज्ञान ही किसी अनुवाद को सफल बनाता है। अतः अनूद्य सामग्री के कथ्य को मूल वस्तु माना जाता है।

3. अनुवाद की मूल सामग्री या अनुवाद हेतु प्रस्तुत विषय को मूल कथ्य कहा जाता है। अनुवाद के सन्दर्भ में कथ्य के मूलतः दो रूप देखे जा सकते हैं– साहित्यिक पाठ का कथ्य एवं साहित्येतर पाठ का कथ्य। साहित्यिक पाठ में काव्य एवं गद्य की विविध विधाएँ आती हैं। जबकि राजनीति, धर्म, समाज, संस्कृति, कार्यालय, पत्रकारिता, सूचना विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी आदि विषय साहित्येतर पाठ में आते हैं। साहित्यिक पाठ में काव्यानुवाद करते हुए अनुवादक का एक भावुक, कल्पनाशील कवि होना जरूरी है। उसे काव्यशास्त्र का पूरा ज्ञान होना चाहिए, तभी वह काव्य-लय, ताल-संगीत-कल्पना-भावना आदि का समन्वय कर काव्यानुवाद कर सकेगा। वहीं गद्य विधाओं के अनुवाद में कल्पनाशीलता के साथ-साथ शब्दों के साहित्यिक प्रयोगों का भरपूर बोध होना तथा मूल कथ्य का सांस्कृतिक-आंचलिक ज्ञान होना जरूरी है। तभी वह गद्यात्मक कथ्य का सटीक अनुवाद कर सकेगा। साहित्येतर पाठ के अनुवादक को विषयवस्तु की सम्पूर्ण अवधारणाओं, उनके शब्द प्रयोग आदि का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ऐसे विषयों में कल्पनाशीलता से अधिक यथार्थ की आवश्यकता पड़ती है, साथ ही अनुवादक का तत्त्वान्वेषी एवं गहन-गम्भीर होना भी आवश्यक माना जाता है।

4. भाषा मानव मुख से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की एक व्यवस्था का नाम है, जिससे किसी समुदाय विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान-प्रदान करते हैं। भाषा मानवीय सम्प्रेषण का प्रमुख माध्यम है।

   जिस भाषा की सामग्री का अनुवाद किया जाता है उस भाषा को स्रोत-भाषा कहते हैं। ज़बकि स्रोत-भाषा की सामग्री का जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे लक्ष्य-भाषा कहते हैं।

5. अनुवाद की सम्पूर्ण प्रक्रिया स्रोत-भाषा से लक्ष्य-भाषा की ओर बढ़ती है। अनुवादक सर्वप्रथम स्रोत-भाषा के कथ्य की भाषा एवं शैली, उसकी भाषिक प्रकृति तथा संरचना की जानकारी रख उसका अध्ययन मनन करता है। तत्पश्चात स्रोत-भाषा की जानकारी के अनुरूप शब्द, प्रकृति एवं संरचना का ध्यान रखते हुए अनुवाद-कार्य पूरा करता है। दो में से किसी भी भाषा के बोध के अभाव में अनुवाद प्रक्रिया उपयुक्त नहीं हो सकती। दोनों भाषाओं की गहन जानकारी से ही बेहतर अनुवाद कार्य सम्भव है।

6. अनुवाद की सम्पूर्ण प्रक्रिया भाषिक अन्तरण की प्रक्रिया है। इसमें सबसे पहले स्रोत-भाषा की सामग्री का अध्ययन, बोधन, विश्लेषण किया जाता है। तत्पश्चात सामग्री की ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, प्रोक्ति, अर्थ जैसी भाषिक विशिष्टताओं का अध्ययन कर व्याकरणिक एवं संरचनापरक विशिष्टताओं को अनुवाद हेतु आधार बनाया जाता है। इसी आधार पर मूल पाठ से सम्बन्धित निष्कर्ष निकाले जाते हैं। उस निष्कर्ष को आधार बनाकर लक्ष्य-भाषा की ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, प्रोक्ति और अर्थ में उनका अन्तरण किया जाता है। इस अन्तरण में स्रोत-भाषा के व्याकरण, व्यवस्था एवं संरचना को आधार बनाया जाता है। अतः दोनों भाषाओं

की भाषिक विशिष्टताओं का अनुवाद प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण स्थान माना जाता है। अनुवादक अभ्यास द्वारा दोनों भाषाओं की भाषिक अभिव्यक्ति पर दक्षता अर्जित करता है तथा व्यावहारिक रूपों को प्रयोग में लाकर अनुवाद-कार्य पूर्ण करता है। अनुवादक भाषा के साथ-साथ मूल लेखक की शैली, लक्षित पाठक-वर्ग की भाषा-शैली एवं अपनी विशिष्ट शैली को भी आधार बनाता है, और उनका सहज स्वाभाविक प्रयोग अपने अनुवाद में करता है।

7. संस्कृति संस्कारों का ऐसा समन्वित रूप है जिसमें व्यावहारमूलक सभ्यता, इतिहास, परम्परा, रीति रिवाज, आचार-विचार, रहन-सहन, आमोद-प्रमोद के साधन, धर्म, अध्यात्म, दर्शन, पुराण, नैतिकता आदि विविध तत्त्व समाहित रहते हैं।

   अनुवाद के सन्दर्भ में संस्कृति का बोध सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण माना गया है। संस्कृति वह मूल तत्त्व है, जिससे किसी कथ्य या भाषा विशेष की पहचान बनती है। अतः अनुवाद करते हुए कथ्य की संस्कृति की जानकारी एवं उसके अनुवाद के स्वरूप का बोध अनुवादक को अवश्य होना चाहिए।

8. लोकोक्ति-मुहावरे किसी देश की संस्कृति के महत्त्वपूर्ण अंग माने जाते हैं जिनके मूल में इतिहास की कोई कथा या परिवेश होता है। यही परिवेश उस भाषा को सृजनात्मक बनाता है और पृथक अस्तित्व प्रदान करता है। स्पष्ट है कि भाषा-व्यवहार की उज्ज्वल छवि में मुहावरों-लोकोक्तियों का बड़ा योगदान होता है। लिहाजा स्रोत-भाषा एवं लक्ष्य भाषा के मुहावरों, लोकोक्तियों की सूक्ष्म समझ के बिना स्रोत भाषा का मूल-भाव समझना दुष्कर है, और लक्ष्य-भाषा में पाठ का प्रवाह असम्भव है। इसलिए किसी अच्छे अनुवादक की अनिवार्य दक्षता है कि वह उन कहावतों के लाक्षणिक रूपों की रक्षा करे तथा आवश्यकतानुसार शब्दानुवाद, भावानुवाद, समतुल्य अभिव्यक्ति आदि का प्रयोग कर अनुवाद-कार्य को पूर्ण करे। लोकोक्ति-मुहावरे के आन्तरिक रूप की जानकारी के उपयोग से ही कोई अनुवादक अपने अनुवाद को सफल एवं सार्थक बनाता है।

9. किसी विषय को गहनता एवं गम्भीरता, उस भाषा एवं परिवेश के सांस्कृतिक तत्त्वों द्वारा मिलती है। संस्कृति किसी भाषा की ऐसी विशिष्टता है जो उसके अस्तित्व का कारण बनती है। अतः दो भाषाओं को सम्बद्ध करने वाली विशिष्ट कला 'अनुवाद' के सन्दर्भ में सांस्कृतिक बोध का विशेष महत्त्व माना जाता है। अनुवादक का यह प्रधान कर्तव्य है कि वह अनुवाद करने से पूर्व स्रोत-भाषा की संस्कृति, अनुवाद संस्कृति एवं लक्ष्य-भाषा की संस्कृति पर पूर्ण अधिकार रखे। इसके अभाव में न तो वह स्रोत-भाषा के साथ न्याय कर सकेगा, न लक्ष्य-भाषा के साथ, और न ही पाठक वर्ग के साथ। किसी भाषा के लौकिक विचारों, धार्मिक मान्यताओं, दार्शनिक अभिव्यक्तियों, लोकोक्ति-मुहावरे, विशिष्ट प्रयोग, विशिष्ट व्यक्तित्वों-स्थानों, खान-पान, विशिष्ट रहन-सहन, नैतिक मानों को जाने बिना अनुवाद सम्भव नहीं। अतः इन सभी का उचित ज्ञान अनुवादक को होना चाहिए। जरूरत पड़ने पर ऐसे प्रसंगों के अनुवाद के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणी का सहारा भी लिया जाना चाहिए। कुछ सन्दर्भों में आवश्यकता के अनुरूप छायानुवाद का आश्रय भी लिया जा सकता है। अनुवादक सांस्कृतिक तत्त्वों की पूर्ण जानकारी रखकर ही भाषा की प्रकृति के अनुरूप उनकी व्यंजनाओं की रक्षा करते हुए अनुवाद-कार्य पूरा करता है।

7.14 कुछ उपयोगी पुस्तकें

- गुप्त, गार्गी एवं टण्डन, पूरनचन्द (सं.), *अनुवाद बोध*, नई दिल्ली, भारतीय अनुवाद परिषद।
- टण्डन, पूरनचन्द, *अनुवाद साधना*, दिल्ली, अभिव्यक्ति प्रकाशन।
- टण्डन, पूरनचन्द एवं सेठी, हरीश कुमार, *अनुवाद के विविध आयाम*, नई दिल्ली, तक्षशिला प्रकाशन।
- भाटिया, कैलाश चन्द्र, *अनुवाद कला : सिद्धान्त और प्रयोग*, नई दिल्ली, तक्षशिला प्रकाशन।
- टण्डन, पूरनचन्द (सं.), *अनुवाद शतक (भाग 1 एवं 2)*, नई दिल्ली, भारतीय अनुवाद परिषद।
- सिंहल, सुरेश, *अनुवाद : संवेदना और सरोकार*, संजय प्रकाशन, दिल्ली
- तिवारी, भोलानाथ, *अनुवाद विज्ञान*, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय

MPDD/IGNOU/P.O.1T/MAY, 2014

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

ISBN: 978-81-266-6718-5